हरियाणा विधान सभा

की

कार्यवाही

08 मार्च, 2018 (द्वितीय बैठक)

खंड–1, अंक–5

अधिकृत विवरण

विषय सूची

वीरवार, 08 मार्च, 2018 (द्वितीय बैठक)

	पृष्ठ संख्या
श्री सुभाष बराला, एम.एल.ए. द्वारा भारत के भूतपूर्व उप–प्रधानमंत्री एवं हरियाणा के भूतपूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय चौधरी देवीलाल तथा हरियाणा के भूतपूर्व मुख्यमंत्री चौधरी ओमप्रकाश चौटाला के विरूद्ध विभिन्न अपमानजनक टिप्पणियां करने संबंधी मामला उठाना	4
राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर चर्चा पुनरारम्भ तथा धन्यवाद प्रस्ताव पर मतदान	14
वॉक–आउट	79
राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर चर्चा तथा धन्यवाद प्रस्ताव पर मतदान (पुनरारम्भ)	79
बैठक का समय बढ़ाना	102
राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर चर्चा तथा धन्यवाद प्रस्ताव पर मतदान (पुनरारम्भ)	103
वॉक–आउट	103
राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर चर्चा तथा धन्यवाद प्रस्ताव पर मतदान (पुनरारम्भ)	103
अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर सभी महिलाओं/कन्याओं को बधाई	113
वर्ष 2017–18 के लिए अनुपूरक अनुमान (द्वितीय किस्त) प्रस्तुत करना	115

प्राक्कलन समिति की रिपोर्ट प्रस्तुत करना 115

वर्ष 2017–18 के लिए अनुपूरक अनुमानों (द्वितीय किस्त) की मांगों पर चर्चा तथा मतदान 116

बैठक का समय बढ़ाना 119

वर्ष 2017–18 के लिए अनुपूरक अनुमानों (द्वितीय किस्त) की मांगों पर चर्चा तथा मतदान (पुनरारम्भ) 119

हरियाणा विधान सभा

वीरवार, 08 मार्च, 2018 (द्वितीय बैठक)

विधान सभा की बैठक, हरियाणा विधान सभा हाल, विधान भवन, सैक्टर – 1, चण्डीगढ़ में दोपहर बाद 03:00 बजे हुई। अध्यक्ष (श्री कंवर पाल) ने अध्यक्षता की।

.....

श्री सुभाष बराला, एम.एल.ए. द्वारा भारत के भूतपूर्व उप–प्रधानमंत्री एवं हरियाणा के भूतपूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय चौधरी देवीलाल तथा हरियाणा के भूतपूर्व मुख्यमंत्री चौधरी ओमप्रकाश चौटाला के विरूद्ध विभिन्न अपमानजनक टिप्पणियां करने संबंधी मामला उठाना ।

15:00 बजे

श्री अभय सिंह चौटाला : अध्यक्ष महोदय, हमने कल आपको पहले ही कहा था कि हमारी 07 मार्च को दिल्ली में किसान अधिकार रैली है इसलिए हमारा कोई भी सदस्य कल सदन में उपस्थित नहीं होगा । इसके लिए हमने आपसे यह निवेदन भी किया था कि 07.03.2018 के दिन हाउस को पोस्टपोन किया जाए । इस संबंध में हमने बाकी सभी विधायक साथियों से भी निवेदन किया था कि आप सब भी उस किसान अधिकार रैली में आएं क्योंकि यह प्रदेश का सांझा मामला था लेकिन हमारे भाजपा व कांग्रेस पार्टी के साथियों को तो इस बात की चिंता नहीं थी । आज केन्द्र की सरकार हरियाणा प्रदेश के साथ किस प्रकार से भेदभाव कर रही है हमें उसको लेकर सांझे रूप से लड़ाई लडनी चाहिए । उस लड़ाई में शामिल होने की बजाए विधान सभा में हमारी गैर मौजूदगी में आदरणीय चौधरी देवी लाल जी को लेकर के और आदरणीय चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी को लेकर के टिप्पणियां की गई ।

श्री अध्यक्ष : अभय सिंह जी, ऐसी तो कुछ टिप्पणियां नहीं हुई ।

श्री अभय सिंह चौटाला : अध्यक्ष जी, टिप्पणियां हुई हैं और वे सदन की कार्यवाही में दर्ज हैं। जबकि सदन की परम्परा यह है कि जो सदस्य सदन के अन्दर मौजूद न हो तो उसके बारे में कोई चर्चा भी नहीं की जा सकती । आदरणीय चौधरी देवी लाल जी तो आज स्वर्ग में हैं। उनका नाम लेकर के यहां पर सता पक्ष की तरफ से एक जिम्मेवार व्यक्ति ने अपनी तरफ से उन पर टिप्पणी की है। चौटाला साहब पर भी टिप्पणी की गई है, मैं आपसे निवेदन करता हू कि उनके बारे जो बातें कल इस सदन में कही गई हैं उन्हें कार्यवाही से निकाला जाए और जिस सदस्य ने ये टिप्पणियां की हैं उस सदस्य से यहां सदन में माफी मंगवाई जाए और कहा जाए कि जो बात उन्होंने कही हैं, जो टिप्पणियां उन्होंने की हैं वह इस सदन में नही करनी चाहिए थी । उन्होने जो कहा मैं आपको बता देता हूं। अध्यक्ष महोदय, भारतीय जनता पार्टी के श्री सुभाष बराला जी ने कहा था कि वर्ष 1985 के अन्दर जो न्याय युद्ध चलाया गया था वह केवल इसलिए चलाया गया था क्योंकि उन्होंने चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी को राजनीति में स्थापित करना था और उसके बाद उन्होने यह भी कहा कि इनैलो पार्टी ने दिनांक 07.03.2018 को जो किसान

अधिकार रैली रखी है यह चौधरी ओम प्रकाश चौटाला ने अपने राजनीतिक उतराधिकारियों को स्थापित करने के लिए की है। अध्यक्ष महोदय, आप चौधरी देवी लाल जी के बारे में तो बड़ी अच्छी तरह से जानते है कि चौधरी देवी लाल जी एक स्वतंत्रता सेनानी थे। उन्होंने इस देश की आजादी में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। देश को आजाद कराने के लिए उन्होंने 14 वर्ष की आयु में मुल्तान की जेल में जाने का काम किया था। यही नहीं आज हम जिस विधान सभा में बैठे हैं, जिसको हरियाणा प्रदेश की विधान सभा कहते हैं, इस हरियाणा प्रदेश को अलग राज्य बनाने में भी उन्होंने संघर्ष किया था, न केवल संघर्ष किया बल्कि जब उस वक्त के राजनीतिक लोगों ने यह कहना शुरू कर दिया कि चौधरी देवी लाल जी तो केवल मुख्यमंत्री बनने के लिए अलग हरियाणा प्रदेश की मांग करते हैं तो उन्होंने उन लोगों को जवाब देने के लिए पहला विधान सभा का चुनाव न लड़ने का फैसला किया था। अध्यक्ष महोदय, चौधरी देवी लाल जी ने अलग हरियाणा प्रदेश बनाने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। ऐसे महापुरूष के बारे में हमारी पार्टी की गैर मौजूदगी में कोई टिप्पणी करेगा तो 100 फीसदी हम उस बात पर सदन में चर्चा करेंगे। (विघ्न)

श्री अध्यक्षः अभय जी, आपकी पार्टी की गैर मौजूदगी में सदन में चौधरी देवी लाल जी के बारे में कुछ नहीं कहा गया है। कल ही की तो बात है, अगर ज्यादा दिन हुए होते तो माना भी जा सकता था कि भूल गए होंगे और आपको यह बात भी नहीं भूलनी चाहिए कि राजनीतिक पार्टियां एक दूसरे के बारे में छोटी–मोटी बात तो कहती ही रहती हैं? (शोर एवं व्यवधान)

श्री अभय सिंह चौटालाः अध्यक्ष महोदय, आप सदन की कल की कार्यवाही निकालकर देख लो, उसमें चौधरी देवी लाल जी के बारे में भारतीय जनता पार्टी के एक सदस्य ने गलत बातें कही हैं। इसके लिए उस सदस्य को माफी मांगनी चाहिए और साथ ही उनके द्वारा कही गई बातों को सदन की कार्यवाही से निकाला जाये। अगर ऐसा नहीं किया जाता है तो यह हमारी पार्टी की जिम्मेवारी बनती है कि चौधरी देवी लाल जी के बारे में कही गई बातों के विरूद्ध सदन में चर्चा करें। चौधरी देवी लाल हमारी पार्टी के संस्थापक थे, उन्होंने हमारी पार्टी की नींव रखी थी। चौधरी देवी लाल पर हमारी गैर मौजूदगी में जिस सदस्य ने गलत बातें कहीं हैं मैं उनको बताना चाहूंगा कि चौधरी देवी लाल जी ने और उनके परिवार के सदस्यों ने तो देश और प्रदेश के लिए अपना अमूल्य योगदान दिया है। उनके द्वारा

पहला विधान सभा का चुनाव नहीं लडने का फैसला सब कुछ साबित कर देता है। (शोर एवं व्यवधान) अगर हमारी पार्टी की गैर मौजूदगी में हमारी पार्टी के संस्थापक के विरूद्ध गलत बातें कहेंगे तो सरकार के लोगों में सुनने की कैपेसिटी भी होनी चाहिए। (शोर एवं व्यवधान)

श्रम एवं रोजगार राज्य मंत्री (श्री नायब सैनी) : अध्यक्ष महोदय, हरियाणा की जनता अच्छी तरह से जानती है कि इन लोगों ने क्या काम किए थे? (शोर एवं व्यवधान)

श्री ज्ञान चंद गुप्ताः अध्यक्ष महोदय, जिन शब्दों से माननीय नेता प्रतिपक्ष को तकलीफ है, उन शब्दों को सदन की कार्यवाही से निकाल दें लेकिन जैसाकि उन्होंने सदन में भाषण देना शुरू कर दिया है, मैं समझता हूँ कि इसकी यहां पर कोई आवश्यकता नहीं है। (शोर एवं व्यवधान)

श्री अभय सिंह चौटालाः अध्यक्ष महोदय, ऐसा लगता है कि जैसे गुप्ता जी को सुभाष बराला जी अथोराईज्ड करके गए है कि अगर कोई बात उठे तो गुप्ता जी उनकी जगह बोल लें।(शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्षः अभय जी, कल सदन में कोई ऐसी बात नहीं हुई जिस पर आपको आपत्ति हो। छोटी मोटी बातें तो पोलिटिकल पार्टीज एक दूसरे के बारे में कहते ही रहती हैं। चौधरी देवी लाल जी के बारे में कोई भी ऐसा शब्द नहीं कहा गया जिससे उनके सम्मान पर आंच आए। (शोर एवं व्यवधान)

श्री अभय सिंह चौटालाः अध्यक्ष महोदय, यह आपकी भी जिम्मेदारी बनती थी कि अगर किसी की गैर मौजूदगी में और जो इस हाउस का सदस्य तक नहीं है, के बारे में अगर सदन का कोई सदस्य टिप्पणी करे, तो आप उसको ऐसा करने से रोकते। (शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्षः अभय जी, चौधरी देवी लाल के प्रति सदन में किसी प्रकार के आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल ही नहीं हुआ। (शोर एवं व्यवधान)

श्री अभय सिंह चौटालाः अध्यक्ष महोदय, कल जो बातें सदन में चौधरी देवी लाल के बारे में कही गई या तो उनको सदन की कार्यवाही से निकाला जाये नहीं तो फिर सारी बातें सुननी पड़ेंगी।(शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्षः अभय जी, प्लीज आप बैठिए, श्याम सिंह राणा जी राज्यपाल अभिभाषण पर बोलना चाहते हैं। मैं कल की सदन की कार्यवाही चैक करवा लेता हूँ।(शोर एवं व्यवधान)

श्री श्याम सिंह राणाः अध्यक्ष महोदय, इनकी कल की दिल्ली की रैली फेल हो गई है(शोर एवं व्यवधान) इसलिए यह ऐसा व्यवहार कर रहे हैं।

श्री अध्यक्षः राणा जी, आप राज्यपाल के अभिभाषण पर ही बोलें। (शोर एवं व्यवधान)

श्री श्याम सिंह राणाः स्पीकर सर, आपने मुझे राज्यपाल के अभिभाषण पर बोलने का मौका दिया इसके लिए मैं आपका बहुत–बहुत धन्यवाद करता हूँ। राज्यपाल अभिभाषण में हरियाणा प्रदेश में हुए हर क्षेत्र के विकास का खुलकर जिक्र किया गया है। (शोर एवं व्यवधान)

श्री अभय सिंह चौटालाः अध्यक्ष महोदय, राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर चर्चा से पहले आपको चौधरी देवी लाल जी के विरूद्ध कही बातों को सदन की कार्यवाही से निकालना पड़ेगा। (शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्षः अभय जी, मैं बराला जी द्वारा कल सदन की कार्यवाही में जो कुछ भी बोला गया है, चैक करवा लेता हूँ और उनके जिन शब्दों से आपको तकलीफ है उनको सदन की कार्यवाही से निकाल दिया जायेगा। वैसे आप बार–बार मुझे बराला जी के द्वारा बोले गए शब्दों की कॉपी दिखा रहे हैं क्यों न आप पूरे सदन को उन शब्दों को पढ़कर सुना दें ताकि सदन को पता चल सके कि आखिरकार आपको किन शब्दों पर आपत्ति है?

श्री अभय सिंह चौटाला : अध्यक्ष महोदय, मेरा कहना है कि कल माननीय सदस्य सुभाष बराला जी ने चौधरी देवीलाल और चौधरी ओम प्रकाश चौटाला के बारे में जो अपमानजनक शब्द कहें उनको सदन की कार्यवाही से निकाल दिया जाए । (शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : ठीक है अभय सिंह जी, चौधरी देवीलाल जी और चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी के विषय में सदन में जो भी अपमानजनक बातें कही गई हैं उनको सदन की कार्यवाही से निकाल दिया जाएगा ।

शिक्षा मंत्री (श्री राम बिलास शर्मा) : अध्यक्ष महोदय, चौधरी देवीलाल जी शिखर पुरूष थे । सदन में अभी जिस आन्दोलन की बात चली थी उस आन्दोलन में मैं भी

शामिल था । 'राजीव–लोंगोवाल अकॉर्ड' की धारा 7 और धारा 9 के विरोध में चौधरी देवीलाल जी ने विधान सभा की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया । डॉ. मंगल सेन हमारे नेता थे उन्होंने भी इसके विरोध में विधान सभा की सदस्यता से त्याग–पत्र दे दिया । इसके बाद चौधरी देवीलाल महम विधान सभा क्षेत्र से चुनाव लड़े और डॉ. मंगल सेन जी ने रोहतक विधान सभा क्षेत्र से चुनाव लड़ा । इसके बाद एक संघर्ष समिति बनी जिसकी अध्यक्षता चौधरी देवीलाल जी ने की और इसके उपाध्यक्ष डॉ. मंगल सेन जी बने । कई बार जब एन.डी.ए. की बात चलती है तो मैं कहता हूं कि उस समय के एन.डी.ए. में हम भी शामिल थे । उस समिति ने वर्ष 1986 में एक आन्दोलन चलाया था और उसके बाद जब वर्ष 1987 में चुनाव हुए तो हमारे गठबन्धन ने विधान सभा की 85 सीटें जीती और कांग्रेस को केवल 4 सीटें मिली थी । अतः मेरा नेता प्रतिपक्ष अभय सिंह जी से कहना है कि चौधरी देवीलाल जी की शान में कोई भी गलत बात नहीं कह सकता और न ऐसा कोई तथ्य है । यह सत्य है कि उस आन्दोलन में हम स्वयं शरीक हुए थे ।

श्री अभय सिंह चौटाला : अध्यक्ष महोदय, इस बात को माननीय मंत्री राम बिलास जी ने बड़ा क्लीयर किया है कि चौधरी देवीलाल जी ने उस समय जो आन्दोलन चलाया था उसका मकसद क्या था ? आदरणीय चौधरी देवीलाल जी ने उस समय प्रदेश के हित के लिए आन्दोलन चलाया था । भारतीय जनता पार्टी उस आन्दोलन में हमारी सहयोगी थी । वह आन्दोलन दोनों पार्टियों ने एक–साथ मिलकर चलाया था । कांग्रेस ने हमारे प्रदेश पर 'राजीव–लौंगोवाल समझौते' को थोपना चाहा था लेकिन अगले चुनाव में उसका प्रदेश से सफाया हो गया था । इसके अतिरिक्त मैं बताना चाहता हूं कि चौधरी साबराम वर्ष 1932 से पहले एम.एल.सी. और एम.एल.ए. बन चुके थे । इसके बाद माननीय सदस्य सुभाष बराला जी ने कहा कि जब प्रदेश में चौटाला साहब की सरकार थी और सैंटर में चौधरी देवीलाल जी देश के उप–प्रधानमंत्री थे तथा श्री चन्द्र शेखर देश के प्रधानमंत्री थे तो उस समय एस.वाई.एल. नहर का निर्माण क्यों नहीं करवाया गया । (विघ्न)

श्री अध्यक्ष : अभय सिंह जी, ये लाइन्स तो रिकॉर्ड से रिमूव करने वाली नहीं हैं ।

श्री अभय सिंह चौटाला : अध्यक्ष जी, आप मेरी पूरी बात सुनिये । इसके आगे माननीय सदस्य सुभाष बराला जी ने कहा है कि एस.वाई.एल. नहर के निर्माण के लिए चौधरी देवीलाल जी और चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी ने कोई प्रयास नहीं किये। यह बात जगजाहिर है और रिकॉर्ड में है कि चौधरी देवीलाल जी और चौधरी

ओम प्रकाश चौटाला जी ने प्रधानमंत्री चन्द्र शेखर जी से कहकर इसके निर्माण का जिम्मा आर्मी के लिए रोड्स बनाने वाली बी.आर.ओ. को दिया था । अतः माननीय सदस्य अपनी बात के द्वारा हाउस को मिसलिड कर रहे हैं । हकीकत में इस नहर को बनवाने के लिए सबसे ज्यादा प्रयास आदरणीय चौधरी देवीलाल जी ने किये थे। उस वक्त के चौधरी देवीलाल जी के प्रयासों के बारे में जो बात कही थी वह बिल्कुल गलत थी । अतः उसको सदन की कार्यवाही से निकाला जाए । (विघ्न)

श्री नायब सैनी : ये तो हमारे सामूहिक प्रयास थे । (शोर एवं व्यवधान)

श्री अभय सिंह चौटाला : सामुहिक प्रयास किसने किये थे ? तुम तो उस समय थे भी नहीं । थारा के लेना–देना था ? (विघ्न) तुम तो यहां बैठकर ..... (शोर एवं व्यवधान)

स्वास्थ्य मंत्री (श्री अनिल विज) : अध्यक्ष जी, उस आन्दोलन में भाजपा भी पुरी तरह शामिल थी । इनका यह कहना कि तुम कहां थे यह सही नहीं है । यह गलत बात है। हमारी पार्टी ने डॉ. मंगल सेन की रहनुमाई में उस आन्दोलन में पार्टिसिपेट किया, गिरफ्तारियां दी और लाठियां खाई थी । अतः हमारी पार्टी उसमें पूरी तरह से शामिल थी । (शोर एवं व्यवधान) ये कहते हैं कि तुम्हें क्या पता तुम नहीं थे । मेरा कहना है कि यह वही बी.जे.पी. तो है । (शोर एवं व्यवधान)

समाजिक एवं अधिकारिता राज्य मंत्री (श्री कृष्ण कुमार बेदी) : अध्यक्ष जी, एस.वाई. एल. नहर बनाने के टाइम तो ये मुख्यमंत्री बदलने में लगे रहे । कभी इन्होंने बनारसी दास गुप्ता को सी.एम. बनाया, कभी मास्टर हुकमसिंह जी को सी.एम. बनाया तो कभी ओम प्रकाश चौटाला जी को सी.एम. बनाया । (शोर एवं व्यवधान) इन्होंने एस.वाई.एल. नहर के नाम पर प्रदेश में सरकार तो बना ली लेकिन ये उस समय प्रदेश के सी.एम. बदलने में ही लगे रहे । (शोर एवं व्यवधान) इनको उस समय एस.वाई.एल. नहर याद नहीं आई । जब केन्द्र में विश्वनाथ प्रताप जी की सरकार थी तो उस समय इन्होंने इस नहर की चर्चा तक नहीं की । उस समय तो ये माननीय सदस्य आनन्द सिंह दांगी जी को गोली मारने के लिए घूम रहे थे । उस समय ये महम में पंगे ले रहे थे तब इनको नहर की याद नहीं आई । (शोर एवं व्यवधान) आज जब इनकी जमीन खिसक गई, इनकी बात कोई सुनने को तैयार नहीं है तो इनको एस.वाई.एल. नहर याद आ रही है । उस समय तो ये माननीय सदस्य आनन्द सिंह दांगी जी को मारने के लिए घूम रहे थे । (शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : इस समय बोलने के लिए आपके नेता भी खड़े हैं और आप भी खड़े हैं । (शोर एवं व्यवधान)

श्री सुभाष बराला : अध्यक्ष महोदय, सदन में मैंने कल जो भी कहा उसमें मैंने चौधरी ओम प्रकाश चौटाला और चौधरी देवीलाल जी के खिलाफ कुछ भी अपमानजनक नहीं कहा है । मैंने सदन में कुछ घटनाओं की चर्चा की थी । उसके अलावा मैंने सदन में ऐसी कोई बात नहीं कही जो इनके सम्मान को कम करती हो । मैंने सिर्फ अपने मन की बात कही है । (विघ्न)

श्री अध्यक्ष : अभय सिंह जी, माननीय सदस्य ने इस बारे में अपना स्पष्टीकरण दे दिया है ।

श्री अभय सिंह चौटाला : अध्यक्ष जी, मेरा कहना है कि चौधरी देवीलाल जी और चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी के खिलाफ सदन में जो भी कहा गया है वह सब सदन की कार्यवाही से निकाला जाना चाहिए । इनको हमसे माफी मांगनी चाहिए । यह कोई तरीका नहीं था कि हमारी गैर–मौजूदगी में ऐसी बातें कही जाएं । (विघ्न) अध्यक्ष महोदय, अगर कोई माननीय सदस्य हमारे खानदान के बारे में सदन में खड़ा होकर झूठ बोलता है तो यह बात ठीक नहीं है (विघ्न)।

श्री अध्यक्षः अभय सिंह जी, आप भी दूसरी पार्टी के सदस्यों के खिलाफ इतनी बातें कह देते हैं (विघ्न)।

श्री अभय सिंह चौटालाः अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य पहले अपने खानदान के बारे में बता दें कि उनके खानदान ने प्रदेश में क्या–क्या काम किये हैं (विघ्न)। मेरे पास इसकी जानकारी है (विघ्न)।

श्री अध्यक्षः अभय सिंह जी, आपने भी सदन में जो तर्क दिये हैं उनके बारे में माननीय मुख्य मंत्री जी ने बताया था कि संबंधित बात इस प्रकार से है (विघ्न)। आप कह रहे हैं कि उस बात को डिलीट करवाया जाए। यह नहीं हो सकता है (विघ्न)।

श्री अभय सिंह चौटालाः अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य के पास कोई जानकारी नहीं है लेकिन मेरे पास लिखित में यह जानकारी है कि इनके परिवार ने क्या–क्या काम किये हैं। (विघ्न)।

श्री अध्यक्षः अभय सिंह जी, आपके खानदान के बारे में कोई बात नहीं कही गयी है (विघ्न)।

श्री अभय सिंह चौटालाः अध्यक्ष महोदय, मुझे तो यह पढ़ते हुए भी शर्म आएगी इसलिए मैं आपको यह जानकारी दे देता हूं और आप यह डिटेल से पढ़ लेना कि इनके परिवार ने क्या–क्या काम किये हैं।

श्री सुभाष बरालाः अध्यक्ष महोदय, मैंने कोई भी अमर्यादित शब्द सदन के अन्दर या बाहर नहीं कहा है। मैंने चौधरी देवी लाल जी के लिए कभी भी एक गलत शब्द नहीं कहा है (विघ्न)।

श्री अभय सिंह चौटालाः अध्यक्ष महोदय, आप इन बातों को पढ़ लेना फिर उसके बाद ऐसे माननीय सदस्य को सदन में बोलने का टाईम दे देना (विघ्न)।

श्री सुभाष बरालाः अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से बताना चाहूंगा कि मैंने कभी भी सदन के अन्दर और बाहर चौधरी देवीलाल जी के खिलाफ कोई भी अमर्यादित शब्द नहीं कहा है (विघ्न)। आज तक कोई भी गलत शब्द नहीं कहा है (विघ्न)।

श्री अभय सिंह चौटालाः अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य हमारे परिवार के ऊपर छीटांकशी करने से पहले अपने गिरेबान में झांक लें। उनके खुद के हालात किस प्रकार के रहे हैं और उन्होंने किस प्रकार से समाज को कलंकित किया है (विघ्न)।

श्री अध्यक्षः अभय सिंह जी, सदन में बहुत तरह की बातें होती रहती हैं। जब चौधरी देवीलाल जी और चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी ने संघर्ष किया हम उस टाईम पर इस महान सदन के सदस्य नहीं थे। हमारे माननीय मंत्री श्री रामबिलास शर्मा जी उस टाईम से सदन के माननीय सदस्य हैं। किसी भी माननीय सदस्य ने आपके परिवार के सम्मान के खिलाफ कोई बात नहीं कही है और कोई भी अपमानजनक शब्द नहीं कहा गया है (विघ्न)।

श्री अभय सिंह चौटलाः अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य खड़े होकर अपनी बात कहें कि अगर मैंने चौधरी साहब के बारे में कुछ गलत कहा है तो मैं उसके लिए माफी मांगता हूं।

श्री सुभाष बरालाः अभय सिंह जी, आप मेरी बात सुनें (विघ्न)।

श्री अध्यक्षः अभय सिंह जी, माननीय सदस्य ने पहले ही कह दिया है कि उन्होंने कोई गलत शब्द नहीं कहा है और अब भी यही कह रहे हैं कि उन्होंने कोई गलत बात नहीं की है।

श्री सुभाष बराला: अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय नेता प्रतिपक्ष को बताना चाहूंगा कि मैंने कल कोई भी गलत बात नहीं कही थी। मैंने तो सिर्फ घटनाओं की चर्चा की थी और चौधरी देवीलाल जी के बारे में कोई भी आपतिजनक शब्द न तो सदन में कहा है और न ही बाहर कहा है, क्योंकि यह रिकार्ड की बात है। मैंने तो सिर्फ कुछ घटनाओं की चर्चा अपनी स्पीच में की है, उससे इनको कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए।

श्री अभय सिंह चौटाला: अध्यक्ष महोदय, यह तकलीफ की बात नहीं है।

श्री नायब सैनी: अध्यक्ष महोदय, माननीय नेता प्रतिपक्ष को घटनाओं पर चर्चा करने से ही तकलीफ हो रही है और दूसरी बात यह है कि रैली फ्लाप होने के कारण फर्सट्रेशन हो रहा है। इसी कारण सदन का समय बर्बाद कर रहे हैं। अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य श्री श्याम सिंह इस बारे में कुछ कहना चाहते हैं आप उन्हें बोलने के लिए इजाजत दे दें (विघ्न)।

श्री अभय सिंह चौटाला: अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी आपको आदेश दे रहे हैं। क्या यह बात सही है ? आप फिर माननीय सदस्य को बोलने के लिए कहेंगे। यह बात ठीक नहीं है।

श्री अध्यक्ष: अभय सिंह जी, माननीय मंत्री जी, ने कोई आदेश नहीं दिया है बल्कि रिकवेस्ट की है।

श्री अभय सिंह चौटाला: अध्यक्ष महोदय, हम सदन में बोलने के लिए आपसे रिकवेस्ट कर रहे हैं और माननीय मंत्री जी आपको आदेश दे रहे हैं।

श्री अध्यक्ष: अभय सिंह जी, माननीय मंत्री जी ने कोई आदेश नहीं दिया है। अभी कई माननीय सदस्यों को सदन में बोलना है। इसलिए आप बैठें।

श्री अभय सिंह चौटाला: अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी को इस बात की जानकारी नहीं है कि स्पीकर की चेयर को किस तरह एड्रैस करना चाहिए। उनकी इसी बात से अन्दाजा लगता है कि माननीय मंत्री जी को इस बात का ज्ञान नहीं कि हाउस के अन्दर स्पीकर को कैसे एड्रैस किया जाता है (विघ्न) ?

श्री अध्यक्ष: अभय सिंह जी, आप अपनी बात समाप्त करें क्योंकि 20 मिनट का समय हो गया है। इतने समय में दो माननीय सदस्य बोल सकते थे जिसमें से आपकी पार्टी के भी एक माननीय सदस्य बोल सकते थे (विघ्न)।

श्री अभय सिंह चौटाला: अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी को अभी तक इस बात का ज्ञान नहीं है कि हाउस के अन्दर स्पीकर की चेयर को किस तरह से एड्रैस किया जाता है (विघ्न)।

श्री अध्यक्षः अभय सिंह जी, अब सभी बातें क्लीयर हो गयी हैं। (विघ्न)।

श्री अभय सिंह चौटाला: अध्यक्ष महोदय, यह बात क्लीयर नहीं हुई है। माननीय मंत्री जी आपको आदेश दे रहे हैं इसके लिए इनको माफी मांगनी चाहिए। अध्यक्ष महोदय, आपको बाकायदा यह कहा गया है कि आप मुझे बैठाएं और माननीय सदस्य को बोलने का मौका दें। अध्यक्ष महोदय, आपको सदन के नेता भी आदेश नहीं दे सकते हैं। इसलिए मेरा आपसे अनुरोध है कि आप कम से कम इनकी क्लॉस लिया करें और माननीय सदस्यों को यह भी बता दें कि क्या बोलना है या नहीं बोलना है। अध्यक्ष महोदय, मैंने परसों उपाध्यक्ष महोदया से रिकवेस्ट की थी कि मुझे गवर्नर एड्रैस पर चर्चा के दौरान कुछ बातें कहना बाकी रही गयी थी इसलिए मुझे 15 मिनट का और समय दिया जाए ताकि मैं अपनी बात पूरी करके कंनक्लयूड कर सकूं (विघ्न)।

श्री अध्यक्षः अभय सिंह जी, आप पहले ही 66 मिनट बोल चुके हैं और आपको बजट भाषण पर भी बोलना है (विघ्न)।

श्री अभय सिंह चौटाला: अध्यक्ष महोदय, मुझे 15 मिनट और बोलने के लिए समय दिया गया था।

श्री अध्यक्ष: अभय सिंह जी, आपको सदन में बोलने के लिए 66 मिनट का समय दिया गया था और अभी दूसरे कई माननीय सदस्यों को भी सदन में बोलना है। अगर माननीय सदस्यों को सदन में बोलने का मौका नहीं दिया गया तो माननीय सदस्य कहेंगे कि उन्हें बोलने के लिए समय नहीं दिया गया है।

श्री अभय सिंह चौटाला: अध्यक्ष महोदय, मुझे कल कहीं पर जाना था और आपकी पार्टी से भी अनुरोध किया गया था परन्तु मैंने यह कहा कि मैं जाने की बाद अपनी बात पूरी करूंगा। इसलिए मुझे 15 मिनट का समय दिया गया था।

श्री अध्यक्ष: अभय सिंह जी, आपको बोलने के लिए 15 मिनट का समय दे दिया जाएगा परन्तु उसके बाद बोलने के लिए समय नहीं दिया जाएगा।

श्री अभय सिंह चौटालाः अध्यक्ष महोदयः यह तो नाइंसाफी हो जाएगी।

श्री अध्यक्षः अभय सिंह जी, आप पहले ही 66 मिनट तक अपनी बात रख चुके हैं तथा 15 मिनट का समय और दे दिया गया है (विघ्न)।

श्री कृष्ण कुमार बेदीः अध्यक्ष महोदय, माननीय नेता प्रतिपक्ष श्री अभय सिंह चौटाला जी को रामलीला मैदान से सभी ने लाईव सुन लिया है और बहुत बढ़िया बोल रहे थे।

श्री अभय सिंह चौटालाः बेदी जी, आप चिन्ता मत करें। आपकी तस्सली करवा दी जाएगी (विघ्न)।

श्री अध्यक्षः अभय जी, अब आप बैठिये।

राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर चर्चा (पुनरारम्भ) तथा धन्यवाद प्रस्ताव पर मतदान

श्री अध्यक्षः माननीय सदस्यगण, अब राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर चर्चा पुनरारम्भ होगी।

श्री श्याम सिंह राणा (रादौर) : अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर बोलने के लिए समय दिया इसके लिए आपका धन्यवाद। मैं आपके माध्यम से बताना चाहूंगा कि हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी की सरकार अक्टूबर 2014 में सत्ता में आयी थी और सरकार को तीन साल पूरे होने जा रहे हैं। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने "सबका साथ, सबका विकास" की नीति पर चलते हुए सभी 90 विधान सभा क्षेत्रों के दौरे किये थे। माननीय मुख्यमंत्री जी मेरे विधान सभा हल्के रादौर में 10 अप्रैल, 2015 को आए थे। मेरे हल्के रादौर को पहले की सरकारे कभी पंचायत कभी नगरपालिका बनाती रही, लेकिन अगर रादौर हल्के का इतिहास देखा जाए तो सन् 1924 में जब लाहौर में नगरपालिका नहीं थी तो उस समय मेरे हल्के रादौर को भी नगरपालिका में शामिल किया गया था। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से बताना चाहूंगा कि पिछली सरकार में हमारे विधान सभा क्षेत्र रादौर को कभी नगरपालिका बना दिया गया था तो कभी पंचायत बना दिया गया था, इस तरह से पिछली सरकार के समय में रादौर हल्के का विकास नहीं होने दिया गया। अध्यक्ष महोदय, जिस समय रादौर में मुख्यमंत्री जी आए थे तो वहां के लोगों ने यह डिमांड रखी कि रादौर को नगरपालिका बना दिया जाए।

मैं मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद करना चाहूंगा कि उन्होंने रादौर को केवल नगपालिका ही नहीं बनाया, बल्कि उसे सब–डिवीजन भी बना दिया। अध्यक्ष महोदय, चौधरी भूपेन्द्र सिंह हुड्डा जी जो कांग्रेस पार्टी की सरकार के मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं, उनके हल्के को भी सब–डिविजन बनाने का काम हमारी सरकार ने किया है। अध्यक्ष महोदय, इससे साबित होता है कि हमारी सरकार ने ''सबका साथ–सबका विकास'' की नीति को सार्थक किया है। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से बताना चाहूंगा कि वहां के लोगों ने रादौर में एक कॉलेज खोलने की मांग की थी। (विघ्न) उसके बाद हरियाणा की सरकार ने रादौर में 20–20 किलोमीटर पर एक–एक कॉलेज लड़के और लड़कियों के लिए खोलने का फैसला किया और उसी फैसले के तहत रादौर में जो रादौरी गांव है वहां पर एक कॉलेज का शिलान्यास किया गया। उस कॉलेज में इस साल से बच्चों का एडमिशन भी शुरू हो गया है। इसके साथ–साथ मैं यह भी बताना चाहूंगा कि हमारी नगरपालिका में 2 करोड़ 60 लाख रुपए की लागत से स्टेडियम और 1 करोड़ 66 लाख रुपए की लागत से पार्क भी बनना शुरू हो गया है। अध्यक्ष महोदय, यह विकास केवल रादौर में ही नहीं, बल्कि पूरे हरियाणा प्रदेश के अंदर हुआ है। अध्यक्ष महोदय, पिछली जो सरकार थी उसने यमुनानगर को नगर–निगम बनाया था। उसके बाद वहां के जितने भी 40–45 गांव थे उनसे राय लिए बगैर उन्हें उस नगर निगम में मिला दिया था और उनके भविष्य के बारे में कोई चिंता नहीं की। इस प्रकार से उन गांवों के ऊपर नगर निगम का कानून लागू हो गया और उनका विकास रुक गया। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद करना चाहूंगा कि उन्होंने मेरे विधान सभा क्षेत्र के 16 गांवों में 32 करोड़ रुपए की लागत से सीवरेज ट्रीटमैंट प्लांट बनवाने का काम किया है। जिस पर काम चल रहा है। अध्यक्ष महोदय, इसके साथ–साथ हमारी सरकार ने अमृत योजना के तहत यह फैसला किया है कि उन सारे गांवों में सीवरेज ट्रीटमैंट प्लांट लगाए जाएंगे जो नगर–निगम के अंतर्गत आते हैं, जोकि सरकार का एक बहुत बड़ा फैसला है। अध्यक्ष महोदय, हमारी सरकार के ऊपर एक आरोप लगाया जाता है कि सरकार किसान विरोधी है, लेकिन मैं एक बात बताना चाहूंगा कि अब से पहले जितने भी हरियाणा प्रदेश में मुख्यमंत्री बने, अगर उनसे हमारे मुख्यमंत्री जी का कम्पैरिजन किया जाए तो पता चलेगा कि हमारे मुख्यमंत्री जी ने किसानों की सबसे ज्यादा मदद की है। आजकल स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट की बहुत चर्चा होती है कि उसे लागू किया जाए। अध्यक्ष महोदय, मैं बताना चाहूंगा कि

स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट में बहुत सारे ऐसे प्वायइंट्स हैं, जिन्हें एक–एक करके हमारी सरकार ने पूरा किया है, जिसके आधार पर हम कह सकते हैं कि हमारी सरकार बहुत अच्छा काम कर रही है। मेरा विधान सभा क्षेत्र रादौर यमुना नदी के तट के साथ लगता है, जिसके कारण वहां पर हर साल बाढ़ आती रहती थी। लेकिन हमारे मुख्यमंत्री जी बहुत भाग्यवान है कि जब से ये मुख्यमंत्री बने हैं तब से वहां पर बाढ़ नहीं आयी है। (शोर एवं व्यवधान) अध्यक्ष महोदय, मेरा कहना यह है कि मेरा जो यमुना से सटा हुआ क्षेत्र है वहां पर बाढ़ के कारण किसानों की मृत्यु हो जाती थी और वहां पर जब भी बाढ़ आती थी तो वह एरिया फ्लड में डूबा रहता था । बिजली के पोल गिर जाने के कारण बिजली के कनैक्शन कट जाते थे जिसकी वजह से लोग अंधेरे में रहने को मजबूर हो जाते थे। अध्यक्ष महोदय, पिछली सरकार को इन सारी बातों को ध्यान में रखकर काम करना चाहिए था, क्योंकि फ्लड तो सरकार के बस में नहीं थी, लेकिन बिजली का इंतजाम करना तो सरकार के बस में था। अध्यक्ष महोदय, हमारे माननीय मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल जी की सरकार ने यमुना के दूसरी तरफ गहरे गड्ढे खोदकर पोल लगवाने का काम किया है ताकि अगर कभी बाढ़ आ जाए तो भी लोगों को बिजली की सुविधा मिलती रहे। उसका काम अभी चल रहा है । अध्यक्ष महोदय, इस तरह के कार्य आपके हल्के में भी हो रहे हैं और मेरे हल्के के जठलाना और गुमथला में भी हो रहे हैं । ये कार्य होने पर किसान का बिजली का नुक्सान नहीं होगा । यदि बाढ़ से नुक्सान हो भी गया और बिजली के पोल सही खड़े रहते हैं तो अगले सीजन में बिजली से पानी मिलेगा और किसान सिंचाई करेंगे । अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मुख्यमंत्री जी का ध्यान किसानों की एक बहुत ही गंभीर समस्या की तरफ दिलाना चाहूंगा वह यह है कि यदि किसानों की फसल बाढ़ आदि से खराब हो जाती है तो बीमा योजना के तहत किसानों को मुआवजा मिल जाता है लेकिन जिन किसानों का खेत या ट्यूबवेल जमुना में चला जाता है उन्हें कोई मुआवजा नहीं दिया जाता। इस पर सरकार को विचार करना चाहिए । जमुना पर यह समस्या हथनीकुण्ड बैराज से लेकर दिल्ली तक हरियाणा के एरिया में है । जिसमें 6–7 हल्के लगते हैं । किसानों के ट्यूबवैल जमुना में चले जाते हैं लेकिन सरकारी विभागों के कागजों में खड़े रहते हैं। इसमें समस्या यह रहती है कि कागजों में ट्यूबवैल खड़े होने के कारण बिजली विभाग उनका बिल लेता है । मेरा मुख्यमंत्री जी से अनुरोध है कि जिन किसानों के ट्यूबवैल जमुना में चले जाते हैं

उनसे बिजली के बिल न लिये जायें । जिन किसानों के ट्यूबवैल और बिजली की लाईन जमुना में चली जाती हैं और जब वे दूसरी जगह ट्यूबवैल लगाने के बाद बिजली का कनैक्शन लेने जाते हैं तो बिजली विभाग की तरफ से कहा जाता है कि पहले पिछला बिल जमा करवाना पड़ेगा । अध्यक्ष महोदय, जब किसी किसान का ट्यूबवैल ही चला गया या बाढ़ के कारण बिजली के पोल गिरने से बिजली ही नहीं रहती तो किसान बिजली कहां यूज करते हैं । इस तरह के केसिज में बिजली का बिल नहीं लेना चाहिए । हमारी सरकार किसान समर्थक सरकार है यदि इस तरफ सरकार ध्यान देगी तो स्वामी नाथन आयोग की रिपोर्ट का सिस्टम ज्यादा मजबूत होगा । अध्यक्ष महोदय, हमारी सरकार मेरे हल्के रादौर के गांव कादिवास में 12.5 करोड़ रुपये की लागत से 66 के.वी.ए. का सब स्टेशन लगा रही है और गांव बकाणा में 36.5 करोड़ रुपये की लागत से एक पावर हाउस बनाया जा रहा है इससे हमारे एरिया में बिजली की स्थिति में बहुत सुधार होगा और गांवों में भी 24 घंटे बिजली मिलेगी । जिस तरह का सुधार हमारी सरकार ने बिजली के क्षेत्र में किया है वह बहुत ही सराहनीय है । इस बारे में आम जन भी चर्चा करते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने म्हारा गांव जगमग गांव की बहुत अच्छी स्कीम चलाई है । कुछ विपक्ष के लोग हमारी इस योजना को अंधेरा योजना के नाम से बोलते हैं । इस पर हमारी सरकार द्वारा बिजली के क्षेत्र में किए गए सुधार के बारे में बताते हुए हमारे पक्ष के एक व्यक्ति ने उनको जवाब दिया कि जब पिछली सरकारें थी उस समय गांव के ट्रांसफार्मर पर कोई न कोई व्यक्ति हर घंटे बिजली का फेस ठीक करने के लिए चढ़ा रहता था लेकिन आज ट्रांसफामर में कोई परेशानी नहीं आती । आम लोगों की इन बातों से ही अंदाजा लगाया जा सकता है कि किस तरह का सुधार बिजली के क्षेत्र में हमारी सरकार ने किया है । अध्यक्ष महोदय, आज के दिन मेरे हल्के रादौर में 9 फीडर्ज पर 24 घंटे, 2 फीडर्ज पर 18 घंटे और 2 फीडर्ज पर 15 घंटे बिजली दी जा रही है । आज के दिन प्रदेश में बिजली के क्षेत्र में सुधार होने के कारण जनरेटर और इनवर्टर का काम करने वाले व्यापारियों का काम बंद हो गया है । अध्यक्ष महोदय, हमारे परिवहन मंत्री कृष्ण लाल पंवार जी यहां बैठे हुए हैं । मेरे हल्के रादौर में बहुत अच्छा बस स्टैंड 2.37 करोड़ रुपये की लागत से बनाया जा रहा है जिसका बहुत जल्द मुख्यमंत्री जी उद्घाटन करेंगे । इसी तरह से रादौर में 4.50 करोड़ रुपये की लागत से आई.टी. आई. बनाई गई है जिसका श्री विपुल गोयल मंत्री जी ने उद्घाटन किया है ।

इसी तरह से रादौर में 50 बैड के हास्पिटल को 100 बैड का बनाया गया है जिससे सबको सुविधा होगी । इसी तरह से रादौर को नगर पालिका का दर्जा दिया गया है । वहां पर नगर पालिका बनाने के बाद साफ सफाई प्रोपर होती है जिससे आम जन बहुत खुश हैं । वहां सफाई इतने अच्छे तरीके से हो रही है कि हास्पिटल स्टाफ का कहना है कि इस बार कोई मलेरिया या बुखार की बीमारी नहीं हुई और मलेरिया का एक भी मैरीज हास्पिटल में नहीं आया । इसका कारण यही है कि वहां पर सफाई का बहुत अच्छा कार्य हुआ है । (विघ्न) यदि विपक्ष के किसी साथी को विश्वास नहीं है तो वे वहां जाकर जानकारी ले सकते हैं । मैं कोई गलत बात नहीं कह रहा हूं । मैं जो कुछ कह रहा हूं वह जिम्मेवारी के साथ कह रहा हूं । पिछली सरकार तो पानी से मच्छर मारने वाली सरकार थी । पिछली सरकार मच्छरों को मारने वाली दवाईयां बेचकर खा गई थी और दिखावे के लिए पानी का छिड़काव करवाया जाता था । अध्यक्ष महोदय, मेरे हल्के के गांव डावा में 3.34 करोड़ रुपये की लागत से पी.एच.सी. बननी शुरू हो गई है इसके लिए भी मैं मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद करता हूं । अध्यक्ष महोदय, अब मैं आपके माध्यम से मुख्यमंत्री जी से मांग करना चाहूंगा कि हमारे एरिया के 8–10 गांव ऐसे हैं जिनकी करीबन 4500 एकड़ भूमि जमुना पार पड़ती है । यदि वहां पर जमुना पर 20 कि. मी. पर पुल बना दिया जायेगा तो यू.पी. और हरियाणा के लोगों का आना जाना आसान हो जायेगा । 20 कि.मी. पर पुल न होने के कारण किसानों को 40 कि.मी. घूमकर जाना पड़ता है । जब हम वहां गांव में जाते हैं और पूछते हैं कि फलां आदमी कहां गया तो जवाब मिलता है जमुना पार गया है और कल आयेगा । वह कल इसलिए नहीं आता कि उसे कोई काम है। वह कल इसलिए आता है क्योंकि 40 कि.मी. का चक्कर काटकर जाना पड़ता है जिसमें बहुत समय लग जाता है। वहां जमुना पर पुल बनाने की मांग बहुत पुरानी है । इस तरफ पिछली सरकारों ने कोई ध्यान नहीं दिया । मेरा मुख्यमंत्री जी से अनुरोध है कि वे हमारी इस मांग को जरूर पूरी करवायें। हमारे मंत्री जी कर्ण देव कम्बोज का इंद्री हल्का है और इंद्री हल्के के गांव भी उधर पड़ते हैं । मेरी इस मांग से वे भी सहमत हैं । यदि हमारी यह मांग सरकार मान लेती है तो यह रादौर के किसानों के लिए बहुत अच्छा तोहफा होगा । अध्यक्ष महोदय, अब मैं सड़कों के बारे में जिक्र करना चाहूंगा। मेरे से पहले बोलते हुए सड़कों के बारे में घनश्याम दास जी ने बहुत अच्छे विचार रखे थे । अध्यक्ष महोदय, यमुनानगर से जठलाना रोड़ पर शादीपुर, काम्मी

माजरा, रायपुर आदि गांवों में पिछली सरकारों के समय में इन गांवो की सड़कों पर गोडो–2 तक पानी रहता था । छोटी गाड़ी तो दूर की बात है बड़े ट्रक भी वहां इन सड़कों से होकर नहीं गुजर सकते थे । हमारी सरकार आने के बाद शादीपुर और काम्मी माजरा गावों की सड़कों पर 4.50 करोड़ रुपये के कार्य करवाकर सरकार ने बहुत सराहनीय कार्य किए हैं। अध्यक्ष महोदय, आप भी यमुनानगर के निवासी हैं अभी तक वहां पर पीने के पानी की बहुत समस्या थी, लेकिन वहां हमारी सरकार ने अब बहुत अच्छा सिस्टम कर दिया है । हमारी सरकार ने पूरे प्रदेश में बहुत अच्छे विकास कार्य करवाये हैं । पिछली सरकार के मुख्यमंत्री हमारे वहां दौलतपुर गांव में गये थे जो कि मुस्लिम गांव है । उन्होंने देखा कि यह वह गांव नहीं है जहां वे पहले आये थे क्योंकि उस गांव का नक्शा ही बदला हुआ था । उसके बाद किसी ने उन्हें बताया कि यह वही गांव है लेकिन मौजूदा सरकार ने एक करोड़ रुपये लगाकर इस गांव में सुधार कर दिया है । उस गांव के निवासी कहते हैं कि दूसरे दल हमारे से वोट लेते रहे और विकास नहीं किया । उन्होंने बताया कि दूसरे दल कहते थे कि बीजेपी को वोट न देना । उनको आज समझ में आया है कि बीजेपी ही विकास कार्य करवाती है । अब वे बीजेपी को ही वोट देंगे ऐसा उनका कहना है । (विघ्न) अध्यक्ष महोदय, यदि मेरे विपक्ष के साथियों को विश्वास नहीं है तो ये यमुनानगर जाकर देख सकते हैं । (विघ्न) अध्यक्ष महोदय, विपक्ष के साथी हमारी पार्टी से प्ररेणा ले सकते हैं । भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रीय, विकासशील और सबसे बड़ी पार्टी है । आज के दिन दुनियां में सबसे ज्यादा सदस्य भारतीय जनता पार्टी के हैं । (घंटी) अध्यक्ष महोदय, मैं मुख्यमंत्री जी को बताना चाहूंगा कि उत्तर प्रदेश से हमारा बहुत गहरा संबंध है। यू.पी. के सहारनपुर से जो सड़क आती है वह यमुनानगर के बीच से आती है । वहां पर इतना जाम लगता था कि हमारी रिश्तेदारियां ही सहारनपुर से टूट गई । लेकिन नेशनल हाई वे और बाई पास बनने से जाम नहीं लगता और वह बाई पास कलानौर से लेकर कहल तक सारे का सारा रादौर में है । अध्यक्ष महोदय, वहां पर लाडवा से लेकर यमुनानगर तक हाई वे बन गया लेकिन जठलाना, गुमथला, करनाल और इंद्री से जो सवारियां आती हैं वहां पर बाई पास नहीं है जिसके कारण वहां रोज एक्सीडैंटस होते हैं। वह सड़क इतनी चलती है कि वहां पर अभी से एक्सीडैंट्स होने शुरू हो गये हैं। जो सड़क खेड़ी लक्खा सिंह से हमारे हरनौल तक आती है उस पर ओवरब्रिज नहीं है। छोटे–छोटे गांवों में अंडरपास होने चाहिएं, सड़कों पर ओवरब्रिज होने चाहिएं यह

हमारी मांग है। मैं समझता हूं कि मुख्यमंत्री जी इस बात को ध्यान में रख कर लोकहित में पूरा करेंगें। रादौर विधान सभा क्षेत्र में 5 बारातघर बने थे और एक बारातघर 1.25 करोड़ रुपये का बना था। मुझे इस बात की खुशी है कि ये 5 बारातघर पूरे हरियाणा के लिए आये थे और ये पांचों बारातघर मेरे विधान सभा क्षेत्र रादौर में ही बने हैं। इसके लिए मैं मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद करना चाहूंगा। अब वह योजना शायद बंद हो गई है। जब वह योजना चल रही थी तो रादौर का दौर था। आज हमारे रादौर विधान सभा क्षेत्र के पशु जब बीमार होते हैं तो उनको करनाल लेकर जाना पड़ता है। वहां पर लैबोरेटरी है जहां पर खून, पेशाब तथा गोबर टैस्ट होता है इसलिए मैं चाहूंगा कि इस प्रकार की लैबोरेटरी हर जिले में होनी चाहिए। इससे जो डेयरीज वाले पशुपालक हैं उनको सुविधा होगी और वे अपने पशुओं की देखरेख ठीक तरह से कर पायेंगे। इसी प्रकार से हमारे किसान किसी गलतफहमी के शिकार हो गये थे जिसके कारण आज उनके ट्रैक्टर और ट्रॉलियां यमुनानगर थाने में खड़े हुये हैं। आज किसान की फसल का सीजन है। किसान गरीब है, किसान का बेटा उन ट्रैक्टरों की तरफ देखता है। आज वह खेत में होना चाहिए था। मुख्यमत्री जी, मैं आपसे हाथ जोड़ कर विनती करता हूं कि वे ट्रैक्टर ट्रालियां छोड़ दिये जायें ताकि किसान अपना काम कर सकें। किसानों का अनाज का सीजन चालू हो रहा है। हमारी पार्टी किसान समर्थक है, वह किसानों का कभी बुरा नहीं करती है। अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे महामहिम राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर अपनी बात रखने के लिए समय दिया उसके लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूं।

श्री ओम प्रकाश यादव (नारनौल) : अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे महामहिम राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर अपनी बात रखने के लिए समय दिया उसके लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूं।

श्री अभय सिंह चौटाला: अध्यक्ष महोदय, इनके बाद आप मुझे भी बोलने के लिए समय दे दीजिए। मेरा 15 मिनट का समय बचा हुआ है। 6 मार्च को मुझसे यह वायदा किया गया था कि आपको बाद में बोलने का समय दे दिया जायेगा।

श्री अध्यक्ष: ठीक है।

श्री ओम प्रकाश यादव: अध्यक्ष महोदय, हमारी सरकार सबका साथ, सबका विकास के नारे पर काम कर रही है। आज सुबह इस महान सदन में देखने को नजारा

मिला जब प्रतिपक्ष साईड से श्री करण सिंह दलाल जी, श्री उदयभान जी और भाई जाकिर हुसैन जी पलवल की सड़कों की समस्या के बारे में बताने लगे तो हमारे आदरणीय संसदीय कार्य मंत्री श्री रामबिलास शर्मा जी ने उन्हीं की कमेटी बना कर उनके जिम्मेदारी लगा दी कि आप ही बताओं कि इसका समाधान कैसे हो सकता है। उसके बाद कोई मेवात के स्कूल की बात आई तो माननीय शिक्षा मंत्री जी ने भाई जाकिर हुसैन जी की ही जिम्मेदारी लगा दी कि आप ही जा कर बता दें कि कितनी दूरी किधर से होती है वही कर दिया जायेगा। इसी प्रकार से एक कॉलेज का जिक्र था तो बहन नैना सिंह चौटाला जी ने किसी कॉलेज की बात उठाई और भी कुछ साथियों ने कुछ बातें उठाई थी तो उन्हीं की जिम्मेदारी लगा दी कि आप ही इस समस्या का समाधान बता दें। इस प्रकार से यह महान नमूना जिसके ऊपर इस सरकार ने चलने की कसम खाई है कि हम सबका साथ, सबका विकास करेंगे, उसका साक्षात नजारा देखने को मिला। उसी समय पर जो कॉलेजों की बात थी तो माननीय शिक्षा मंत्री जी ने हमारे सीहमा कॉलेज को मंजूरी दी उसके लिए मैं माननीय मुख्यमंत्री जी और शिक्षा मंत्री जी का धन्यवाद करता हूं। इसके साथ–साथ एक निवेदन भी करता हूं कि सीहमा उस इलाके के महान संत बाबा खेता नाथ की जन्मस्थली और कर्मस्थली है जहां पर में आपने कॉलेज बनाया है तो माननीय शिक्षा मंत्री जी से व मुख्यमंत्री जी से मेरा निवेदन है कि इस कॉलेज को इसी साल से चालू करके इसमें क्लासिज शुरू करवा दी जाए । मैं उनकी जानकारी के लिए बताना चाहता हूं कि हमारे पास एक बहुत बड़ा स्कूल खाली है और उसके अन्दर जगह भी उपलब्ध है इसलिए मैं माननीय शिक्षा मंत्री जी से अनुरोध करना चाहूंगा कि हमारे कॉलेज की इसी साल क्लासें शुरू करवा दें । माननीय शिक्षा मंत्री जी और माननीय मुख्यमंत्री जी मेरा आपसे एक और निवेदन है कि मैंने पहले भी मेरे हल्के के नांगल काठा गांव में एक स्कूल अपग्रेड करने के लिए लिखा हुआ है जोकि हाई स्कूल है उसे सीनियर सैकेंडरी स्कूल बनाना है। इसके साथ नसीपुर गांव के स्कूल की बिल्डिंग तो आपने पहले ही मंजूर कर दी है। मैं समझता हूं कि वह आपके आदेश से जल्दी ही बनकर तैयार हो जाएगी। माननीय अध्यक्ष जी मेरा यह मानना है कि या तो राम इस सृष्टि का विकास करता है या राज विकास किया करता है? राज की दृष्टि से न्याय होना चाहिए । पिछले कई दशकों से जो हो रहा था हमने उसको देखा है । अब भारतीय जनता पार्टी ने स्वच्छ प्रशासन और न्याय, सबका साथ, सबका विकास किया है इस सरकार ने क्षेत्रवाद की भावना

और जातिवाद की भावना के बिना काम किया है । भारतीय जनता पार्टी का किसी भी प्रकार के द्वेष से दूर होकर काम करने का जो तरीका है उसके लिए मैं माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी का धन्यवाद करता हू । हम चाहे किसी भी क्षेत्र की बात करें जैसे कृषि के क्षेत्र में फसल का बीमा करके किसान को चिंता मुक्त करने की बात है या कोई ओलावृष्टि हो जाए तो मुआवजे देने की बात है, इस सरकार ने दोनों ही तरफ से किसान को चिंता मुक्त करने का काम किया है। मैं इसके लिए माननीय कृषि मंत्री जी को मुबारक वाद भी देता हूं और उनका धन्यवाद भी करता हूं कि उन्होंने इन दोनों बातों को शुरू करके किसान को चिन्ता मुक्त किया है । इसी के साथ कुछ सब्जियों की खेती में किसान आम तौर पर चपेट में आ जाता था। कभी थोड़ी–सी आंधी आ गई तो चपेट में आ जाता था । थोड़ी–सी बारिश आ गई तो भी चपेट में आ जाता था । थोड़ी–सी सर्दी ज्यादा पड़ गई तो चपेट में आ जाता था । जिससे किसान कुछ सब्जियों को आम तौर पर बोने में भी कतराने लगा था। आज सरकार ने आलू, प्याज, टमाटर, गोभी, की फसलों पर भावान्तर भरपाई योजना को लागू किया है जिससे कि मिनिमम रेट से नीचे यदि इन सब्जियों की कीमत जाएगी तो किसान का माल सरकार खरीदेगी। यह काम करके भी हमारी सरकार ने किसान के लिए जीवन दान के रूप में काम किया है । इसके लिए मै माननीय कृषि मंत्री जी का धन्यवाद करता हूं। स्वास्थ्य के क्षेत्र में हमारी सरकार की स्कीम है कि हर जिले में मैडिकल कॉलेज खोला जाएगा। हमारा जिला स्वास्थ्य की दृष्टि से सबसे पिछड़ा हुआ होता था। जिला महेन्द्रगढ़, स्वास्थ्य की सेवाओं के लिए मैडिकल कालेज 150 किलोमीटर दूर रोहतक या 150 किलोमीटर दूर दिल्ली या 150 किलोमीटर दूर जयपुर पड़ता था। मै माननीय मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद करता हू कि उन्होंने इसी साल से इस स्कीम के तहत प्रदेश में पहला मेडिकल कॉलेज हमारे जिले को दिया है। इसके लिए मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का बार–बार धन्यवाद करता हूं और यह भी निवेदन करता हू कि कल वित मंत्री जी जब बजट का पिटारा खोलेंगे तो उसमें माननीय मुख्यमंत्री जी और माननीय वित्त मंत्री जी इसी साल हमारे कॉलेज के लिए बजट का प्रावधान कर दे ताकि उस पर इसी वर्ष कार्य शुरू हो जाए। अध्यक्ष महोदय मैं और कहीं की बात तो नहीं कह सकता लेकिन हमारा दक्षिण हरियाणा जब यह सरकार बनी उस समय सड़कों की दृष्टि से बुरी तरह से परेशान था । सारी सड़कें टूटी हुई थी । जब कभी कोई रिश्तेदार शादी–विवाह का निमंत्रण देने आते थे तो पहले यह पूछते थे कि किधर

से आऊं आपकी सारी सड़कें तो टूटी हुई हैं । आज हमारी सरकार बनने के बाद पूरे प्रदेश में सभी सड़कों की हालत बदल दी गई है। मेरे जिले को पूरे स्टेट के 14 नैशनल हाईवेज में से 3 नैशनल हाइवेज मिलना किसी भी सूरत में किसी तोहफे से कम नहीं है। सदन में नहरी पानी की बात चलती रहती है लेकिन मुझे यह बताते हुए खुशी है कि हमारी सरकार आने के बाद 95 प्रतिशत नहरों की टेल तक पानी पहुंच चुका है। मुश्किल से कोई एक आधी डिस्ट्रीब्यूटरी या नहर ही ऐसी होगी जिसकी टेल तक पानी न पहुंचा हो, जिसके लिए मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। अध्यक्ष महोदय, हमें सदा बहकाया जाता रहा कि हमारे क्षेत्र को नहरी पानी तब मिलेगा जब एस.वाईएल. नहर का पानी आयेगा। इसी तरह यह भी कहा जाता रहा कि पीने का पानी तब मिलेगा जब एस.वाई.एल. नहर का पानी आयेगा। हम धन्यवाद करते है माननीय मुख्यमंत्री जी का कि हमें पीने का पानी तो दिया ही दिया साथ ही साथ हमारे क्षेत्र के खेतों की सिंचाई के लिए हमारी नहरों की टेलों तक पानी भी पहुंचा दिया। एस.वाई.एल. नहर के पानी आये बगैर यह सब किया गया है। चाहे प्रदेश में आज से पहले किसी की भी सरकार रही, हमारे क्षेत्र के साथ पानी के मामले में हमेशा शोषण ही किया जाता रहा। अपने समय के सत्ताधारी लोगों ने केवल अपने–अपने इलाको में पानी का दुरूपयोग किया। दुरूपयोग कहने का मेरा मतलब यह है कि उस समय के सत्ताधारी लोगों ने अपने क्षेत्र के लिए जितना पानी बरतना चाहिए था उससे ज्यादा फालतू पानी का प्रयोग करके हमारे क्षेत्र का तो गला काटा ही और साथ ही अब यह लोग सदन में रोना रोते हैं कि उनके क्षेत्र में सेम आ गई है। अध्यक्ष महोदय, अगर यह रोना रोने वाले लोग उस समय केवल उतना ही पानी बरतते जितना इनको जरूरत थी तो आज इनको इस सेम की समस्या का सामना नहीं करना पड़ता। इन्होंने ज्यादा पानी का दुरूपयोग किया और अपनी जमीनें खराब कर ली। (इस समय मेजें थपथपाई गई।)

श्री अभय सिंह चौटाला: स्पीकर सर, विधायक जी की बात को सुनकर ऐसा लगता है कि इन्होंने खेती नहीं की हैं। सेम नहर के पानी से नहीं आती है। अगर नहर का पानी कहीं ज्यादा चला जाये तो उससे सेम कभी नहीं आती बल्कि जब जमीन का जल स्तर बढ़ता है, तब सेम आती है। (हंसी एवं विघ्न)

डॉ.अभय सिंह यादवः अध्यक्ष महोदय, ओम प्रकाश यादव जी एग्रीकल्चर डिपार्टमैंट के ए.डी.ओ. रह चुके हैं। इनको एग्रीकल्चर का जमीनी स्तर का ज्ञान है। (शोर एवं व्यवधान)

श्री अभय सिह चौटालाः अध्यक्ष महोदय, अगर ऐसा था तो यह * एस.डी.ओ. थे।

श्री अध्यक्षः अभय सिंह चौटाला द्वारा प्रयोग किए गए * शब्द को रिकॉर्ड न किया जाये। (शोर एवं व्यवधान)

श्री ओम प्रकाश यादवः अध्यक्ष महोदय, अभय सिंह चौटाला जी को समझना चाहिए कि जब नहर में खुला और ज्यादा पानी डाला जाता है तो उससे जलस्तर ही बढ़ता है। (शोर एवं व्यवधान)

श्री अभय सिंह चौटालाः अध्यक्ष महोदय, मेरे हल्के में एक खेड़ी गांव है जोकि राजस्थान के साथ सटा हुआ है। इसी तरह नाथुश्री चौपटा गांव भी बिल्कुल राजस्थान के साथ सटा हुआ गांव है जहां पर नहर के पानी का कोई बंदोबस्त नहीं है। कोई छोटी–मोटी नहर भी अब जाकर कहीं जाने लगी है लेकिन उस इलाके में आज भी हजारों एकड़ जमीन सेमग्रस्त है। आज भी वहां की जमीन पर पानी खड़ा है। ओम प्रकाश यादव जी एग्रीकल्चर में एस.डी.ओ. रहे हैं और इनको इतनी सी बात का पता नहीं? ऐसा लगता है इनकी ड्यूटी खेतों में नहीं किन्हीं टिब्बों वगैरह पर रही होगी। (शोर एवं व्यवधान)

डा. अभय सिंह यादवः अध्यक्ष महोदय, जैसाकि अभी नेता प्रतिपक्ष ने राजस्थान के पड़ोस में लगते गांव का उदाहरण दिया, उस परिपेक्ष्य में मैं कहना चाहूंगा कि पड़ोस वाले गांव को यह थोड़े पता है कि उसकी बाउंड्री राजस्थान के साथ लगती है या पंजाब के साथ। मान लो हरियाणा के सीमांत गांव के नजदीक कोई नहर नहीं है लेकिन इस बात को तो नकारा नही जा सकता कि उस सीमांत गांव के साथ लगते दूसरे प्रदेश में कोई नहर न हो। पानी जब नहर में जाता है तो वह पानी अंडरग्राउंड होकर 5–10 किलोमीटर दूर तक फैल जाता है। (शोर एवं व्यवधान)

***चेयर के आदेशानुसार रिकॉर्ड नहीं किया गया।**

श्री अभय सिंह चौटाला: अध्यक्ष महोदय, गुरूग्राम के साथ लगते मेवात में भी सेम की समस्या है वहां कौन सी नहर लगती है। (शोर एवं व्यवधान)

श्री ओम प्रकाश यादव : अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय प्रतिपक्ष के नेता की बात को समझ सकता हूँ कि जब जल स्तर ऊपर आ जाता है तो सेम का कारण बनता है। यही सिरसा के साथ हुआ है। इण्डियन नैशनल लोकदल के सदस्य सतलुज–यमुना लिंक नहर के नाम पर दोगली बातें करते रहते हैं और इसी कारण राष्ट्रपति संदर्भ पर माननीय सर्वोच्च न्यायालय में लगभग 12 साल तक केस पैंडिंग पड़ा रहा। अध्यक्ष महोदय, हरियाणा प्रदेश में 10 साल लगातार कांग्रेस की सरकार रही लेकिन सतलुज–यमुना लिंक नहर के संबंध में केन्द्र सरकार के साथ न तो कोई पत्र व्यवहार किया और न ही नहर निर्माण के लिए उचित कदम उठाये। हमारी सरकार ने माननीय राष्ट्रपति महोदय, माननीय प्रधानमंत्री जी और माननीय सर्वोच्च न्यायालय में पैरवी की है। सरकार के ठोस प्रयासों के फलस्वरूप राष्ट्रपति संदर्भ पर माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने हमारे पक्ष में निर्णय दिया है। इसके लिए मैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय को बधाई देता हूँ। किसी भी सरकार ने ऐसा कोई काम नहीं किया और न ही इसके बारे में चिंता व्यक्त की बल्कि इस नहर के निर्माण की जानबूझ कर अनदेखी की गई । यदि पिछली सरकारें इस बारे में ज्यादा चिंतित होती तो 12 साल पहले हरियाणा की प्यासी धरती को पानी मिल जाता। (विघ्न)

श्री अध्यक्ष : श्री ओम प्रकाश यादव जी, आप जल्दी वाइंड अप कीजिए।

श्री ओम प्रकाश यादव : अध्यक्ष महोदय, हमारी सरकार ने दक्षिण हरियाणा के लिए बिजली, पानी और शिक्षा के लिए जितने काम किए हैं उतने काम किसी भी सरकार ने नहीं किए। पिछली सरकारें दक्षिण हरियाणा से इस तरह का व्यवहार करती थी, जैसे मानो यह राजस्थान का इलाका हो लेकिन ग्राउण्ड स्तर पर किसी भी सरकार ने विकास के नाम पर कोई काम नहीं किए। पहले हरियाणा प्रदेश में भेद भाव, भाई भतीजावाद और क्षेत्रवाद का तांडव देखने को मिलता था।

श्रीमती गीता भुक्कल : अध्यक्ष महोदय,***

श्री अध्यक्ष : बहन गीता भुक्कल जी ने जो कहा है उसे रिकॉर्ड न किया जाये।

***चेयर के आदेशानुसार रिकॉर्ड नहीं किया गया।**

श्री ओम प्रकाश यादव : अध्यक्ष महोदय, पिछली सरकारें आज किसान हितैषी होने के झूठे नारे लगाती हैं। पहले हमारे क्षेत्र में नौकरियां पर लगने के लिए बोलियां

लगती थी। शायद पूरे हरियाणा प्रदेश में भी यही हाल रहा होगा। रोहतक से दलाल चलकर हमारे एरिया में आते थे। लोग उन नौकरियों के दलालों का रेलवे स्टेशन या बस स्टैंड पर इंतजार करते थे कि वे इस बस में आयेंगे, अगर इस बस में नहीं आये तो दूसरी बस में आयेंगे। उन दलालों की गाड़ियों की विशेष पहचान हुआ करती थी। नौकरियों पर लगने के लिए पोटलियां भर–भर कर उन दलालों के पास आती थी, फिर भी उन दलालों के हाथों दो चार ही नौकरियां लगती थी। अध्यक्ष महोदय, आज इस सरकार ने निष्पक्ष भाव से बिना किसी भेद भाव के गरीब से गरीब आदमी को मैरिट के आधार पर नौकरी देने का काम किया है। अध्यक्ष महोदय, हमारा क्षेत्र धन्य हो गया क्योंकि एक छोटी सी पुलिस की भर्ती में 650 बच्चे एक जिले में से लगे। इतने बच्चे एक जिले में से कभी भी भर्ती नहीं हुए। हरियाणा प्रदेश में कोई भी सरकारी नौकरी निकलती है तो कोई यह नहीं कह सकता कि नौकरी दलाल के माध्यम से लगी है। यदि कोई गलती से कह भी दें तो किसी को भी विश्वास नहीं होगा। (विघ्न) पहले नौकरियों के लिए पैसों की

गठड़ियां ली जाती थी। हमारी सरकार ने न सिर्फ मैरिट के आधार पर नौकरियां दी बल्कि कन्या भ्रूण हत्या जैसी अनेकों घटनाओं पर अंकुश लगाने के लिए काम किए हैं। अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर बोलने का समय दिया, इसके लिए मैं आपका आभारी हूँ। धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष : ललित नागर जी, अब आप राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर बोलें और अपनी स्पीच को जल्दी से जल्दी कंक्लूड करें।

श्री ललित नागर (तिगांव) : अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर बोलने का समय दिया इसके लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। अध्यक्ष महोदय, आप मुझे कह रहे हैं कि अपनी स्पीच जल्दी से जल्दी खत्म करें, यह कोई बढ़िया बात नहीं है। अभी मैं देख रहा था कि श्री यादव साहब ने 21 मिनट में अपना भाषण खत्म किया है। जब आप यादव साहब को 21 मिनट बोलने के लिए समय दे सकते हो तो मुझे कम से कम 20 मिनट का समय तो मिलना ही चाहिए। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सबसे पहले तो अपने क्षेत्र में हो रही घटनाओं के बारे में सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ। हमारे फरीदाबाद

16:00 बजे

जिले के बल्लभगढ़ में आई.एम.टी. है। वहाँ पर एक बहुत बड़ा मसला किसानों के मुआवजा को लेकर है। माननीय उच्च न्यायालय के आदेश के बावजूद भी उन किसानों को बढ़ा हुआ मुआवजा नहीं दिया जा रहा है। जिसकी वजह से आज वे किसान 60–70 दिन से लगातार धरने पर बैठे हुए हैं। हरियाणा सरकार के एक मंत्री ने कहा था कि हम माननीय मुख्यमंत्री महोदय से इस मामले में बात करके आप लोगों का फैसला करवा देंगे। अध्यक्ष महोदय, वहाँ पर समाज सेवी श्री अन्ना हजारे और कई सामाजिक संस्थाओं के प्रतिनिधि भी गये थे। लेकिन सरकार का आज तक कोई भी ध्यान नहीं गया कि जो किसान 60–70 दिन से धरने पर बैठे हुए हैं, उनका फैसला किया जाये। इसी तरह से मेरे निर्वाचन क्षेत्र के 19 गांवों में किसानों की जमीन अधिग्रहण हुई हैं, उनको भी आज तक माननीय उच्च न्यायालय के आदेश के बावजूद बढ़ा हुआ मुआवजा नहीं दिया गया है। अध्यक्ष महोदय, मेरे निर्वाचन क्षेत्र के 5 गांवों के किसान ऐसे हैं, जिनको आज तक न तो कोई मुआवजा दिया गया और न ही उन किसानों को वापस उनकी जमीन का पजैशन दिया गया है। अगर हम इस संबंध में हरियाणा सरकार की पॉलिसी को देखते हैं तो उस पॉलिसी में साफ लिखा है कि जिन किसानों ने मुआवजा नहीं लिया और न ही उन किसानों की जमीन जिस कारण के लिए अधिग्रहित की गयी थी, उसके लिए यदि उसका उपयोग नहीं किया गया तो उन किसानों की जमीन वापिस होनी चाहिए। लेकिन आज तक उन किसानों को न तो तो बढ़ा हुआ मुआवजा दिया जा रहा और न ही उनको उनकी जमीन का पजैशन दिया जा रहा है। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से उन गांवों के नाम सदन को बताना चाहता हूँ। बड़ौली, भतौला, पलवली, बादशापुर, रिवाजपुर, टिकावली और आई.एम.टी. आदि 19 गांव हैं। इसी तरह से रेलवे लाइन निकालने के लिए भी किसानों की जमीन अधिग्रहण हुई थी। वे लोग भी आज धरने पर बैठे हुए हैं। लेकिन सरकार आज तक कोई भी ध्यान नहीं दे रही है। अध्यक्ष महोदय, इस समय सदन के नेता सदन में उपस्थित हैं और मैं आपके माध्यम से सदन के नेता को कहना चाहता हूँ कि किसान हमारे लिए अनाज पैदा करते हैं जिससे हमारा पेट भरता है। हरियाणा प्रदेश में किसानों की संख्या सबसे ज्यादा है, इसलिए सरकार को किसानों की तरफ ध्यान देना चाहिए। मेरा निर्वाचन क्षेत्र तिगांव बहुत बड़ा है। उस गांव के चारो तरफ 17 गांव हैं जिनकी कनैक्टिविटी एक या दो किलोमीटर की है। तिगांव गांव से बदरौला गांव एक किलोमीटर की दूरी पर है। पहलादपुर गांव दो किलोमीटर की दूरी पर है। कुराली गांव तीन

किलोमीटर की दूरी पर है। इसी तरह से अरूवा, चांदपुर, फज्जुपुर, बहादुरपुर, लंडौला, घरौड़ा, रायपुर, मझावली ओर चिरसी ये गांव तिगांव के चारों तरफ बसे हुए हैं। लेकिन उन गांवों को 15 किलोमीटर दूर दयालपुर तहसील के साथ जोड़ा गया है। उन गांवों का बाजार तिगांव है, उन गांवों के स्कूल्ज व कॉलेज तिगांव है, उन गांवों का आना–जाना भी तिगांव में लगा रहता है। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सदन के नेता से अनुरोध करता हूँ कि दयालपुर गांव बहुत ही दूर पड़ता है और न ही कोई साधन जाता है, इसलिए उन 17 गांवों को दयालपुर से हटाकर तिगांव से जोड़ा जाये। तिगांव गांव की आबादी 30 हजार के करीब है। अध्यक्ष महोदय, महा ग्राम योजना के तहत जहां 10,000 से ज्यादा आबादी वाले क्षेत्रों में सीवरेज लाईन डालने तथा कुछ विशेष सुविधाएं देने की बात कही गयी थी, परन्तु सरकार को बने हुए साढ़े तीन साल का समय हो गया है और पॉलिसी की घोषणा किये हुए भी 2 साल से ज्यादा का समय हो गया है लेकिन मेरे हल्के तिंगाव में सीवरेज तथा दूसरी जरूरतों की सुविधाओं की व्यवस्था भी नहीं की गयी हैं। इसी तरह से नीमका गांव की पंचायत ने अपनी साढ़े 18 एकड़ जमीन सरकार को फ्री में दी थी ताकि संबंधित जमीन पर पॉलिटैक्निकल कॉलेज बनाया जा सके। नीमका गांव की जमीन पर बिल्डिंग तैयार होने के बाद वर्तमान प्रदेश सरकार ने केन्द सरकार के साथ मिलकर पॉलिटैक्निकल कॉलेज की बिल्डिंग को नेशनल सिक्योरिटीज क्लीयरिंग कारपोरेशन (एन.एस.सी.सी जो भारत सरकार की संस्था हैं) को यूज के लिए दे दिया जिसके कारण पूरा गांव और इलाका इस बात से खफा है। ग्राम पंचायत ने जमीन तो पॉलिटैक्निकल कॉलेज के लिए दी थी, परन्तु हरियाणा सरकार ने इस कालेज की जगह पता नहीं क्या चालू कर दिया उसके लिए भी लोग सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। इसके लिए सभी लोग माननीय मंत्री जी तथा सी.एम. साहब से भी मिले थे, लेकिन कोई हल नहीं निकाल पाया है। इसी तरह से एक श्रमिक विहार कॉलोनी बनायी गयी थी, हुडा विभाग ने 60–100 गज के प्लॉट उस देकर कॉलोनी को बसाया था। इस कॉलोनी के लोगों को बसे हुए 30 साल हो चुके हैं परन्तु आज तक उनको न तो कोई मालिकाना हक दिया गया है और न ही विभाग के द्वारा डिवलेपमैंट के लिए कार्य शुरू किये गए हैं। मैंनें, इस बारे में क्वैशचन भी पूछा था कि इस कॉलोनी के लोगों को प्लॉट यह कहकर दिये गये थे कि यह एथॉराईज्ड कॉलोनी है और एथॉराईज्ड कॉलोनी के रूप में ही आज तक बसी हुई है। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके

माध्यम से माननीय मुख्य मंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूं कि संबंधित कॉलोनी के लोगों को मालिकाना हक दिया जाए। इसी तरह से मेरे विधान सभा क्षेत्र तिगांव में 6–7 गांव ऐसे हैं जहां पर बहुत बड़ी–बड़ी कॉलोनियां बन गयी हैं और वहां पर लाखों घर बस गये हैं। ये गांव क्रमशः पला, सेहतपुर, अगवानपुर, ईस्माइलपुर बसंत पुर और तिलपत हैं और इन गांवों के अन्दर बहुत बड़ी–2 कॉलोनियां बस गयी हैं। मेरे विधान सभा क्षेत्र में माननीय मुख्य मंत्री जी भी गए थे और उस समय यह घोषणा भी करके आये थे कि इन अनएथॉराईज कॉलानियों को रेगुलैराईज्ड करके और सरकारी ग्रांट देकर इनमें विकास कार्य करवाए जाएंगे लेकिन आज तक कोई विकास कार्य नहीं हुए हैं। सरकार को बने हुए साढ़े तीन साल हो चुके हैं इसलिए वहां विकास कार्य जल्दी से जल्दी शुरू करवाए जाएं। इसी तरह से सेहतपुर और अगवानपुर के लिए वहां के ग्रामीणों ने एक बिजली का सब स्टैशन और 50 बैड का हॉस्पिटल बनाने के लिए मांग की थी, परन्तु इसके लिए अभी तक कुछ नहीं किया गया है। इसके लिए पिछले दिनों जब माननीय मुख्यमंत्री जी की रैली वहां पर थी उस के दौरान भी कहा गया था, लेकिन आज तक वहां पर कोई विकास कार्य शुरू नहीं हुए हैं। इसी तरह से फरीदाबाद जिले में एक बहुत बड़ा मुददा ग्रेटर फरीदाबाद का भी है क्योंकि वहां पर लाखों की संख्या में घर बस गये हैं और कुछ मल्टी स्टोरी अपार्टमैंट्स भी बन गये है तथा छोटी–छोटी बिल्डिंगे तथा कोठियां बनी हुई हैं। कुछ दिन पहले वहां के लोगों ने ई.डी.सी. और आई.डी.सी जमा करवा दी थी, लेकिन आज तक सरकार द्वारा उन लोगों को मूलभूत सुविधाएं नहीं दी गयी है, जैसे वहा बिजली, पानी, रोडों की कैनेक्टिविटी, सीवरेज लाईन नहीं है और न ही ट्रांसपोर्टेशन की सुविधा है। पिछले दिनों अखबारों में भी खबर छपी थी कि लगभग 10,000 लोगों ने ग्रेटर फरीदाबाद से पैदल चलते हुए डी.सी. ऑफिस के सामने धरना/प्रदर्शन किया था और पहले भी कई बार प्रदर्शन कर चुके हैं। आज वे लोग त्राहि–त्राहि कर रहे हैं क्योंकि उन्होंने जैसे–तैसे पैसे इक्ट्ठा करके फ्लैट खरीदे हैं, उनको कोई मूलभूत सुविधा नहीं मिल रही हैं। वे लोग बहुत ज्यादा तंग हैं। इस बारे में पहले भी मैंने विधान सभा में क्वैशचन पूछा था तो आपकी तरफ से यह रिप्लाई आया था कि सभी कार्य हो गये हैं। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मुख्य मंत्री जी को बताना चाहूंगा कि यह बात नहीं है कि वहां पर सब कार्य हो गये हैं। वहां पर कोई कार्य नहीं हुआ हैं। सरकार के पास सी. आई.डी, आई.बी. या प्रशासन की रिपोर्ट भी आयी होगी कि 15–20 दिन पहले

लगभग 10,000 लोगों ने इकट्ठे होकर प्रदर्शन किया था। इसलिए मेरा निवेदन है कि उन फ्लैट्स में मूलभूत सुविधाएं देने का कार्य किया जाए। इसके अलावा सरकार द्वारा 2 वर्ष पहले फरीदाबाद जिले को स्मार्ट सिटी घोषित किया गया था और फरीदाबाद जिले में भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने बड़े–बड़े होर्डिंग, बैनर, पोस्टर तथा अखबारों में एडवर्टाईजमैंट भी करवाई थी कि फरीदाबाद जिला स्मार्ट सिटी बन गया है। फरीदाबाद जिले को स्मार्ट सिटी घोषित किये हुए आज लगभग 2 वर्ष का समय हो गया है और सरकार की तरफ से 2342/– करोड़ रूपये की ग्रांट फरीदाबाद जिले के लिए जारी की जा चुकी हैं लेकिन सच्चाई यह है कि धरातल पर स्मार्ट सिटी बनाने की दिशा में कोई कार्य नहीं हुआ है। अध्यक्ष महोदय, फरीदाबाद जिले के रोडज को देखेंगे तो आप पाएंगे कि रोडज की हालत बहुत खराब है और रोडज पर बड़े–बड़े गढ्ढे बने हुए हैं, कहीं पर सीवरेज लाईन नहीं हैं, कहीं पर सीवरेज लाईन पर ढक्कन नहीं है और कहीं पर सीवर लाईन नहीं है। अध्यक्ष महोदय, मैं जानना चाहता हूं कि फरीदाबाद को स्मार्टसिटी बनाने के नाम पर जो 2342 करोड़ रुपया लगा है, वह कहां और किन–किन परियोजनाओं में लगा है। सत्ता पक्ष के द्वारा हमेशा फरीदाबाद को स्मार्टसिटी बनाने के नाम पर ढोल बजवाए जाते हैं। हमें नहीं लगता है कि वहां पर ऐसा कोई काम हुआ है, जिससे हम कहें कि फरीदाबाद स्मार्टसिटी बन रहा है।

पंडित मूल चंद शर्माः अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय सदस्य श्री ललित जी से पूछना चाहूंगा कि इनके तिगांव विधान सभा क्षेत्र में जो 11 पुल बने हुए हैं, उन्हें किसने बनवाया ?

श्री ललित नागरः अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का ध्यान इस ओर भी आकर्षित करना चाहूंगा कि सुरजकुंड रोड पर अरावली का पहाड़ है जहां पर वन विभाग ने बैन लगाया हुआ है कि वहां पर किसी भी प्रकार का कन्स्ट्रक्शन या प्लान पास नहीं हो सकता है। वहां पर टैम्पोरेरी सी.एल.यू. के नाम पर लोगों को सी.एल.यू. दिए जा रहे हैं। लोग पहाड़ लेकर उसके ऊपर कंस्ट्रक्शन का काम कर रहे हैं और पहाड़ को तोड़कर प्लेन कर रहे है। वहां पर बड़ी–बड़ी बाउंडरी–वॉल बनाकर बड़े–बड़े विवाह–स्थल बना दिए गए हैं। अध्यक्ष महोदय, मैं इनसे पूछना चाहता हूं कि क्या यह इनकी सरकार की कोई पॉलिसी है जिसके तहत वहां पर विवाह–स्थल बनाए जा रहे हैं ? सरकार उन्हें कैसे टैम्परेरी सी.एल.यू. दे रही है? मैं बताना चाहूंगा कि वहां पर बहुत बड़ा गबन का खेल खेला जा रहा है जिसकी

तरफ सरकार को ध्यान देने की आवश्यकता है। वहां पर लगभग 100 एकड़ जमीन के अंदर बड़ी–बड़ी बाउंडरी–वॉल बनाकर बड़े–बड़े विवाह स्थल बना दिए गए हैं। वहां पर विवाह–स्थल बनाए जाने के कारण पहाड़ों के ऊपर बारात चढ़ती है और जो बाराती होते हैं वे सड़कों पर ही गाड़ियों की पार्किंग कर देते हैं, जिसके कारण वहां के लोगों को आने–जाने में बहुत दिक्कत होती है। अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से पूछना चाहूंगा कि वहां पर जो टेम्परेरी सी.एल.यू. दिए गए हैं, क्या उसकी रकम हरियाणा सरकार को मिली है ? अगर हरियाणा सरकार को उसकी रकम मिली है तो कितनी मिली है और किन–किन लोगों को टैम्परेरी सी.एल.यू. दिए गए हैं उसका जवाब भी दिया जाए दें? मैं बताना चाहूंगा कि इस गबन में भाजपा के बड़े–बड़े नेता इन्वाल्व हैं।

मुख्यमंत्री (श्री मनोहर लाल): अध्यक्ष महोदय, इस विषय में मैं सदन की जानकारी के लिए बताना चाहूंगा कि वहां पर किसी को टेम्परेरी सी.एल.यू. नहीं दिए गए हैं, बल्कि एल.ओ.आई जरूर दी गई हैं। एल.ओ.आई देने का मतलब टेम्परेरी सी.एल.यू. नहीं होता है। लोगों को कुछ शर्तों के साथ 3 महीनों के लिए एल.ओ.आई दी जाती है और अगर वे लोग 3 महीनों में उन शर्तों को पूरा करते हैं तो उसके बाद ही सी. एल.यू. का विषय आता है। अगर वे उन शर्तों को पूरा नहीं करते हैं तो ऑटोमैटिकली 3 महीने के बाद एल.ओ.आई रद्द हो जाता है। अगर हमारे माननीय सदस्य के पास ऐसी कोई रिपोर्ट है कि लोगों को टेम्पोरेरी सी.एल.यू. दिए गए हैं तो ये यहां पर प्रस्तुत करें।

श्री ललित नागर: अध्यक्ष महोदय, यह मुद्दा सिर्फ मैंने ही नहीं बल्कि वहां पर भाजपा के डिप्टी मेयर श्री मनमोहन गर्ग ने भी उठाया है। अगर वहां पर किसी को टेम्परेरी सी.एल.यू. नहीं दिए गए हैं तो बड़ी–बड़ी बाउंडरी–वॉल और विवाह स्थल कैसे बनाए जा रहे हैं ? इसका मतलब तो यह हुआ कि वे सब अनअथॉराइज्ड रूप से बनाए जा रहे हैं। मुझे बहुत अच्छा लगा कि मुख्यमंत्री जी ने मेरे सवालों का जवाब दिया और वे मेरी बातों को अच्छी तरह से सुन रहे हैं। मैं चाहता हूं कि मुख्यमंत्री जी इस तरफ ध्यान दे दें कि अगर वहां पर किसी को टेम्पोरेरी सी.एल.यू. नहीं दिए गए हैं तो बड़ी–बड़ी बॉन्ड्री–वॉल और विवाह स्थल कैसे बनाए जा रहे हैं। अध्यक्ष महोदय, मेरा दूसरा सवाल यह है कि मुख्यमंत्री जी इस बात का जवाब दें कि अभी तक वर्ष 2031 का डेवल्पमेंट प्लान आया ही नहीं है तो फरीदाबाद कैसे स्मार्टसिटी बनेगा, कैसे इसके अगले कार्य पूरे होंगे ? मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से

एक और बात पूछना चाहूंगा कि इनकी सरकार के शुरूआती वर्ष में चाहे कांग्रेस के विधायक हों, चाहे इनेलो के विधायक हों हम सब लोगों ने माननीय मुख्यमंत्री जी से कहा था कि हमें हमारे विधान सभा क्षेत्र में विकास कार्य करने के लिए कुछ ग्रांट दी जाए तो उस समय मुख्यमंत्री जी ने बड़े उत्साह के साथ कहा था कि हम आप सभी विधायकों को 5–5 करोड़ रुपया आपके विधान सभा क्षेत्र में विकास कार्य करने के लिए देंगे। उसके बाद मुख्यमंत्री जी के द्वारा इस प्रकार से कही गई बातें मेरे विधान सभा क्षेत्र के लोगों के पास चली गयी। आज के दिन हर आदमी मुझसे पूछता है कि आपको माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो 5–5 करोड़ रुपए विकास कार्य के लिए दिए थे, उन पैसों को आप कहां खर्च कर रहे हैं। मैं आज माननीय मुख्यमंत्री जी से पूछना चाहूंगा कि ये हमें उस ग्रांट को दें, जिससे हम अपने विधान सभा क्षेत्र में विकास का कार्य कर सकें।

पंडित मूल चंद शर्मा : स्पीकर सर, मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्य श्री ललित नागर जी से यह पूछना चाहता हूं कि आज ये नहर पार पुल नम्बर 11 से जाते हैं। तिगांव विधान सभा की ओर जाते समय 11 नम्बर फ्लाई ओवर है वह पुल किस ने बनवाया? जिन सड़कों से आर.एम.सी. निकलते हैं वे किसने बनाई हैं? हमारी सरकार के समय में ही फरीदाबाद का मास्टर प्लॉन क्लीयर हो गया है। चार दिन में बाकी के प्रोजैक्ट्स भी क्लीयर होने जा रहे हैं। मैं इनसे यह पूछना चाहता हूं कि ये सब काम किस ने करवाये? जब 10 साल पहले इनकी पार्टी की सरकार थी तो उस समय ये कहां पर चले गये थे जो अब ये पूरे फरीदाबाद के विकास की बात करते हैं। इन्होंने अपनी पार्टी के 10 साल के शासनकाल में कुछ नहीं करवाया और अब ये साढ़े तीन काल के शासनकाल में हमारी सरकार से मॉर्डन हरियाणा बनवाना चाहते हैं। जब फरीदाबाद का मास्टर प्लॉन क्लीयर हो गया तो उसके लिए हम सभी ने माननीय मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद किया। जहां तक इनके विधान सभा क्षेत्र तिगांव की बात है मैं यह कहना चाहता हूं कि फरीदाबाद जिले में अगर कहीं पर सबसे ज्यादा पैसा लगा है तो वह इनके तिगांव विधान सभा क्षेत्र में ही लगा है। वहां पर अनेकों फ्लाई ओवर बनाये गये हैं और इसी प्रकार से बहुत सी सड़कों का भी निर्माण किया गया है। अगर फिर भी इनके यहां पर कोई कमी रह गई है तो उसको भी हमारी सरकार जल्दी ही दूर कर देगी। (विघ्न)

श्री अध्यक्ष : मूल चंद जी, आप कृपया करके बैठ जायें और श्री ललित नागर जी को अपनी बात पूरी करने दें।

श्री ललित नागर : स्पीकर सर, हमने महामहिम राज्यपाल जी का अभिभाषण पढ़ा पढ़कर देखा तो यह पाया कि जो महामहिम राज्यपाल जी का अभिभाषण है और जो भारतीय जनता पार्टी का वर्ष 2014 का चुनावी घोषणा पत्र है ये दोनों आपस में बहुत मेल खाते हैं। जो बातें भारतीय जनता पार्टी के वर्ष 2014 के चुनावी घोषणा पत्र में लिखी हुई हैं वही बातें तकरीबन महामहिम राज्यपाल महोदय के अभिभाषण में भी लिखी गई हैं। स्पीकर सर, आप के माध्यम से सरकार से हम पूछना चाहते हैं कि साढ़े तीन वर्ष में कुछ काम किये या यूं कह रहे हैं कि वर्ष 2022 तक ये सारे काम कर देंगे या वर्ष 2024 तक ये सारे काम कर देंगे। हमें यह तो बताया जाये कि जो भारतीय जनता पार्टी ने अपने चुनावी घोषणा पत्र में 157 वायदे किये थे उनमें से वास्तव में कितने वायदे पूरे हुए हैं। महामहिम राज्यपाल महोदय के अभिभाषण का प्वायंट नम्बर 4 है जिसमें यह कहा गया है कि वर्ष 2022 तक प्रदेश के किसानों की आमदनी दोगुणी कर देंगे। अगर आप वर्ष 2022 तक किसानों की आदमनी दोगुणी कर देंगे तो सरकार को सत्ता में आये हुए लगभग 4 वर्ष हो चुके हैं अब तक सरकार ने क्या किया यह भी हमें जरूर बताया जाये। (विघ्न) इसी प्रकार से महामहिम राज्यपाल महोदय के अभिभाषण का प्वायंट नम्बर 6 है इसमें बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओं के नारे के बारे में कहा गया है। यह नारा सरकार ने बहुत अच्छा दिया था। वह हम सभी को अच्छा लगा था। सभी ने उसका समर्थन किया था लेकिन सच बात यह है कि प्रदेश में हर रोज बलात्कार व अपहरण की घटनायें बढ़ती ही जा रही हैं, जिन पर हम सभी को दुख होता है। श्रीमती नैना चौटाला जी ने भी कहा है कि हरियाणा में प्रत्येक चार से आठ घंटे में एक बलात्कार और अपहरण की घटना हो रही है। अगर माननीय मुख्यमंत्री जी सुबह अखबार पढ़ें तो हरियाणा प्रदेश का कोई भी डिस्ट्रिक्ट ऐसा नहीं होता जहां से कम से कम एक बच्ची के रेप की खबर अखबार में न आती हो। चाहे वह यमुनानगर हो, सिरसा हो या फिर फरीदाबाद हो लगभग सभी जिलों से इसी प्रकार की एक खबर तो जरूर आती है। जबकि सच्चाई तो यही है कि इस प्रकार के मामले ज्यादा होते होंगे क्योंकि सभी केसिज़ में एफ.आई.आर. दर्ज़ नहीं होती इसलिए मेरा सरकार से अनुरोध है कि बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओं के मुद्दे पर लॉ एण्ड ऑर्डर की स्थिति को जरूर सुधारा जाये। भारतीय जनता पार्टी ने अपने चुनावी घोषणा पत्र में यह कहा था कि हम 2 लाख प्रति वर्ष के हिसाब से बेरोजगारों को नौकरियां देंगे लेकिन सच बात यह है कि महामहिम राज्यपाल महोदय के अभिभाषण में यह

बात लिखित रूप में आई है कि सरकार ने अपने साढ़े तीन साल के शासनकाल में केवल 20 हज़ार लोगों को ही नौकरी दी है जबकि सरकार को अपने वायदे के मुताबिक अब तक कम से कम 7 लाख लोगों को नौकरियां दे देनी चाहिए थी लेकिन सात लाख नौकरियां न देकर केवल 20 हजार नौकरियां दी गई हैं जो कि बेहद चिंताजनक है और हरियाणा सरकार के स्तर पर हरियाणा प्रदेश की जनता के प्रति वायदा खिलाफी का जीता जागता उदाहरण है। अब सरकार के पास केवल एक से डेढ़ वर्ष का ही समय शेष बचा है। इस दौरान सरकार द्वारा कितनी नौकरियां दी जायेंगी यह देखने वाली बात होगी? मैं सरकार से पूछना चाहता हूं कि क्या सरकार अपने वायदे के मुताबिक नौकरियां देगी? इसी तरह से यह कहा गया है कि हरियाणा प्रदेश की 90 की 90 विधान सभाओं में बराबर काम होंगे लेकिन देखने में यह आता है कि सभी जगहों पर समान विकास नहीं हो रहा है। इस प्रकार से सरकार का समान विकास का नारा कहीं भी सार्थक नहीं हो रहा है इसलिए मैं यह कहना चाहता हूं कि सरकार को इस नारे को बंद कर देना चाहिए। सरकार द्वारा यह कहा गया था कि 10 हज़ार की आबादी वाले गांवों में शहरों की तर्ज़ पर बहुत सी सुविधायें उपलब्ध करवाई जायेंगी। बहुत से काम करवाये जायेंगे। मैं सरकार से पूछना चाहता हूं कि इन गांवों में अभी तक क्या किया गया है? मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि उनमें अभी तक कुछ भी नहीं हुआ है। अध्यक्ष जी, मेरा आपके माध्यम से सरकार से इतना निवेदन है कि जो–जो बातें मैंने कहीं हैं उनकी तरफ ध्यान देकर उनको पूरा करवाने का कार्य जरूर किया जाये। अध्यक्ष महोदय, इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं और आपने मुझे महामहिम राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर बोलने के लिए समय दिया इसके लिए आपका धन्यवाद करता हूं।

श्री अभय सिंह चौटाला (ऐलनाबाद) : स्पीकर महोदय, आपने मुझे बोलने के लिए समय दिया सर्वप्रथम इसके लिए आपका बहुत–बहुत धन्यवाद। महोदय, जो गवर्नर साहब का अभिभाषण है उसमें सबसे पहले जो सबसे ऊपर की पंक्ति थी उसमें एस.वाई.एल. नहर के निर्माण की बात है। उसके बाद दादुपुर नलवी नहर का भी जिक्र है। जहां तक दादुपुर नलवी नहर का प्रश्न है इसको सरकार द्वारा बंद किया जा चुका है और इसके लिए अधिगृहीत की गई जमीन को भी सरकार द्वारा डि–नोटिफाई करने का फैसला लिया जा चुका है। स्पीकर महोदय, यह आपके जिले से जुड़ी बात है। एक तरफ तो सरकार द्वारा सिंचाई के लिए बारिश के

वक्त में कैसे हरियाणा प्रदेश को ज्यादा पानी मिले उसके लिए 1115 करोड़ रूपये का प्रावधान किया जाता है और इस बारे में यह कहा जाता है कि कैरियर सिस्टम को बढ़ाने के लिए इस राशि का प्रावधान किया गया है। इस पोजैक्ट में यमुना मेन कैनाल, पश्चिमी यमुना कैनाल और संवर्धन नहर शामिल हैं। इसमें यह कहा गया है कि अगर इस योजना को अमलीजामा पहनाया जाता है तो बरसात के मौसम में इन नहरों से 4000 क्युसिक अतिरिक्त पानी प्राप्त करने में मद्द मिलेगी। एक तरफ तो इस परियोजना पर 1115 करोड़ रूपया खर्च किया जा रहा है और दूसरी तरफ दादुपुर–नलवी नहर जिस पर 350 करोड़ रूपया ऑलरेडी खर्च हो चुका है उसकी तरफ सरकार कोई ध्यान नहीं दे रही है। अगर इस प्रोजैक्ट को पूरा किया जाता है तो उससे किसानों के साथ–साथ पूरे प्रदेश को भी फायदा होगा। सरकार द्वारा यह कहा जा रहा है कि नहरों के कैरियर सिस्टम को बढ़ाने वाली योजना को शुरू करने से बारिश में 4 हज़ार क्युसिक ज्यादा पानी प्राप्त हो सकेगा जोकि सिर्फ अण्डर ग्राउंड वॉटर टेबल को ही रिचार्ज़ करने के लिए होगा और उससे खेतों की सिंचाई नहीं होगी। दूसरी तरफ जिस दादुपुर–नलवी नहर से रिचार्ज़ के लिए पानी मिल रहा था उससे यमुना नगर, कुरूक्षेत्र और अम्बाला में भूमिगत जल की रिचार्जिंग भी हो रही थी। मैं मुख्यमंत्री जी को यह भी बताना चाहूंगा कि यमुना नदी पर रेणुका, किसाऊ और लखवार बांध बनवाने बाबत वे स्वयं भी दो–तीन दफा जाकर आये हैं। हम उम्मीद करते हैं कि यमुना नदी पर ये बांध भी जल्दी से जल्दी बन जायेंगे। इन बांधों के बनने के बाद हमें यमुना से डबल पानी मिलने लगोगा। मैं यह कहना चाहूता हूं कि जो 1115 करोड़ रूपये का प्रावधान नहरों के कैरियर सिस्टम के लिए रखा गया है अगर इसमें से कुछ धनराशि दादुपुर–नलवी में जिन किसानों की जमीन के रेट्स में माननीय हाई कोर्ट द्वारा एनहांसमैंट दी गई है उनको दे दी जाये और शेष राशि से दादुपुर–नलवी वाली परियोजना को दोबारा से शुरू कर दिया जाये तो आने वाले समय में जब यमुना नदी पर रेणुका, किसाऊ और लखवार बांध बन जायेंगे तो दादुपुर–नलवी नहर में ज्यादा पानी आयेगा और उससे भूमिगत जल स्तर की रिचार्जिंग के साथ–साथ अलग–अलग शाखायें निकालकर करीब 6 लाख एकड़ जमीन को सिंचित भी किया जा सकेगा क्योंकि उस समय इसमें 12 महीने 100 फीसदी पानी चलेगा। यहां पर पानी को लेकर बराबर चर्चा हो रही है। यह बात निश्चित रूप से सर्वमान्य है कि आज हमारे प्रदेश में पानी की बहुत कमी है। आज जो टोटल

पानी है वह पूरे प्रदेश की केवल मात्र 17 फीसदी जमीन की ही सिंचाई कर सकता है लेकिन अगर इस पानी को समान रूप से पूरे प्रदेश में बांटकर दिया जाये तो इससे प्रदेश के 100 फीसदी जोहड़ भरे जा सकते हैं और लोगों को पीने का पानी भी मिल सकता है इसलिए दादुपुर नलवी जैसी जो योजनायें चल रही हैं उनको बंद करने की बजाये चाहे उसके ऊपर सरकार का ज्यादा खर्च क्यों न आये सरकार को इनको पूरा करना चाहिए ताकि किसानों को अपने खेतों के लिए नहर से पानी मिल सके और उनको अपने ट्यूबवैल्ज़ के रखरखाव पर हर रोज़ पैसे खर्च न करने पड़ें। इसके लिए मुख्यमंत्री जी ने जो 1115 करोड़ रूपये खर्च करके तीन–चार कैनाल्ज़ के अंदर से पानी लेने की बात की है मैं यह कहना चाहूंगा कि इन पर इतनी धनराशि खर्च करने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि जो ये नहरें हैं इनमें तो ऑलरेडी 30 प्रतिशत फ्री बोर्ड है। आज भी अगर ज्यादा पानी आता है तो आपके पास इनमें 30 प्रतिशत फ्री बोर्ड है आप उसमें अतिरिक्त पानी डालकर हरियाणा प्रदेश के अलग–अलग हिस्सों में ले जा सकते हैं। इस योजना पर 1115 करोड़ रुपये खर्च करने के बजाय दादूपुर नलवी नहर का निर्माण दोबारा करवाओ और उन किसानों को पैसा देकर उस नहर को फिर से चलाने का काम करो। उसी नहर के माध्यम से पानी लो ताकि किसान को उसका लाभ मिल सके। इसी तरह से माईक्रो सिंचाई के नाम से एक नई स्कीम चलाई गई तथा 13 अलग–अलग जगह पर इसकी स्थापना की गई जिसमें से मुख्यमंत्री जी तीन जगह तो ऐसी हैं जहां पर पानी उपलब्ध नहीं है। जब पानी ही उपलब्ध नहीं है तो फिर यह स्कीम चलेगी कैसे? यह केवल और केवल पैसे की बर्बादी है। पानी नहीं होगा तो फिर माइक्रो सिस्टम कैसे चलेगा? जब पानी उपलब्ध नहीं है तो इस तरह की स्कीम पर पैसा खर्च करना ठीक नहीं है। ऐसी तीन जगह हैं आप इस बारे में अपने विभाग से पता कर लें। अगर वे आपको सही जानकारी नहीं देंगे तो मैं आपको इसकी जानकारी दे दूंगा। एक तो गुमथला है मेरे साथ हमारे साथी जसविन्द्र जी बैठे हुये हैं ये आपको बता देंगे उसमें कोई पानी नहीं आता है। इसी तरह से बहबलपुर भी है जहां पानी नहीं आता है।

सरदार जसविन्द्र सिंह संधू : अध्यक्ष महोदय, मैं मुख्यमंत्री जी को उनके कैम्प ऑफिस में दो बार मिला था और उनके नोटिस में यह बात लाई थी। जिस दिन ये उसका उद्घाटन करने के लिए गये थे तो साथ वाली संधोला माइनर से पम्प लगा कर उस गुमथला नहर में पानी डाला गया जिस पर यह सूक्ष्म सिंचाई प्रणाली

लगाई गई है। इस प्रकार से पानी पम्प करके नहर में डाल कर उद्घाटन कर आये उसका कोई फायदा नहीं है। जब तक संधोला माइनर की एलाइनमैंट ठीक नहीं की जाती तब तक वह चलने वाला नहीं है। जब नहर में पानी ही नहीं होगा तो कैसे चलेगा? इसलिए पहले संधोला माइनर की एलाइनमैंट ठीक करवायें उसके बाद ही इसका कोई लाभ हो सकता है अन्यथा नहीं।

श्री अभय सिंह चौटाला: अध्यक्ष महोदय, हम जिन 3 प्रोजैक्ट्स की बात कर रहे हैं। कोई भी प्रोजैक्ट सरकार जब शुरू करती है उससे पहले 100 प्रतिशत इस बात की जानकारी लेती है कि हम जिस प्रोजैक्ट को लगाने जा रहे हैं क्या वह प्रोजैक्ट वायबल है? अगर वायबल नहीं है तो किसी एक आदमी को खुश करने के लिए सरकार को बेवजह पैसा खर्च नहीं करना चाहिए। यह केवल और केवल एक व्यक्ति को राजी करने के लिए लगाया गया था न कि इससे किसान को कोई लाभ मिलने वाला था। इसी तरह से इस बात को लेकर चर्चा भी हुई और सरकार ने यह दावा भी किया कि हमने दक्षिण हरियाणा की 300 टेलों पर पानी पहुंचाया है और बारी–बारी ये मुख्यमंत्री जी को वहां ले जा कर इस बात पर मोहर भी लगवाई गई कि मुख्यमंत्री जी ने जाकर टेल तक पानी पहुंचाने का काम किया लेकिन आज जो हालत है आज भी 200 से लेकर 250 टेल ऐसी हैं जहां एक बूंद पानी नहीं पहुंचा है। मेरे अपने विधान सभा क्षेत्र में ऐसे 15 गांव हैं जिनकी टेल पर अब तक पानी नहीं है। वे गांव राजस्थान के साथ सटे हुये हैं जहां पानी की बहुत बड़ी किल्लत है। आज तो एस.वाई.एल. नहर का मैं फिर जिक्र करूंगा तो फिर कोई पेंच फंस जायेगा और फिर कोई नई बात शुरू हो जायेगी लेकिन मैं यह अवश्य कहूंगा कि एस.वाई.एल. नहर हमारे लिए जीवन रेखा है। अगर एस.वाई.एल. नहर के लिए सरकार गम्भीर नहीं होगी और कोशिश नहीं करेगी तो फिर 100 फीसदी हरियाणा प्रदेश में आने वाले समय में पानी को लेकर बहुत बड़ी दिक्कत खड़ी हो जायेगी। आज न तो हमें सतलुज यमुना का पानी मिल पा रहा और न ही हांसी–बुटाना जो नहर बनी जिसको बने हुये आज के दिन मेरे ख्याल से 10–12 साल हो गये हैं, आज तक उसमें भी एक बूंद पानी नहीं आया है जबकि उस प्रोजैक्ट पर सरकार ने 600 करोड़ रुपये खर्च किये थे। उसके बाद भाखड़ा से जो अतिरिक्त पानी हम ले सकते हैं आज तक वह भी नहीं लिया गया बल्कि पिछले साल तो एक साल तक हमारा 1 हजार क्यूसिक पानी इसलिए हमें नहीं मिला कि जो साइफन बना हुआ था उस साइफन में कोई पेड़ फंस गया और उसको निकालने में भी सरकार ने पूरा

एक वर्ष लगा दिया। एक वर्ष तक 1 हजार क्यूसिक पानी हमें नहीं मिला। हमें जहां अतिरिक्त पानी लेना चाहिए था वहीं हमें हमारे हिस्से का पानी भी नहीं मिल पाया।

इसके साथ–साथ हिसार के जो किसान है वे पानी को लेकर लगातार 65 दिन से धरने पर बैठै हुए हैं जबकि टेल पर पानी पहुंचाने की बात की जाती है तो कहा जाता है कि हमने किसानों को टेल पर पानी दिया है । लेकिन फिर भी जो हिसार जिला के नलवा और आदमपुर हल्के के साथ लगते हुए दूसरे इलाके हैं, उनके लोग इसी पानी को लेकर 65 दिनों तक लगातार धरने पर बैठै रहे । अगर आप दक्षिण हरियाणा के किसानो की चिंता करते हो तो फिर हिसार के किसानों ने लम्बे समय तक लगातार धरना देकर, हजारों–हजारों की सख्या में लोगों ने इकट्ठे होकर जब धरने दिये, प्रदर्शन किए तो उनको यह कह कर खड़ा किया गया कि अगले 6 महीने में हम आपको किसी न किसी रूप से पानी पहुंचाने का काम करेगें। जबकि पानी की जरूरत तो उनको आज है? अब अगर उनको पानी नहीं मिलगा तो न तो आगे उनकी नई फसल की बुआई हो सकती है और न आज जो उनके खेतों में फसल खड़ी है वह पूरी तरह से पक सकती है इसलिए मुख्यमंत्री जी केवल और केवल यह कह कर कि हमने टेलों पर पानी पहुंचाया है, अपनी सरकार की पीठ थप–थपाने की बजाए जिनको वास्तव में पानी की आवश्यकता है उन लोगों तक पानी पहुंचाने का काम करें । जो लोग धरने पर बैठे हैं और काफी समय से पानी की मांग कर रहे है आप उनको पानी दो ताकि वह किसान अपने खेत की फसल को अच्छी तरह से पका सकें। आज स्वामी नाथन आयोग की रिपोर्ट की बात भी की गई है। आज सर्वोच्च न्यायालय में स्वामी–नाथन रिपोर्ट को लेकर जो जनहित याचिका लगाई गई है । उसको लेकर केन्द्र सरकार की तरफ से यह जवाब दिया गया था कि न तो हम इसे लागू कर रहे हैं और न ही इसको लागू किया जा सकता है। एक तरफ तो यह एफिडिवेट दिया जाता है और दूसरी तरफ हमारे कृषि मंत्री जी और सरकार के जो बाकी मंत्री हैं वह बारी–बारी से अपना ब्यान देते हैं कि हमने स्वामी–नाथन रिपोर्ट को लागू करना है और अब हमने उस को लागू करना भी शुरू कर दिया है । बल्कि यहां तक भी कहा गया है कि हमने तो किसान को लागत मूल्य से ज्यादा दिया है । जहां तक लागत मूल्य का सवाल है उसमें आर.टी.आई. के आधार पर लोगों ने जो जानकारियां जुटाई हैं वह अखबारों में भी छपी है । हमने जिन लोगों से जानकारियां ली हैं उसमें मैं आपको वर्ष 2016–17 का बता देता हूं कि गेहूं की जो उत्पादन लागत थी वह प्रति एकड़

के हिसाब से जो मिनीमम प्राईस दिया गया वह 1625 रूपये प्रति क्विंटल दिया गया और उसका जो लागत मूल्य था वह 2219 रूपये प्रति क्विंटल आता है । यह आंकड़े कोई मैंने नहीं जुटाए हैं । यह आंकड़े आर.टी.आई. के माध्यम से सरकार से लिए गये हैं और सरकार ने ही बताया है कि जो लागत मूल्य है वह ज्यादा है । सरकार किसान से जो फसल खरीद रही है उसके दाम किसान को कम मिल रहे हैं । इसी तरीके से अबकी बार आने वाले समय में कपास की जो खरीद की जाएगी ।

कृषि मंत्री (श्री ओम प्रकश धनखड़): अध्यक्ष महोदय, श्री ओम प्रकाश चौटाला जी बहुत अच्छे किसान थे । हम उनका भी नाम एक नाते से किसान मोर्चा में काम करते हुए किसानों को फसलों के दाम कैसे अच्छे मिलें इसके प्रयास में डाल देते हैं। पंजाब की भी किसी भी पार्टी की सरकार होती । महाराष्ट्र और आन्ध्रप्रदेश में किसी भी पार्टी की सरकार होती । देश में कुछ राज्य ऐसे हैं जो किसानों के बारे में बहुत अच्छा सोचते हुए किसानों को फसलों के दाम अच्छे कैसे मिलें इसका प्रयास करते रहे हैं। वर्ष 1966 में एक कृषि लागत मूल्य आयोग जो बना उसमें किसानों के मुनाफे का कोई प्रोसिजर ही नहीं रखा गया। आज 12 पैरामीटर्स हैं और उन 12 पैरामीटर्स में लागत है, इन्टरनैशनल मार्किट है, नैशनल मार्किट है, थोक बाजार का इन्डैक्स है, ऐसे ये सब हैं । इन राज्यों में जितने भी किसानों से प्रेम करने वाले लोग थे उन्होंने एक तरीका निकाला था कि हम लागत को ही ज्यादा बताते जाएं । चाहे चौटाला साहब के 5 साल देख लो । कांग्रेस पार्टी के 10 साल देख लो । हर बार यही रेशो है । सभी राज्यों ने लागत मूल्य बढ़ा चढ़ा कर बताई है । हमने भी कोशिश की है कि किसान होने के नाते से लागत मूल्य को बढ़ा चढ़ा कर बताएं । जिसमें प्रोफिट को तो जोड़ते ही नहीं है । यही एक ट्रेंड चलता रहा क्योंकि एम.एस.पी. में कोई गारंटी नहीं थी कि कोई प्रोफिट होगा । पहली बार यह हुआ है कि केन्द्र की सरकार ने यह गारंटी ली है कि आने वाली फसल की खरीद से हम प्रोफिट के साथ फसलों के दाम देंगे । स्वामी नाथन रिपोर्ट की जो आर्थिक सिफारिशें हैं उनमें जो सिफारिश थी वह 10 हजार रूपये प्रति एकड़ की थी हम उसको 12 हजार प्रति एकड़ दे रहे हैं। दूसरी सिफारिश इंपुट कोस्ट कम करने की थी तो हमने ब्याज जीरो परसेंट कर दिया और तीसरी आर्थिक सिफारिश केन्द्र को लागू करनी थी। जहां तक गन्ने की बात है तो हम पूरे देश में किसान को सबसे ज्यादा गन्ने का रेट दे रहे हैं। यह सरकार सभी काम

फैक्ट्स और फीगर्ज के आधार पर करती है। हमारी सरकार के अतिरिक्त यदि पिछले 10–15 सालों का डाटा उठाकर देखा जाये तो पता चल जायेगा कि हमारी सरकार ने क्या किया है और पिछली सरकारों ने किसानों के लिए क्या किया है? (शोर एवं व्यवधान)

श्री अभय सिंह चौटालाः अध्यक्ष महोदय, बात पिछले 10–15 साल की नहीं है। बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी के सत्ता में आने से पहले, भारतीय जनता पार्टी की तरफ से देश के किसानों के साथ जो वायदे किए गए थे, देश के प्रधानमंत्री के द्वारा उनके भाषणों में जो कही गई बातें थी, हमारे कृषि मंत्री ने अपने भाषणों में जो बातें कही थी, जिस ढंग से यह नंगें होकर आंदोलन व प्रदर्शन करते थे, मैं वह बात कह रहा हूँ। अध्यक्ष महोदय, मैं काम की बात कर रहा हूँ, कोई गलत बात नहीं कर रहा हूँ। वर्ष 2018 में गेहूं का जो न्यूनतम समर्थन मूल्य है वह केवल 1735/– रूपये प्रति क्विंटल है जबकि उसकी लागत आज भी 2050/– रूपये प्रति क्विंटल के हिसाब से आती है। एक तरफ तो वायदे किए जाते हैं कि स्वामीनाथन की रिपोर्ट को लागू करेंगे और वही दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट में एफिडेविट देते हैं कि स्वामीनाथन रिपोर्ट को लागू नहीं कर सकते और फिर एफिडेविट देने के बाद भी फिर सदन में यह बात दोहराते है कि स्वामीनाथन की रिपोर्ट को लागू कर रहे हैं। अगर सवामीनाथन रिपोर्ट को लागू कर रहे हैं तो फिर सुप्रीम कोर्ट में एफिडेविट किस लिए दिया गया? (विघ्न)

श्री ओम प्रकाश धनखड़ः अध्यक्ष महोदय, स्वामीनाथन रिपोर्ट के बारे में सदन में इतनी चर्चा हो चुकी है और बावजूद इसके फिर इस तरह के प्रश्न करना ठीक नहीं है, लेकिन चूंकि बात उठी है तो मैं एक बार फिर से माननीय नेता प्रतिपक्ष को बताना चाहूंगा कि स्वामीनाथन रिपोर्ट चार वोल्यूम की और यह कोई ऐसा रामायण या महाभारत का पवित्र ग्रंथ नहीं है कि इसमें निहित सभी बातों को स्वीकारा जाये। हमारी सरकार निःसंदेह स्वामीनाथन साहब की मुख्य सिफारिशों को मानते हुए काम कर रही है लेकिन ऐसा नहीं है कि स्वामीनाथन रिपोर्ट की ए–टू–जैड सभी बातों को माना जाये। स्वामीनाथन रिपोर्ट की वे मोटी–मोटी सभी सिफारिशें, जिनका जिक्र हमने अपने घोषणा पत्र में किया था, उन सबको हमारी सरकार बारी–बारी पूरा करती जा रही है।(शोर एवं व्यवधान) अध्यक्ष महोदय, स्वामीनाथन साहब खुद कह रहे हैं कि हमारी सरकार किसानों के हित में अच्छा कार्य कर रही है।

स्वामीनाथन जी हमारी प्रशंसा कर रहे हैं और इनको चिंता हो रहीं है।(शोर एवं व्यवधान)

श्री अभय सिंह चौटालाः अध्यक्ष महोदय, हमारी चिता तो वाजिब है लेकिन इन लोगों को तो किन्हीं अन्य चीजों की चिंता हो रही है। इनको जिन चीजों की चिंता है उन सभी की जानकारियां भी मेरे पास मौजूद हैं। अगर स्पीकर साहब आप मुझे थोड़ा सा और समय दे दें तो मैं इन सबकी उन चिंताओं के बारे में भी बता दूंगा। (शोर एवं व्यवधान)

श्री ओम प्रकाश धनखड़ः अध्यक्ष महोदय, आज आप इनको समय दे ही दो ताकि यह कोई भी बात केवल इसलिए मन में रखकर न जायें कि इनको समय नहीं दिया गया। मेरा अनुरोध है कि जितना अभय जी समय मांगे, उतना समय इनको दे दें ताकि यह हमारी सारी चिंताए बताकर जायें। कम से कम इनका तनाव तो कम हो जायेगा। आप इन्हें समय देकर इनके तनाव को कम व इन्हें चितांमुक्त करने का काम तो कर ही दें। (शोर एवं व्यवधान) अध्यक्ष महोदय, हम पूरी तरह से चिंता मुक्त हैं। हमारी सरकार किसानों के हित में अच्छा काम कर रही है। हमसे अच्छा इस समय कोई नहीं कर रहा है यही अभय जी की मुख्य चिंता है। (शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्षः अभय जी, आप अपनी बात रखिए। (शोर एवं व्यवधान)

श्री अभय सिंह चौटालाः स्पीकर सर, जहां तक कानून एवं व्यवस्था की बात है, कमाल की बात तो यह थी कि महामहिम का जो अभिभाषण था उसमें कानून एवं व्यवस्था का कहीं कोई जिक्र नहीं किया गया है। सिर्फ होम के उपर थोड़ा बहुत इसमें लिखा हुआ है। अलग से कानून एवं व्यवस्था के बारे में कुछ भी नहीं कहा गया है। आज हमारे प्रदेश की कानून एवं व्यवस्था की बहुत बुरी हालत है। रोज अखबारों में खराब कानून एवं व्यवस्था के बारे में खबरें छपती रहती है। मेरे से पहले बालेने वालों ने इस संबंध में सारी बातें सदन में कही हैं। मैं भी कानून एवं व्यवस्था के बारे में कहूंगा लेकिन केवल जुबानी बात कहने वाला नहीं हूँ। मेरे पास पांच महीने अर्थात मई से लेकर दिसम्बर तक का हरियाणा स्टेट क्राईम ब्यूरों का एक रिकॉर्ड है जिसको मैं पढ़कर सदन में सुनाउंगा तो पता चल जायेगा कि आज किस तरह के कानून एवं व्यवस्था के खराब हालात प्रदेश में हैं। आज कानून एवं व्यवस्था पर सबसे ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है और उसके बाद पानी का विषय

सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण विषय है। जहां तक कानून व्यवस्था की हालत है, तो हरियाणा स्टेट क्राईम ब्यूरों का यह रिकॉर्ड बताता है कि हरियाणा प्रदेश में मई महीने में 102, जून में 90, जुलाई में 87, अगस्त में 96, सितम्बर में 82, अक्टूबर में 74, नवम्बर में 79 और दिसम्बर में 90 कुल मिलाकर इन 9 महीनों में 700 हत्यायें हुई है। इसी तरह से प्रदेश में इन 9 महीनों में हत्या करने के 601 प्रयास हो चुके हैं। इसके बाद प्रदेश में बलात्कार की घटनाएं सबसे ज्यादा हुई हैं । ये घटनाएं अखबार की सबसे ज्यादा सुर्खियां बनी हुई हैं । इनकी वजह से सारे देश में हमारे हरियाणा की बदनामी हो रही है । एक–एक दिन में बलात्कार की घटनाओं के 2–2, 3–3 घिनौने मामले सामने आ रहे हैं । पिछले दिनों एक हफ्ते में बलात्कार के 14–15 मामले सामने आये हैं । इनको लेकर हमारे प्रदेश की सरकार के बारे में कहा गया था कि सरकार पूर्ण रूप से फेल हो चुकी है । सरकार न तो ऐसे घिनौने काण्ड करने वालों को पकड़ने में कामयाब हो पा रही है और न ही ऐसे काण्डों को रोकने में कामयाब हो पा रही है । पिछले 9 महीनों में बलात्कार के कुल 875 मामले सामने आये हैं । ये आंकड़ें तो सिर्फ 9 महीनों के हैं । अगर ऐसे ही चलता रहा तो जब पूरे साल के आंकड़ें आएंगे तो यह आंकड़ा एक हजार के पार चला जाएगा । अगर अपहरण की घटनाओं की बात की जाए तो इन 8–9 महीनों में अपहरण के 2,976 मामले सामने आये हैं । डकैती के कुल 125 मामले सामने आये हैं और लूटपाट के 4,934 मामले सामने आये हैं । इसके अलावा सेंधमारी और चोरी के 16,573 मामले, दंगे–फसाद की 1,823 घटनाएं और आगजनी की 179 घटनाएं सामने आई हैं । अनुसूचित जाति के गरीब लोगों के खिलाफ इन 9 महीनों में अपराध के 599 मामले सामने आये हैं । इसके अलावा छोटे बच्चों के खिलाफ होने वाले अपराधों की संख्या 2,155 है जिन पर सरकार अंकुश लगाने में असफल हुई है । राज्यपाल अभिभाषण में प्रदेश की कानून व्यवस्था का कहीं जिक्र नहीं किया गया है । मुझे लगता है कि इसका जिक्र इसलिए नहीं किया गया क्योंकि इससे सरकार को अपनी पोल खुलने का डर था । इसके अलावा महिलाओं के खिलाफ होने वाले अपराधों की संख्या भी कम नहीं है । इस सरकार ने 'बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ' का नारा दिया है लेकिन महिलाओं के खिलाफ अपराध के कुल 9,399 मामले सामने आये हैं । इसी तरह इन 9 महीनों में सड़क दुर्घटनाओं के कुल 7,294 मामले सामने आये हैं । सरकार प्रदेश कानून व्यवस्था को बिगाड़ने वाली इन घटनाओं को रोक नहीं पाई है । एक तरफ तो सरकार सारे देश और

विदेशों में घूम–घूमकर उद्योगपतियों को हरियाणा में उद्योग–धंधे लगाने के लिए निमन्त्रित कर रही है और दूसरी तरफ अपने प्रदेश की कानून व्यवस्था को ठीक नहीं कर पा रही है । (विघ्न)

श्री अध्यक्ष : अभय सिंह जी, आपको बोलते हुए काफी समय हो चुका है, इसलिए अब आप प्लीज वाइंड अप कर लीजिए । (विघ्न)

श्री अभय सिंह चौटाला : अध्यक्ष जी, मैं सिर्फ एक मिनट और लूंगा । अध्यक्ष जी, पिछले दिनों सरकार ने एक चिंतन शिविर लगाया था । सरकार ने यह शिविर हरियाणा की बजाय हिमाचल प्रदेश में लगाया । मैं इस चिन्तन शिविर की बात इसलिए कर रहा हूं क्योंकि इसका राज्यपाल अभिभाषण में जिक्र किया गया है । अगर राज्यपाल अभिभाषण में इसका जिक्र न होता तो मैं इस पर बात नहीं करता क्योंकि फिर यह आपकी पार्टी की आंतरिक बात होती और इसे आप अपनी मनमर्जी से कहीं भी आयोजित कर सकते थे । इस चिन्तन शिविर के बारे में सरकार ने कहा कि यह परिवर्तन के लिए लगाया गया था । मेरा आपके माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी से कहना है कि हरियाणा प्रदेश की जनता ने परिवर्तन लाने के लिए कल हमारी पार्टी की रैली में मुहर लगा दी है । ऐसी ही मुहर प्रदेश की जनता ने 15 फरवरी को भी लगाई थी । अगले चुनाव में इण्डियन नैशनल लोकदल सत्ता में आएगी । (शोर एवं व्यवधान) भाजपा का एक भी सदस्य चुनकर विधान सभा में नहीं आयेगा । (शोर एवं व्यवधान)

स्हकारिता राज्य मंत्री (श्री मनीष कुमार ग्रोवर) : अध्यक्ष जी, अभय सिंह जी विपक्ष के नेता हैं । अभी इन्होंने प्रदेश की कानून–व्यवस्था के बारे में बताया है । मैं इनको इनके समय की याद दिलाना चाहता हूं इनके राज में जेलों में बैठे हुए लोग पॉलिटिकल शह पर फिरौती मांगते थे और उद्योगपतियों ओद्योगिक संस्थानों के सामने खड्डे खोदे जाते थे । (शोर एवं व्यवधान)

श्री अभय सिंह चौटाला : अध्यक्ष जी, अभी माननीय मंत्री जी ने हम पर आरोप लगाए हैं । मेरा कहना है कि ये इन आरोपों की सत्यता के लिए सबूत पेश करें । (शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : माननीय मंत्री जी, आप प्लीज बैठिये । (शोर एवं व्यवधान)

वित मंत्री (कैप्टन अभिमन्यु) : अध्यक्ष जी, इनके राज में शहर दहशत में रहते थे और प्रदेश में खुलेआम गुण्डागर्दी का आलम था । यह हमने स्वयं देखा है । अतः माननीय मंत्री जी गलत बात नहीं कह रहे हैं । (शोर एवं व्यवधान)

श्री अभय सिंह चौटाला : अध्यक्ष जी, माननीय मंत्री मनीष कुमार ग्रोवर जी ने अभी जो आरोप लगाए हैं मैं पूछता हूं कि इनके पास इसके क्या सबूत हैं ? आप इनसे माफी मंगवाइये और इन आरोपों को सदन की कार्यवाही से निकलवाइये । (शोर एवं व्यवधान)

श्री मनीष कुमार ग्रोवर : अध्यक्ष जी, आप मेरे द्वारा लगाए गए आरोपों की सत्यता के लिए इतिहास निकलवाकर देख लीजिए । मैं माफी नहीं मांगूंगा । (शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : अभय सिंह जी, आप कहते हैं कि इन आरोपों को भी सदन की कार्यवाही से निकलवा दो । इस तरह अगर कोई सदस्य राजनैतिक बात कहेगा तो भी आप कहेंगे कि इसको भी सदन की कार्यवाही से निकलवा दो । इस तरह से सदन की कार्यवाही से सारी चीजें नहीं निकलवाई जा सकती । (शोर एवं व्यवधान)

श्री अभय सिंह चौटाला : अध्यक्ष महोदय, यह आपकी सरकार की एक सोची–समझी चाल है । मेरा कहना है कि इस तरह से फिर माननीय मुख्य मंत्री महोदय को अपना जवाब देते हुए दिक्कत आएगी । हमने सदन में सारी बातें सबूत के साथ रखी हैं । आप इस तरह से सदस्यों को खड़ा कर देते हो ताकि हाउस का समय बर्बाद हो । (शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : अभय सिंह जी, इस तरह से तो कोई आदमी पॉलिटिकल बात कह ही नहीं पाएगा । आप तो सदन में कही गई हर बात को रिकॉर्ड से निकलवाना चाहते हो । (शोर एवं व्यवधान)

श्री अभय सिंह चौटाला : अध्यक्ष जी, मेरा कहना है कि अगर हमारे राज में किसी भी जेल में बैठे लोगों से फिरौती दिलवाई गई हो तो इसके सबूत दिखाए जाएं । (शोर एवं व्यवधान)

श्री मनीष कुमार ग्रोवर : अध्यक्ष जी, मैं वर्ष 1999 के अखबारों में छपी हुए खबरों की कटिंग लाकर हाउस में पेश कर दूंगा कि चौटाला की सरकार की शह में जेल में बैठे हुए लोग फिरौती मांगते थे और उद्योगपतियों की ओद्योगिक इकाइयों के सामने खड्डे खोदे जाते थे । मुझे इनका यह चैलेंज कबूल है । (शोर एवं व्यवधान)

श्री अभय सिंह चौटाला : अध्यक्ष जी, यह तो आपने विषय से भागने का तरीका ढूंढ लिया है । यह भागने वाली बात है । (शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : अभय सिंह जी, आपने अपनी सारी बातें कह ली । मुझे लग रहा है कि अब जब सरकार का जवाब सुनने का समय है तो आप वॉक आउट करना

चाहते हैं । आप जवाब सुनना नहीं चाह रहे हैं । आप प्लीज बैठिये । (शोर एवं व्यवधान)

श्री अभय सिंह चौटाला : अध्यक्ष जी, मेरा कहना है कि हम पर जो आरोप लगाये गये हैं इन आरापों के सबूत सदन में पेश किये जाएं । (शोर एवं व्यवधान)

श्री मनीष कुमार ग्रोवर : अध्यक्ष जी, मैं वर्ष 1999–2000 के अखबारों की कटिंग लाकर सबूत के रूप में सदन में पेश कर दूंगा । हमें इनका चैलेंज कबूल है । (शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : अभय सिंह जी, मैंने आपको बोलने के लिए पूरा समय दिया है । आपने अपनी सारी बातें कह दी । अब माननीय मुख्य मंत्री महोदय का जवाब देने का समय है लेकिन अब आप सदन से भागना चाह रहे हैं । (शोर एवं व्यवधान) अब आप प्लीज बैठ जाइये । अब सदन के नेता जवाब दे रहे हैं ।

श्री अभय सिंह चौटाला : अध्यक्ष जी, कुछ माननीय सदस्य बेवजह ही चिंगारी लगाते हैं । अगर वे सदन में बोलने के लिए खड़े हों तो उन्हें कुछ ढंग की बात तो कहनी चाहिए । अतः आप इनको सही बात कहना सिखाइये । (शोर एवं व्यवधान)

मुख्यमंत्री (श्री मनोहर लाल): अध्यक्ष महोदय, यह इस सरकार का चौथा बजट सत्र है और इस सत्र का प्रारंभ महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण से किया है (विघ्न)।

श्री नसीम अहमदः अध्यक्ष महोदय, मेरा आपसे अनुरोध है कि हमें बोलने के लिए समय दिया जाए (विघ्न)।

श्री अध्यक्षः नसीम जी, प्लीज आप बैठ जाएं। सभी माननीय सदस्यों को बजट पर बोलने के लिए समय दिया जाएगा (विघ्न)।

श्री रणबीर गंगवाः अध्यक्ष महोदय, मेरा आपसे अनुरोध है कि हमें भी बोलने के लिए समय दिया जाए (विघ्न)।

श्री अध्यक्षः सभी माननीय सदस्यों को बोलने के लिए समय दिया जाएगा।

श्री नसीम अहमदः अध्यक्ष महोदय, हमें भी बोलने के लिए समय मिलना चाहिए (विघ्न)।

श्री मनोहर लालः अध्यक्ष महोदय, महामहिम राज्यपाल महोदय ने सरकार की ओर से अपना अभिभाषण पढ़ा। मैं इस अवसर पर अभिभाषण पढ़ने पर उनका आभार प्रकट करता हू (विघ्न)।

श्री नसीम अहमदः अध्यक्ष महोदय, आप हमें भी बोलने का मौका दें।

श्री अध्यक्षः नसीम जी, आपकी पार्टी के 2 माननीय सदस्य ही बोल सकते थे और आप नहीं बोले, परन्तु आपकी पार्टी के नेता 96 मिनट तक बोले हैं। इस बात का इलाज मेरे पास नहीं है। इस बारे में आप अपने नेता से बात करें। (विघ्न) अगर आप बाहर जाना चाहते हैं तो वह अलग बात है। बजट पर आपको बोलने के लिए टाईम दिया जाएगा। आपके सभी माननीय सदस्यों को बोलने के लिए समय दिया जाएगा। आपकी पार्टी के नेता ने ही बोलने के लिए डिसाईड किया था इसलिए आप बैठ जाईये (विघ्न)।

श्री कृष्ण कुमार बेदीः अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य आपके खड़े होने के बाद भी बोल रहे हैं (विघ्न)।

सरदार जसविंन्द्र सिंह संधूः अध्यक्ष महोदय, हमें भी सदन में बोलने का हक है, इसलिए हमें बोलने के लिए समय दिया जाना चाहिए (विघ्न)।

श्री अध्यक्षः संधू जी और नसीम जी, आप बैठ जाएं नहीं तो आपको नेम करना पड़ेगा। यह बात आपके नेता ने डिसाईड की थी कि आपकी पार्टी के किस माननीय सदस्य को बोलना है। अगर आपकी पार्टी के नेता नहीं चाहेंगे तो आप कैसे बोल सकते हैं ?

श्री केहर सिंह : अध्यक्ष महोदय, आपको हमारी बात सुननी पड़ेगी।

शिक्षा मंत्री (श्री राम बिलास शर्मा) : केहर सिंह जी, प्लीज आप बैठ जाईये (विघ्न)।

श्री अध्यक्षः संधू जी, आपकी पार्टी का कौन–सा माननीय सदस्य सदन में बोलेगा यह आपकी पार्टी के नेता डिसाईड करेंगे। आपकी पार्टी के नेता 96 मिनट बोल चुके हैं (विघ्न)।

सरदार जसविन्द्र सिंह संधूः अध्यक्ष महोदय, आप हाउस के कस्टोडियन हैं। हमें भी बोलने के लिए समय दिया जाना चाहिए (विघ्न)।

श्री अध्यक्षः संधू जी, आपकी पार्टी के नेता 96 मिनट बोल चुके हैं। (विघ्न) बजट पर सभी माननीय सदस्यों को बोलने के लिए टाईम दिया जाएगा। (विघ्न) अगर आपकी पार्टी के नेता बजट पर भी 96 मिनट बोलेंगे तो मैं क्या कर सकता हूं (विघ्न)

सरदार जसविन्द्र सिंह संधूः अध्यक्ष महोदय, बजट पर बोलने के लिए हमारा हक बनता है (विघ्न)।

श्री अध्यक्षः संधू जी, आपकी पार्टी के दो माननीय सदस्य बोल चुके हैं। इसलिए प्लीज आप बैठ जाएं। माननीय श्री अभय सिंह जी ने कहा था कि वे पार्टी की तरफ से स्वंय बोलेंगे, तो मैं कैसे मना कर सकता हूं । वे आपकी पार्टी के नेता भी हैं और लीडर ऑफ दा अपोजीशन भी है (विघ्न)।

श्री अभय सिंह चौटालाः अध्यक्ष महोदय, बिजनैस एडवाईजरी कमेटी की मीटिंग में इस बात को लेकर फैसला हुआ था (विघ्न)।

श्री ओम प्रकाश धनखड़ः अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्यों की बातों से ऐसा लगता है कि इनको अपनी पार्टी के नेतृत्व पर भरोसा नहीं रहा है (विघ्न)। अभय सिंह जी माननीय सदस्यों को समझाएं कि वे आपके नेतृत्व पर भरोसा करें। आपके बोलने के टाईम देने पर भी हल्ला कर रहे हैं (विघ्न)।

सरदार जसविन्द्र सिंह संधूः अध्यक्ष महोदय, मैं चार बार विधायक रह चुका हूं और मुझे विधान सभा की प्रोसिडिंग के बारे में पता है। हमारा बोलने का हक बनता है।

श्री अभय सिंह चौटालाः अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी गुस्से में बात कर रहे हैं यह गलत बात है इसलिए आप इन्हें कहें कि आराम से बताएं।

श्री अध्यक्षः अभय सिंह जी, ऐसी कोई बात नहीं है। माननीय मंत्री जी आराम से ही बता रहे हैं।

श्री ओम प्रकाश धनखड़ः अध्यक्ष महोदय, मैंने तो यही बात कही है कि माननीय नेता प्रतिपक्ष को बोलने के लिए पूरा टाईम दिया जाए। माननीय सदस्यों को आप पर भरोसा करना चाहिए।

श्री अभय सिंह चौटालाः अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य को सदन में बोलने का अधिकार है (विघ्न)।

श्री अध्यक्षः अभय सिंह जी, अब आप बैठ जाएं। मैंने आपको बोलने के लिए बहुत समय दिया था।

श्री जसविंद्र सिंह संधूः अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि क्या हमें सदन में बोलने का कोई हक नहीं है।

श्री अध्यक्षः संधू जी, आपको सदन में बोलने का हक है। आपकी पार्टी को बोलने के लिए जो समय दिया जाता है, उस समय में आपके पार्टी का कोई एक विधायक बोले या फिर सारे विधायक बोले, यह तो आप लोगों के ऊपर डिपेंड करता है।

श्री जसविंद्र सिंह संधूः अध्यक्ष महोदय, ठीक है।

श्री अभय सिंह चौटालाः अध्यक्ष महोदय, मैं बताना चाहूंगा कि परसों की ही बात है, जब आपकी तरफ से यह मैसेज आया कि जो नॉन–ऑफिशियल डे रखा गया है, उसको ऑफिशियल डे में कन्वर्ट कर दिया जाए ताकि हर मैम्बर को बोलने का मौका मिल जाए। अध्यक्ष महोदय, यह बात आपकी खुद की कही हुई है, इसलिए हम कह रहे हैं कि हमें बोलने दिया जाए।

श्री अध्यक्षः अभय जी, अगर कोई मैम्बर लगातार 96 मिनट बोलता है तो हम उसे बोलने के लिए और समय कैसे दे सकते हैं ?

श्री नसीम अहमदः अध्यक्ष महोदय, मैं चाहता हूं कि आप हर पार्टी का सदन में बोलने का समय निकलवा दें, जिससे यह पता चल जाएगा कि किस पार्टी को कितना–कितना बोलने का समय दिया गया है ?

श्री अध्यक्षः नसीम जी, आपकी जानकारी के लिए मैं बताना चाहूंगा कि आपकी पार्टी का बोलने का समय 132 मिनट है और कांग्रेस पार्टी का 130 मिनट है।

श्री अभय सिंह चौटालाः अध्यक्ष महोदय, मैं चाहता हूं कि आप मेरी पार्टी के विधायकों को कम–से–कम 2–2 मिनट का समय ही दे दीजिए।

श्री अध्यक्षः अभय जी, अब मुख्यमंत्री जी के रिप्लाई का समय हो गया है अब उन्हें बोलने दें।

श्री अभय सिंह चौटालाः अध्यक्ष महोदय, ठीक है। आप आज हमें बोलने का समय न दें, लेकिन मैं चाहता हूं कि आप हमें बजट पर बोलने के लिए पूरा समय दें।

श्री अध्यक्षः ठीक है। अभय जी, आप बोलने में थोड़ा–सा परहेज कर लेंगे तो आपके पार्टी के सारे मैम्बर्ज बोल लेंगे और आपकी भी यह इच्छा होती है कि आपके सारे मैम्बर्ज बोलें।

मुख्यमंत्री (श्री मनोहर लाल) : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सदन को बताना चाहूंगा कि 5 मार्च, 2018 को महामहिम राज्यपाल महोदय ने अपने अभिभाषण के द्वारा इस बजट सत्र की शुरुआत की थी। अध्यक्ष महोदय, उन्होंने अपने अभिभाषण में इस सरकार की जो भी वर्तमान उपलब्धियां और योजनाएं हैं, जो भी दिशा है, जो भी रीति–नीति है, उन्होंने उसका सारगर्भित वर्णन किया था। इसके लिए मैं पूरे सदन की ओर से उनका हार्दिक धन्यवाद करता हूं। (मेंजें थप–थपाई गईं) अध्यक्ष महोदय, इस सदन में लगातार अपने परिसंवाद से समूचे हरियाणा प्रदेश की सामाजिक संवेदना को ध्यान में रखते हुए जो भी कुछ अच्छे सुझाव आते हैं उस पर सरकार अपना काम करती है । सरकार के काम में विपक्षी दलों द्वारा बहुत सी आलोचनाओं की बातें सामने आती हैं। अध्यक्ष महोदय, विपक्ष का काम ही आलोचना करना है, लेकिन मेरा उसमें मत है कि अगर सकारात्मक आलोचना के द्वारा यह विषय सामने आते रहे तो निश्चित रूप से सत्तापक्ष को भी इसका लाभ मिलता रहेगा और विपक्ष भी अपनी जिम्मेवारी की भूमिका निभाता रहेगा। अध्यक्ष महोदय, जो हमारे विपक्षी दल हैं इन्होंने कई–कई वर्षों तक अपनी सरकारें चलाई हैं। यह अलग बात है कि इनकी पिछली जितनी भी सरकारों का कार्यकाल रहा उसमें जो इन्होंने किया उसकी कार्य–प्रणाली को देखकर जनता ने इन्हें नकार दिया और इनको आज विपक्ष में बैठना पड़ा। अध्यक्ष महोदय, मैं बताना चाहूंगा कि विपक्ष की भी अपनी भूमिका होती है और अपना–अपना दायित्व सभी निभाते हैं । यदि विपक्ष के सदस्य भी अपनी भूमिका ठीक ढ़ंग से सकारात्मक निभाते रहेंगे तो सदन के समय की बरबादी नहीं होगी लेकिन आज विपक्ष के सदस्य अपने समय को भूलकर वर्तमान में क्या हो रहा है उसकी चर्चा करते हैं । उनके समय में क्या हुआ और आज क्या हो रहा है यदि वे उसकी तुलनात्मक चर्चा आंकड़ों के साथ करेंगे तो अच्छा रहेगा । हमें यहां तुलनात्मक चर्चा करनी होगी । पिछली सरकारों के समय में सब कुछ ठीक होता था और गलत कुछ नहीं होता था तथा आज सब कुछ गलत हो रहा है और ठीक कुछ नहीं होता, ऐसी सोच रखना ठीक नहीं है । हो सकता है आज भी कुछ कठिनाईयां हों । कुछ कठिनाई अपने हाथ में नहीं होती जो अपने आप आ जाती हैं। समाज के विभिन्न वर्गों की कुछ

मांगे और इच्छायें होती हैं तथा कुछ संसाधनों का विषय भी होता है । एक अच्छे से अच्छी योजना बनाने में सरकार ने क्या भूमिका निभाई उसको सामने रख कर विपक्ष के साथी यहां व्यवहार करेंगे तो अच्छा रहेगा और एक अच्छी दिशा में हम आगे बढ़ेंगे । हम जब सरकार में आये उससे पहले चुनावों के समय हमने भी पॉलिटिकल पार्टी के नाते अपना मैनीफैस्टो जारी किया था । उस समय मैनीफैस्टो जारी करते समय यह जरूर आज हमारे ध्यान में आता है कि पिछली सरकारों का कार्य करने का जो भी सिस्टम था उसको यह मानकर कि बहुत अनुभवी लोग हैं, बहुत कुछ ठीक रास्ते बनाये होंगे और हम भी उन्हीं रास्तों पर चलकर समाज की समस्याओं का हल करेंगे लेकिन जब सागर में डुबकी लगाई जाती है तब पता चलता है, तैरना कैसे है ? हमारी सरकार बनी और हम व्यवस्थाओं को संभालने लगे तो हमें सभी व्यवस्थाएं सड़ी–गली मिली । उसके बाद हमारी सबसे पहली प्राथमिकता व्यवस्थाएं परिवर्तन करने की हो गई थी। चार सड़कें बन जायें, दो पुल बन जायें, कुछ स्कूल की बिल्डिंग खड़ी हो जायें ये विकास के नाते देखने के लिए कुछ बातें हो सकती हैं लेकिन विकास के साथ–साथ व्यवस्थाओं को सुधारना भी सरकार की जिम्मेवारी होती है । जो व्यवस्थाएं हैं उन व्यवस्थाओं में सरकार चलाने वालों का व्यवहार और उस व्यवहार के कारण जनता के ऊपर मार, ये जो सब चीजें ध्यान में आई उसमें चाहे पिछली सरकार का दस साल का कार्यकाल हो या उससे भी पहले वाली सरकार हो जिसको हमारी पार्टी भी समर्थन देती रही या उससे पिछली सरकार जिसमें हमारी पार्टी सरकार में भागीदार थी । बहुत सी ऐसी चीजें जिन्हें हमारा ठीक करने का मन किया उस नाते से उनको हमने ठीक किया है। आज मैं सभी विधायकों से एक बात पूछना चाहूंगा कि जब पहले आप अपने–अपने क्षेत्र से चण्डीगढ़ के लिए निकलते थे तो उस समय 5 से 10 चिट अध्यापकों के ट्रांसफर्ज की होती थी । इसमें हमारे विधायक भी शामिल थे । हमारी सरकार आने के बाद हमने उस पर काम किया और आज 80 हजार अध्यापक ऐसे हैं जिनको ट्रांसफर करवाने की पर्ची पकड़ाने की जरूरत नहीं है । मैं विपक्ष के साथियों से ही पूछता हूं, क्या आज उन्हें अध्यापक ट्रांसफर की पर्चियां पकड़ाते हैं? ऐसा संभव इसी कारण हुआ है कि हमारी सरकार ने बहुत अच्छी ट्रांसफर पॉलिसी अध्यापकों की बनाई है । हमारी सरकार आने से पहले जो भर्तियां सरकारी नौकरियों में होती थी उन भर्तियों के लिए क्या–क्या लोग नहीं करते थे यह सभी को मालूम है । उस समय लोग विधायक/मंत्री / मुख्यमंत्री की सिफारिश ढूढ़ते

थे या बीच में कोई दलाल ढूढ़ते थे । दलाल शब्द कहते हुए मुझे बड़ी कठिनाई जरूर होती है । क्योंकि नौकरियों में दलाल का कोई काम नहीं हो सकता । (विघ्न)दलाल नाम है वह अलग बात है। पहले नौकरियों में यह प्रचलित शब्द होता था उसकी बात कर रहा हूं । (विघ्न) अध्यक्ष महोदय, आज हमने ऐसी व्यवस्थाऐं बनाई हैं कि प्रदेश में युवाओं में एक विश्वास बना है कि सरकारी नौकरी लेनी है तो पढ़ना पड़ेगा । पहले कोचिंग सैंटर खाली रहते थे क्योंकि सिफारिश से नौकरियां मिलती थी लेकिन अब कोचिंग सैंटर्ज में फैकल्टी से ज्यादा स्टूडैंट कोचिंग ले रहे हैं । इस तरह की व्यवस्था बनाने में हमें कठिनाई आई और बहुत लोग नाराज हुए । हमारे अपने भी नाराज हुए । क्योंकि पहले से सिफारिश से नौकरियां देने की परम्पराएं चल रही थी । हमने कहा यह सरकार पॉलिटिकल पार्टी ने जरूर बनाई है । सहयोगियों ने सहयोग किया है जो भी निर्दलीय विधायक हैं उन्होंने भी सरकार बनाने में सहयोग किया है लेकिन यह सरकार केवल इस पार्टी की नहीं है बल्कि हरियाणा की अढ़ाई करोड़ जनता की सरकार है । हमने शुरू में ही संकल्प ले लिया था कि हम पूरे प्रदेश की भलाई के लिए कार्य करेंगे । जैसा कि हमारा नारा है सबका साथ–सबका विकास उसी अनुरूप में हम कार्य कर रहे हैं । जैसा कुलदीप जी कह रहे थे हमने हरियाणा एक–हरयाणवी एक का नारा दिया है । यह बात हम मानते हैं और बड़े दम–खम से कहते हैं कि हम प्रदेश की जनता के साथ किसी तरह का भेदभाव नहीं करेंगे । जबकि पहले वाली सरकारों में जनता के साथ भेदभाव होता था । मेरी इस बात को कोई नहीं मानेंगे लेकिन कहते हैं कुछ तथ्य होते हैं और कुछ परजैशन होती हैं । परजैशन को ही बनाना होता है और तोड़ना होता है । पहले एक परजैशन बन गई थी कि जिस एरिया से मुख्यमंत्री बनते थे वे अपने–अपने जिले की सरकार चलाते थे । कई बार हमारे मनीष जी को तकलीफ हो जाती है कि पहले रोहतक की सरकार थी और रोहतक में कुछ भी कार्य नहीं हुए इसलिए यह कहना गलत है कि जिस जिले का मुख्यमंत्री होता है वहां काम होते थे। (विघ्न) हमने यह घोषणा की है कि पूरा हरियाणा अपना है । आज मैं मुख्यमंत्री हूं और मैंने करनाल के लोगों को कहा है कि मुख्यमंत्री विकास योजनाओं से जो कार्य पूरे हरियाणा में होंगे वे कार्य करनाल में भी होंगे । यदि मुझे बिना बताये कोई मंत्री अपनी तरफ से करनाल में अलग से कार्य करवा दे वह अलग बात है लेकिन मुख्यमंत्री विकास योजना से पूरे प्रदेश में समान कार्य होंगे । पूरे प्रदेश में जो कार्य होंगे वे कार्य करनाल में भी होंगे । विकास कार्य में

करनाल किसी से पीछे नहीं रहेगा । आज हमने यह परजैशन बनाई है कि मैंने सभी विधान सभा क्षेत्रों का दौरा किया है और वहां विकास कार्यों की एनाउंसमैंट की है । आज विपक्ष के साथी भी कह रहे हैं कि उनके यहां मुख्यमंत्री एनाउंसमैंट करके आये थे और उन पर कार्य हो रहे हैं । उनमें कुछ कमियां हैं तो वे विपक्ष के साथी ही बतायेंगे । अच्छा यही होगा सभी सदस्य अपने–अपने विधान सभा क्षेत्र का रिकार्ड निकलवाकर देख लें कि किस–किस क्षेत्र में कितने–कितने काम हुए हैं ? कुछ नैशनल हाई वे जैसे सांझे प्रोजैक्ट होते हैं जिनका जो रूट होता है उसी एरिया से निकलते हैं उन्हें हर जिले से नहीं जोड़ा जा सकता । स्थानीय कामों की हमने हर जिले में एक समान घोषणाएं की हैं । आज तक मैंने करीबन 4500 सी. एम. एनाउंसमैंट की हैं । यदि हम पिछले वर्ष की बात करें तो 3500 सी.एम. एनाउंसमैंट्स में से 3200 एनाउंसमैंट या तो पूरी हो गई हैं या उन पर काम चल रहा है । 3500 में से मात्र 300–350 के करीब एनाउंसमैंट ऐसी हैं जो किन्हीं कारणों से शुरू नहीं हो पाई हैं । (विघ्न)

श्री अभय सिंह चौटाला : अध्यक्ष महोदय, क्या मुख्यमंत्री जी अपनी घोषणाओं के बारे में श्वेत पत्र जारी करेंगे ताकि सभी को मालूम हो जाये कि इन पर कितना कार्य हुआ है ?

श्री मनोहर लाल : अध्यक्ष महोदय, इन घोषणाओं की पूरी जानकारी सरकारी वेबसाईट पर उपलब्ध है । वहां से पूरी डिटेल मिल जायेगी ।

श्री अभय सिंह चौटाला : अध्यक्ष महोदय, सदन के नेता कह रहे हैं कि उन्होंने जो घोषणाएं की हैं उनमें से 3200 घोषणाएं या तो पूरी हो गई हैं या उन पर काम चल रहा है । सरकार के पास उनका पूरा रिकार्ड है क्या सोमवार को सरकार इनका पूरा रिकार्ड सदन के पटल पर रखेगी ताकि सदस्य बता सकें कि उनके यहां कौन–कौन सी घोषणा पर काम हो रहा है । यदि इन पर सदन में चर्चा हो जायेगी तो बहुत अच्छा रहेगा ।

श्री मनोहर लाल : अध्यक्ष महोदय, हमारे पास पूरा रिकार्ड है और हम हल्कावाईज मेरी घोषणाओं का पूरा रिकार्ड सदन के पटल पर सोमवार को रख देंगे ।

श्री राम चन्द कम्बोज : अध्यक्ष महोदय, मुख्यमंत्री जी अभी कह रहे हैं कि 3200 घोषणाएं या तो पूरी हो गई हैं या क्रियान्वयन के अंतिम चरण में हैं । लेकिन राज्यपाल महोदय के अभिभाषण में लिखा हुआ है कि 2996 घोषणाएं या तो लागू

हो गई हैं या क्रियान्वयन के अंतिम चरण में हैं । इनमें यह अंतर कहां से आ गया है ।

श्री मनोहर लाल : अध्यक्ष महोदय, 3200 नहीं तो विपक्ष के साथी 2996 तो मान रहे हैं । इनसे भी इनको संतुष्ट होना चाहिए । अगर हम हर घटना को राजनैतिक रंगत देने की बजाय मर्यादाओं को कायम रखेंगे तो अच्छा लगता है । यदि हम बेवजह किसी मुद्दे पर राजनीति करते हैं तो इन बातों को जनता भलिभांति समझती है । आज जनता बहुत समझदार हो गई है । मैं सदन के समक्ष छोटा सा उदाहरण देना चाहूंगा । 5 मार्च को राज्यपाल महोदय ने सदन में अपना अभिभाषण पढ़ा । हमारे यहां कुछ परम्पराएं हैं कि यदि कोई डाक्यूमैंट लम्बा होता है तो वे सदन के टेबल पर रखे जाते हैं । इसी तरह से यदि किसी प्रश्न का जवाब लम्बा होता है तो कहा जाता है कि the papers have been laid on the table of the House. उनको चाहें तो पूरे को पढ़ा जा सकता है लेकिन उन सबको पढ़ने में बहुत समय लगेगा । इसी तरह से हमारे यहां भी राज्यपाल महोदय ने पूरा अभिभाषण नहीं पढ़ा । ऐसा नहीं है कि ऐसा केवल यहीं हुआ बल्कि दूसरे प्रदेशों में भी राज्यपाल महोदय ऐसा करते हैं । हमारे प्रदेश में भी ऐसा पहली बार नहीं हुआ। पहले भी राज्यपाल महोदय यहां कहते रहे हैं कि मेरा अभिभाषण पढ़ा हुआ मान लिया जाये । जितना वे पढ़ना चाहें उतना पढ़ देते हैं उसके बाद कह देते हैं कि पढ़ा हुआ मान लिया जाये और अंत में एक पैरा और पढ़ते हैं। यहां पर उसी को विषय बना दिया गया कि सरकार के पास कहने लायक कुछ था नहीं और इसीलिए गवर्नर साहब ने देखा कि इसमें आगे कुछ नया तो है नहीं इसलिए वे अधूरा छोड़कर चले गये। यह गवर्नर के अभिभाषण के प्रति अपमान है। यह अच्छा विषय नहीं है। जो बात मैं कह रहा हूं अगर यही बात विपक्ष कह देता कि यह एक परम्परा है और उस परम्परा के हिसाब से गवर्नर साहब ने ऐसा किया है तथा इसमें किसी को कोई आपत्ति नहीं है। ये लोग उसमें भी राजनीति ढूंढ रहे हैं।

श्री अभय सिंह चौटाला: अध्यक्ष महोदय, हमने कोई राजनीति नहीं की है। हमें जब पता चला कि गवर्नर साहब ने बीच का अभिभाषण नहीं पढ़ा तो हमने तो यही कहा था कि ऐसा पहले भी होता रहा है और ऐसा हो सकता है।

श्री अध्यक्ष: अभय जी, यहां पर और लोग भी हैं जिन्होंने यह बात उठाई है। यह आपकी बात नहीं है।

श्री मनोहर लालः अभय जी, आप जो कहेंगे वह बिल्कुल सोने की लाईन है और वही तथ्य है ऐसा भी नहीं है। आपको अपनी बात कहनी है और मुझे अपनी बात कहनी है। आप लोगों ने सरकार से प्रश्न किये हैं तो सदन का नेता होने के नाते मुझे उन प्रश्नों के उत्तर देने का अधिकार दिया गया है तो अब मैं उनके उत्तर तो अवश्य दूंगा। उत्तर देने के बाद आप उसको मानें या न मानें यह आपकी मर्जी है लेकिन जो उत्तर मुझे देना है वह देना है। उसके बारे में निर्णय करने वाली जनता है, जनता को दिखाने वाले यहां पर हमारे सैंकड़ों मित्र बैठे हुये है। ये जनता को दिखायेंगे कि यह तो नेता प्रतिपक्ष का प्रश्न था और यह सदन के नेता का उत्तर था। अब प्रश्न ठीक है या गलत है या उत्तर ठीक है या गलत है यह निर्णय हमें और आपको नहीं करना है यह जनता का काम है। अगर हम प्रश्न उत्तर करेंगे तो बीच में इस प्रकार की टोका–टिप्पणी अवश्य आयेंगी। आप कुछ कहेंगे और हम कुछ कहेंगे, यह सत्ता पक्ष और विपक्ष की चलते रहने वाली प्रक्रिया है। आपको इस बात का अभ्यास बना लेना चाहिए कि एक बार आपने कोई प्रश्न पूछ लिया है, कोई आलोचना कर दी है या कोई आरोप लगा दिया है तो आपको उसका उत्तर सुनना ही चाहिए। यह एक अच्छे सदन का अभ्यास बनना ही चाहिए। अध्यक्ष महोदय, अब मैं सबसे पहला विषय एस.वाई.एल. नहर का है उसके बारे में चर्चा करूंगा क्योंकि इस सदन का बहुत सा समय विपक्ष की ओर से एस.वाई.एल. नहर पर लगा है। इसमें जो बात कही गई है कि इस बारे में सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आ गया है तो उस निर्णय को लागू क्यों नहीं किया जाता है। उसका निर्णय क्यों नहीं किया जा रहा है। इस बारे में मेरा यह कहना है कि यह विषय ऐसा है कि इस विषय को समझने वाले बहुत से लोग हैं, मैं यह नहीं कहता कि विपक्ष इस विषय को नहीं समझता है। यह विषय ऐसा है कि इस विषय पर हर पार्टी अपना स्टैंड लिए हुये है। वह क्यों लिए हुये है उसके बारे में आप, हम और जनता सभी समझते हैं। इसमें सच्चाई यह है कि वर्ष 2002 में यह निर्णय हुआ था और उस निर्णय के बाद वर्ष 2004 में उसका एक एग्जिक्यूशन का ऑर्डर आया था। उस एग्जिक्यूशन के ऑर्डर में यह था कि 4 सप्ताह में केन्द्र सरकार अपनी तरफ से कोई एग्जिक्यूशन ऐजेन्सी तय करे और 2 सप्ताह में पंजाब सरकार उसको पूरा कराए। 4 सप्ताह में केन्द्र सरकार ने अपना काम किया लेकिन अगले 2 सप्ताह में पंजाब सरकार ने एक एक्ट पास कर दिया जो असंवैधानिक था। वह एक्ट जब राष्ट्रपति के पास जाता है तो राष्ट्रपति महोदय, ने उस एक्ट को सुप्रीम कोर्ट को एक

प्रैजिडेंशियल रेफ्रेंस के ऊपर ओपिनियन लेने के लिए भेजा। वह 10 साल तक लटकता रहा। अब इसमें मेरे दो प्रश्न हैं। पहला प्रश्न मैं उस समय वर्ष 2002 के सत्ताधारी दल से पूछना चाहता हूं कि आज जो बात कह रहे हैं कि 2016 में निर्णय हो गया है तो फिर सरकार एस.वाई.एल. नहर को क्यों नहीं बना रही है। मेरा प्रश्न यह है कि वर्ष 2002 से लेकर वर्ष 2004 तक उस दल ने, उस सरकार ने क्यों नहीं यह एस.वाई.एल. नहर बनावाई ? वे 2 साल क्यों निकले? उन दो सालों में यह वर्ष 2002 का निर्णय इम्पलीमैंट होना चाहिए था। पंजाब सरकार ने तो वर्ष 2004 में अपना एक्ट बनाया था वर्ष 2004 से पहले तो कोई रुकावट नहीं थी। वर्ष 2004 में पंजाब सरकार का एक्ट बनने के बाद ही यह मामला दोबारा कोर्ट में गया है।

श्री अभय सिंह चौटाला : अध्यक्ष महोदय, सदन के नेता ने सुप्रीम कोर्ट के वर्ष 2002 के ऑर्डर की बात की कि वर्ष 2002 में एस. वाई. एल. कैनाल बनाने के बारे में ऑर्डर हो गया था तो वर्ष 2004 तक उसको इम्प्लीमैंट क्यों नहीं करवाया गया ? सदन के नेता को इस ईश्यु पर हाउस में यह बात कहने से पहले पूरी बात की जानकारी जरूर हासिल करनी चाहिए थी कि उसका कारण क्या था और एस.वाई. एल. नहर वर्ष 2002 से वर्ष 2004 तक क्यों नहीं बनी ? उस ऑर्डर में सुप्रीम कोर्ट ने साफ लिखा है कि पंजाब की सरकार दो वर्ष के अन्दर–अन्दर इस नहर का निर्माण करे । अगर पंजाब की सरकार दो वर्ष में इस नहर का निर्माण नहीं करती तो फिर एक वर्ष के अन्दर केन्द की सरकार उसको बननो के लिए कोई एजेंसी मुकर्रर करे । पंजाब की सरकार ने इस नहर को बनाने का काम वर्ष 2002 से वर्ष 2004 के बीच में करना था लेकिन उन्होंने नहर को बनाने की बजाए अपना समय निकाला । इसके बाद हरियाणा की सरकार ने दोबारा सुप्रीम कोर्ट के अन्दर जाकर इस नहर को बनाने के लिए आग्रह किया ।

श्री मनोहर लाल : अध्यक्ष महोदय, इनका यह तथ्य ठीक नहीं है ।

श्री अभय सिंह चौटाला : मुख्यमंत्री जी, जो तथ्य मैं आपको बता रहा हूं सही तथ्य वही है । अगर यह तथ्य सही नहीं है तो आपके अधिकारी यहां बैठे हुए है उनसे आप तथ्य मंगवा कर देख लें ।

श्री मनोहर लाल : अभय जी, यह प्रश्न मैं फिर से सदन में खड़ा करूंगा आप इसका उत्तर फिर दे देना । मैं आपको तथ्य बता रहा हूं कि वर्ष 2002 में जब

सुप्रीम कोर्ट का यह निर्णय आया कि एस.वाई.एल. नहर के पानी में हरियाणा का हिस्सा है और हरियाणा को पानी मिलना चाहिए । उसके ठीक तीन महीने के अन्दर या तीन महीने के आस–पास उसी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में एक एग्जीक्यूशन का केस फॉरवर्ड किया क्योंकि बिना एग्जीक्यूशन के सुप्रीम कोर्ट का कोई भी केस लागू नहीं होता है । वह ऑर्डर वर्ष 2002 में फॉरवर्ड हुआ था और उसी समय उसके तीन महीने के अन्दर ही सरकार ने एग्जीक्यूशन का केस फॉरवर्ड किया । उसी एग्जीक्यूशन के ऊपर सुप्रीम कोर्ट का निर्णय वर्ष 2004 में आया है । अगर वह समय बढ़ा सकते थे तो उसमें पंजाब सरकार का विषय तो वर्ष 2004 में आया है । आखिर हरियाणा सरकार ने उसको एग्जीक्यूट करने का केस तीन महीने बाद क्यों फॉरवर्ड किया? जिसका निर्णय वर्ष 2004 में आया है । वर्ष 2004 में 6 सप्ताह का समय मिला था जिसमें 4 सप्ताह का समय केन्द्र सरकार को और 2 सप्ताह का समय पंजाब सरकार को दिया गया ।

श्री अभय सिंह चौटाला : मुख्यमंत्री जी, आप उस समय की सरकार को यह कैसे कह सकते हो कि उस समय की सरकार इस बात पर सीरियस नहीं थी जबकि हमारी सरकार इस बात पर पूर्ण रूप से सीरियस थी ।

श्री मनोहर लाल : मैं वही बात पूछ रहा हूं कि अगर वह नहर एग्जीक्यूशन के ऑर्डर के बिना बन सकती थी तो आपको बना लेनी चाहिए थी । सच्चाई यह है कि आप उसको एग्जीक्यूशन के ऑर्डर के बिना नहीं बना सकते थे । मैं आपके प्रश्न का उत्तर दे रहा हूं । (शोर एवं व्यवधान) उसी प्रकार से नवम्बर 2016 का ऑर्डर आया है उसमें जब तक एग्जीक्यूशन का ऑर्डर नहीं आएगा तब तक कोई भी सरकार उस नहर को नहीं बना पाएगी क्योंकि वर्ष 2004 को जो ऑर्डर हुआ है वह अपने आप में इन्फ्रक्चुअस हो गया है क्योंकि उसमें बनाने का समय 4 सप्ताह और 2 सप्ताह का था । उसमें से 4 सप्ताह में केन्द्र सरकार ने तो अपना काम कर दिया लेकिन 2 सप्ताह में पंजाब सरकार ने अपना काम नहीं किया था । इसलिए अब वह ऑर्डर सुप्रीम कोर्ट को दोबारा से पंजाब सरकार के खिलाफ या उसको कहने के लिए देना पड़ेगा । इस विषय का निर्णय जब तक नहीं होता तब तक यह काम पूरा नहीं होगा इसलिए अल्टीमेटली यह निर्णय हमें सुप्रीम कोर्ट से करवाना पड़ेगा । आप जो कह रहे है कि यह केस सुप्रीम कोर्ट में पैंडिंग नहीं है । मैं उसका उत्तर दे रहा हूं । यह केस सुप्रीम कोर्ट में पैंडिंग है ।

श्री अभय सिंह चौटाला : अध्यक्ष महोदय, यह बात तो हमारे सामने हुई थी जब हम सदन के नेता के साथ गये थे ।

श्री अध्यक्ष : अभय जी, सदन के नेता ने आपकी ही बात को तो क्लीयर किया है ।

श्री करण सिंह दलाल : अध्यक्ष महोदय, यह मैटर ऑफ रिकॉर्ड है । हम इस विधान सभा के सदस्य हुआ करते थे । जब वर्ष 2004 में सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया तब विधान सभा में यह चर्चा चली कि यह एस.वाई.एल. नहर का फैसला हमारे हरियाणा के हक में हो चुका है । उसके बाद पूर्व मुख्यमंत्री श्री ओम प्रकाश चौटाला जी ने यहां बैठकर कहा था और उस समय चौधरी सम्पत सिंह जी शायद एफ.एम हुआ करते थे कि इस फैसले को लागू करवाने के लिए अगली कार्यवाही करनी चाहिए । आप उस समय की कार्यवाही निकलवा लीजिये । उस समय श्री ओम प्रकाश चौटाला जी ने और चौधरी सम्पत सिंह जी ने यह कहा था कि हमारा तो बस इतना ही काम था कि सुप्रीम कोर्ट में इसका फैसला हो गया है और इससे आगे हमें कुछ करने की जरूरत नहीं है । मैं मुख्यमंत्री जी को यह भी याद दिलाना चाहता हूं कि यह चाहे वर्ष 2004 की बात हो या वर्ष 1985 से लेकर 1987 के बीच की बात हो । अगर उस समय राजीव लोंगोवाल समझोते का विरोध न होता तो यह एस.वाई.एल. नहर का पानी वर्ष 1987 में चौधरी देवी लाल जी के राज में आ ही सकता था । जिसमें बी.जे.पी भी शामिल थी ।

श्री मनोहर लाल : अध्यक्ष महोदय, जैसा कि करण सिंह जी ने कहा है यह बात सही है वर्ष 2004 के समय के बाद हरियाणा सरकार का कोई काम बाकी नहीं था। लेकिन उसके बाद जो घटनाक्रम हुआ और पंजाब सरकार ने जो एक्ट पास किया उसके बाद तो एस.वाईएल. नहर के पानी का विषय ही समाप्त हो जाता है और उसमें अब हमारे करने लायक कुछ नहीं है क्योकि अब दोबारा से वह विषय प्रेजिडैंशियल रैफ्रैंस में चला गया है । इसलिए अब जब नया निर्णय होगा उस समय हरियाणा सरकार को क्या करना होगा यह निर्णय उसी समय होगा । वह वर्ष 2004 का विषय तो वहां ब्लॉक हो गया । दूसरा मैं कांग्रेस सरकार से पूछना चाहता हूँ कि आखिर वर्ष 2004 से लेकर वर्ष 2014 तक केन्द्र तथा राज्य में कांग्रेस पार्टी की सरकार थी तो एस.वाई.एल. नहर के संबंध में माननीय सुप्रीम कोर्ट से एग्जिक्यूशन ओपिनियन लेने के लिए प्रयत्न क्यों नहीं किए गए और क्यों 10 साल

तक इस मामले को लटकाकर रखा गया। मैं बहस नहीं करना चाहता बल्कि जो सही तथ्य हैं वह मैंने सदन के समक्ष रख दिए हैं।(शोर एवं व्यवधान)

श्री करण सिंह दलालः अध्यक्ष महोदय, वर्ष 2004 तक इनेलो और भाजपा की सरकार थी तब इन्होंने एस.वाई.एल. नहर के संबंध में कोई कार्रवाई क्यों नहीं की थी यह भी तो सदन के सामने बतायें? (शोर एवं व्यवधान)

श्री मनोहर लालः अध्यक्ष महोदय, वर्ष 2005 में जब कांग्रेस की सरकार आई थी तो उस समय यह भी तो कुछ कर सकते थे? (शोर एवं व्यवधान)

श्री ज्ञान चंद गुप्ताः अध्यक्ष महोदय, मेरा निवेदन है कि जब सदन के नेता बोल रहे हैं तो उनको बीच में बोलने से इंट्रप्ट करने में किसी भी सदस्य को अलाऊ नहीं किया जाना चाहिए? (शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्षः दलाल साहब, आप प्लीज बैठिए। (शोर एवं व्यवधान)

श्री अभय सिंह चौटालाः अध्यक्ष महोदय, अब चूंकि इंडियन नैशनल लोकदल पार्टी के उपर दलाल साहब ने प्रश्न चिन्ह लगाया है तो मुझे अपनी बात कहना जरूरी हो गया है। अध्यक्ष महोदय, दलाल साहब को यह जानकारी होनी चाहिए कि दिनांक 15.1.2002 को एस.वाई.एल. नहर के संबंध में जब माननीय सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया तो उस फैसले के खिलाफ पंजाब गवर्नमैंट ने रिव्यु पैटीशन डाली थी। इसके बाद जब दिनांक 4.6.2002 को माननीय सुप्रीम कोर्ट का फैसला आता है तो उस फैसले में माननीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा पंजाब की सरकार पर बाकायदा तौर पर पैनल्टी डाली गई थी तो इस तरह दलाल साहब कैसे कह सकते हैं कि एस. वाई.एल. नहर के मामले में इंडियन नैशनल लोकदल पार्टी सीरियस नहीं थी। हमने तो एस.वाई.एल. नहर के इश्यु पर पंजाब के साथ लड़ाई लड़ी है, अगर आप लोगों ने लड़ाई लड़ी होती तो अब तक हरियाणा प्रदेश में पानी आ सकता था।(विघ्न)

श्री मनोहर लालः अध्यक्ष महोदय, हमने एस.वाई.एल. नहर विषय को एग्जिक्यूशन के लिए डाला हुआ है। बार बार विपक्ष के द्वारा कहा जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी ने कुछ नहीं किया लेकिन मैं उनकी जानकारी के लिए बताना चाहूंगा कि हमारी सरकार आज भी माननीय सुप्रीम कोर्ट में इस मसले पर बड़ी संजीदगी से लड़ रही है। दो–तीन तारीखें इस मसले पर आलरेडी लग चुकी हैं और यही नहीं इस मसले पर हम आल पार्टी मीटिंग के नाते राष्ट्रपति से भी मिले और हमें

प्रधानमंत्री जी से भी मिलना था लेकिन उनका निर्देश आया कि आप इस मसले पर होम मिनिस्टर से मिल लें तो आखिरकार प्रधानमंत्री के निर्देश को हमें मानना था और इस तरह हमारा एक सर्वदलीय डेलीगेशन होम मिनिस्टर जी से मिला। मैंने स्वयं भी अलग से इस मसले पर एक पत्र लिखा है कि एस.वाई.एल. नहर के विषय को जल्द से जल्द सोल्व कराईये। अध्यक्ष महोदय, मैं आज सदन के माध्यम से यह बताना चाहूंगा कि एस.वाई.एल. नहर के पानी पर हरियाणा के हक की एक एक बूंद व कतरे को हरियाणा प्रदेश में लाने का हमारा कृत संकल्प है और किसी भी कीमत पर हम एल.वाई.एल. नहर का पानी नहीं छोड़ेंगे। (इस समय मेजें थपथपाई गई।) अतः मेरी अपील है कि इस मुद्दे पर राजनीतिक दल किसी भी सूरत में राजनीति न करें। अगर कोई दल इस विषय को सत्ता की सीढ़ी बनाकर चलेगा तो अब जनता बहुत समझदार हो चुकी है वह ऐसे हथकंडे सफल नहीं होने देगी। अध्यक्ष महोदय, हमारी सरकार ने तो इस विषय को लीड करते हुए महामहिम राष्ट्रपति तथा केन्द्रीय होम मिनिस्टर तक बात की है और अब माननीय सुप्रीम कोर्ट में भी कोई तगड़ा वकील करके इस विषय का हल निकलाने के लिए भी कोई कसर बाकी नहीं छोड़ी जायेगी। एस.वाई.एल. नहर के विषय पर मैंने प्रधानमंत्री जी को एक पत्र लिखा है और नेता प्रतिपक्ष ने भी इसी विषय पर एक अलग से पत्र लिखा है। अगर मान लो मेरे पत्र का जवाब नहीं दिया गया है तो इनके पत्र का भी कोई जवाब नहीं दिया गया है। इसका सीधा सा मतलब है कि माननीय प्रधानमंत्री जी इस मसले को केन्द्रीय होम मिनिस्टर के माध्यम से हल कराना चाहते हैं। यह मसला माननीय सुप्रीम कोर्ट में है और यह उसका क्षेत्राधिकार है कि वह इस मसले को चाहे होम मिनिस्टर के माध्यम से हल करवाये या चाहे प्राईम मिनिस्टर के माध्यम से हल करवाये। हमारी सरकार तो यह डिसिजन नहीं कर सकती।(शोर एवं व्यवधान)

श्री अभय सिंह चौटालाः अध्यक्ष महोदय, जब माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने इतनी सारी बातें सदन में बताई हैं तो उन्हें यह भी बता देना चाहिए था कि जिस दिन सर्वदलीय डेलीगेशन होम मिनिस्टर के पास मिलने गया था तो उस दिन होम मिनिस्टर के सामने एस.वाई.एल. नहर के मुद्दे पर जो वकील हरियाणा प्रदेश के सरकार की तरफ से किया गया था वह भी मौजूद था और जो वकील सैंटर की तरफ से इस मामले की पैरवी कर रहा था उस वकील को भी बुलाया गया था और दोनों वकीलों ने यह बात कही थी कि इस मसले पर कोई भी मामला कोर्ट में

पैंडिंग नहीं है, नहर बनाने के लिए कोई दिक्कत या कठिनाई नहीं है तथा उन्होंने यह बात भी कही थी कि आज आप सतलुज–यमुना लिंक नहर पर काम शुरू करवाने के लिए किसी भी एजेंसी को काम दे सकते हो। दूसरी बात यह है कि जब आप और हम इस संबंध में केन्द्रीय गृह मंत्री के पास गये थे। उसके बाद हाउस को बता दें कि कितनी बार आप इस मुद्दे को लेकर केन्द्रीय गृह मंत्री के पास गये हो।

श्री मनोहर लाल : अभय जी, उसके बाद माननीय सर्वोच्च न्यायालय में तारीखें लग रही हैं।

श्री अभय सिंह चौटाला : अध्यक्ष महोदय, उसके बाद इस मुद्दे पर माननीय मुख्यमंत्री महोदय की कोई भी बात नहीं हुई।

श्री मनोहर लाल : अभय जी, माननीय सर्वोच्च न्यायालय में लगातार तारीखें लग रही हैं।

श्री अभय सिंह चौटाला : अध्यक्ष महोदय, हमने पहले दिन ही माननीय मुख्यमंत्री जी से कहा था कि हम आपकी अगुवाई में केन्द्रीय गृह मंत्री के पास चलने के लिए तैयार हैं। माननीय मुख्यमंत्री महोदय इस बात को रिर्टन में लेकर आए कि इस मुद्दे को लेकर कितने सीरियस हैं। सदन के नेता केवल यह दिखाना चाहते हैं कि हम केवल सतलुज–यमुना लिंक नहर पर राजनीति कर रहे हैं।

श्री मनोहर लाल : अभय जी, वह तो सिद्ध हो गया है कि आप सतलुज–यमुना लिंक नहर के मुद्दे पर सिर्फ राजनीति कर रहे हैं।

श्री अभय सिंह चौटाला : अध्यक्ष महोदय, चलो हम तो इस मुद्दे पर राजनीति कर रहे हैं लेकिन सरकार भी सदन को बताए कि वह क्या कर रही है। (शोर एवं व्यवधान)

श्री मनोहर लाल : अध्यक्ष महोदय, विपक्ष ने हमेश सतलुज–यमुना लिंक नहर को बोतल का जिन्न बनाया है। जब विपक्ष सत्ता में होता है तो इस जिन्न को बोतल में बंद रखा जाता है और जब सत्ता से बाहर होता है तो इस जिन्न को बोतल से बाहर निकाल लिया जाता है। अध्यक्ष महोदय, माननीय सर्वोच्च न्यायालय का फैसला आ चुका है और जमीन हमारे नाम हो गई है। अब तो सिर्फ कब्जा लेना बाकी रह गया है और हम कब्जा लेकर ही रहेंगे। (इस समय मेजें थपथपाई गई।)

(शोर एवं व्यवधान) विपक्ष के लिए एस.वाई.एल. का मतलब 'एस' मायने 'सत्ता', 'वाई' मायने 'यूं' और 'एल' मायने 'लेंगे' है। यानी 'सत्ता यूं लेंगे'। (हंसी) इस तरह से एस.वाई.एल. नहर पर राजनीति करने से विपक्ष को सत्ता नहीं मिलेगी। (विघ्न) मेरे कहने का मतलब यह है कि पहले जो हो गया सो हो गया। जिस दल से गलती हो गई वो भी पश्चाताप कर ले तो भी कोई गलती नहीं है।

श्री अभय सिंह चौटाला : अध्यक्ष महोदय, सबसे पहले पश्चाताप तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार को करना चाहिए।

श्री मनोहर लाल : अध्यक्ष महोदय, पश्चाताप तो विपक्ष को करना चाहिए। अध्यक्ष महोदय, सभी राजनीतिक बातों को छोड़कर सभी दलों को मिलकर एक सर्वदलीय बैठक बुलानी चाहिए। सतलुज–यमुना लिंक नहर पर एक लाइन ऑफ एक्शन बनाकर हम दोबारा फिर आगे बढ़ने को तैयार हैं।

श्री जय प्रकाश : अध्यक्ष महोदय, मेरा आपके माध्यम से सदन से अनुरोध है कि सर्वदलीय बैठक के बाद एस.वाई.एल. नहर के ऊपर कोई भी दल राजनीति न करें अगर कोई दल राजनीति करेगा तो उसका विरोध सदन को करना पड़ेगा।

श्री मनोहर लाल : अध्यक्ष महोदय, मैं तो यही बात कह रहा हूँ कि इस मुद्दे पर राजनीति नहीं करनी चाहिए।

श्री अभय सिंह चौटाला : अध्यक्ष महोदय, सदन के नेता फिर से सर्वदलीय बैठक बुलाने के लिए कह रहे हैं।

श्री मनोहर लाल : अभय जी, मैंने तो फिलहाल सिर्फ एक सुझाव दिया है।

श्री अभय सिंह चौटाला : अध्यक्ष महोदय, सदन के नेता पहले सदन में यह बताएं कि 14 महीने के दौरान माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा हमारे पक्ष में फैसला आने के बाद जब बैठक हो गई थी और उसके बाद माननीय राष्ट्रपति महोदय से और केन्द्रीय गृह मंत्री से मिलकर आए थे। उसके बाद आपने एस.वाई.एल. नहर के निर्माण के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी को चिट्ठी में क्या लिखा और उस चिट्ठी को भी सदन में दिखाएं। आपने कौन–कौन से मंत्रियों के साथ इस गंभीर मुद्दे पर गंभीरता से बातचीत की है, यह भी सदन में बताएं। (शोर एवं व्यवधान)

श्री मनोहर लाल : अभय जी, मैं सभी बातों को सदन के पटल पर रख रहा हूँ। हमने केन्द्रीय जल संसाधन मंत्री के सामने यह विषय रखा था और केन्द्रीय मंत्री

श्री नितिन गडकरी के सामने भी यह विषय रखा था। अध्यक्ष महोदय, केन्द्रीय मंत्री श्री नितिन गडकरी के पास केवल हम गये ऐसा नहीं था बल्कि विपक्ष का भी एक डेलीगेशन गया था। अभय जी, उस समय आपके साथ क्य–क्या बातें हुई हैं, उन सब बातों को भी सदन के पटल पर रख दें। बातचीत के दौरान कोई भी नकारात्मक बातें नहीं होती हैं। अध्यक्ष महोदय, हरियाणा का कोई भी दल, हरियाणा विधान का कोई भी विधायक, हरियाणा का कोई भी किसान और हरियाणा प्रदेश का कोई भी नागरिक यह नहीं कह सकता कि हमें एस.वाई.एल. नहर का पानी नहीं चाहिए।

श्री अभय सिंह चौटाला : अध्यक्ष महोदय, सरकार के किसी भी मंत्री ने इस मुद्दे पर कोई बयान नहीं दिया है।

श्री मनोहर लाल : अभय जी, आप तो सिर्फ सतलुज–यमुना लिंक नहर पर राजनीति करते हो। (शोर एवं व्यवधान)

वित्त मंत्री (कैप्टन अभिमन्यु) : अध्यक्ष महोदय, जब इण्डियन नैशनल लोकदल पार्टी सत्ता का सुख ले रही थी तो उस समय आपने स्वयं (अध्यक्ष महोदय) एस.वाई.एल. नहर के मुद्दे पर कुर्बानी दी थी। अध्यक्ष महोदय, जब केन्द्र में श्री नितिन गडकरी ने जल संसाधन मंत्रालय की जिम्मेवारी संभाली थी तो माननीय मुख्यमंत्री महोदय के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी के केन्द्रीय मंत्री, पूर्व मंत्री मंडल और केन्द्रीय जल संसाधन मंत्रालय के अधिकारियों के साथ में केन्द्रीय मंत्री श्री नितिन गडकरी के सामने विषय रख कर आये थे। शायद यह एक साल के दौरान की बात है। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से विपक्ष के नेता से इतना जरूर कहना चाहूँगा कि आप भी इस मुद्दे को लेकर केन्द्रीय मंत्रियों से मिलते रहे हैं और नहर निर्माण के लिए प्रयास करते रहे हैं। लेकिन विपक्ष के नेता का सदन में यह कहना कि भारतीय जनता पार्टी के किसी भी मंत्री ने सतलुज–यमुना लिंक नहर पर कोई बयान नहीं दिया है, यह सरासर गलत है। अभय जी, आप झूठ कुछ भी बोलो लेकिन यह सही नहीं है। (शोर एवं व्यवधान)

शिक्षा मंत्री (श्री राम बिलास शर्मा) : अध्यक्ष महोदय, भारतीय जनता पार्टी एस.वाई. एल. नहर निर्माण के लिए कितनी गंभीर है, जिस आंदोलन का प्रतिपक्ष के नेता जिक्र कर रहे हैं। उस समय स्व0 चौधरी देवी लाल महम से चुनाव जीत गये और हमारे नेता डॉ0 मंगल सैन रोहतक से चुनाव हार गये। अध्यक्ष महोदय, एस.वाई.एल.

नहर के लिए कुर्बानी देने में आप स्वयं (श्री अध्यक्ष) चश्मदीद गवाह हो। दिनांक 19.07.2004 को जब हरियाणा में चौधरी ओम प्रकाश चौटाला मुख्यमंत्री थे। एस.वाई. एल. नहर के बारे में जो फैसला आया जिसका जिक्र भाई करण सिंह दलाल कर रहे थे। उस फैसले के विरोध में चौधरी कृष्ण पाल गुजर, आप स्वयं (श्री अध्यक्ष), श्रीमती वीणा छिब्बर, श्री चंद्र भाटिया, श्रीमती सरिता नारायण और वेद्य कपूर चन्द सभी विधायकों ने सरकार के कार्यकाल से 9 महीने पहले ही विधान सभा की सदस्यता से त्यागपत्र दिए थे और 6 जगहों से एस.वाई.एल. नहर के लिए यात्राएं शुरू की थी।

श्री ओम प्रकाश धनखड़ : अध्यक्ष महोदय, मेरा एक निवेदन है कि इस सदन को श्री अभय सिंह जी से हाथ जोड़ लेना चाहिए। इस मुद्दे पर क्रिया–प्रतिक्रिया बहुत हो चुकी है और यह खेल खेला जा रहा है। इस मुद्दे को लेकर यहाँ वहाँ के चक्र में कुछ नहीं हुआ, जिसकी वजह से यह पानी हमें आज तक नहीं मिला है। अध्यक्ष महोदय, विपक्षी पार्टी ने आंदोलन किया और नहर में लकड़ वगैरह डाल दिए गए जिसकी वजह से हरियाणा का 400 क्यूसिक पानी कई महीनों तक नहीं मिला । मैं प्रतिपक्ष के नेता से आग्रह करता हूँ कि इस तरह पानी का नुकसान न करवाएं। (विघ्न) अध्यक्ष महोदय, आज एस.वाई.एल. नहर का मामला माननीय न्यायालय में है और हरियाणा के पक्ष में निर्णय आ चुका है और नहर निर्माण का आदेश होने वाला है। लेकिन सियासी दल लाल झंडा लेकर खड़े हुए हैं कि किसी तरह से नहर का निर्माण न हो सके, ये सियासी दल इस मुद्दे को उठाकर हरियाणा का नुकसान करने पर तुले हुए हैं, मैं चाहता हूँ कि सदन को ऐसे सियासी दलों को रोकना चाहिए। हरियाणा के किसानों का पहले बहुत नुकसान हो चुका है, आगे नुकसान न होने दें हरियाणा में पानी को आने दीजिए और एस.वाई.एल. नहर का निर्माण होने दीजिए।

श्री मनोहर लाल : अध्यक्ष महोदय, सतलुज–यमुना लिंक नहर के मुद्दे पर सत्ता पक्ष और विपक्ष में ज्यादा बहस न हो, इसलिए मैं अपना विषय बदलता हूँ। एक विषय आगरा कैनाल को लेकर आया था, जिसे माननीय सदस्य श्री करण सिंह दलाल ने उठाया था। यह बात ठीक है कि आगरा कैनाल योजना उत्तर प्रदेश में बनी और उस योजना पर उत्तर प्रदेश की सरकार का ही अधिकार है। लेकिन हमारा लगभग 100 किलोमीटर का एरिया ऐसा है, जहाँ से हरियाणा प्रदेश के किसानों को उस नहर के माईनर्स के माध्यम से पानी मिलता है। उन माईनर्स की

सफाई करनी होती है और उसके लिए उत्तर प्रदेश सरकार से एन.ओ.सी. लेनी पड़ती है। अध्यक्ष महोदय, एन.ओ.सी. के लिए हमने उत्तर प्रदेश से रिक्वैस्ट की हुई है लेकिन हमें कई महीनों से एन.ओ.सी. नहीं मिल रही है। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सदन को बताना चाहता हूँ कि उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री के निमंत्रण पर होली के अवसर पर मुझे बरसाना जाने का मौका मिला था। हमने वहाँ जिन–जिन विषयों पर बातचीत की उसमें इंटर स्टेट बॉर्डर पर जितनी भी समस्याएं हैं उनके संबंध में बातचीत हुई, ट्रांसपोर्ट के संबंध में बातचीत हुई, लॉ एण्ड ऑर्डर के विषय में बातचीत हुई और एक विषय जो सिंचाई विभाग से संबंधित था, उसके बारे में भी मौखिक तौर पर उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री महोदय से बातचीत हुई थी। यह अलग बात है कि कोई भी हमारा डेलीगेशन मेरे साथ नहीं था। लेकिन सिद्धांतिक तौर पर यह तय हो गया है कि हमारे अधिकारी उनके अधिकारियों से मिलकर के जो–जो कठिनाइयां आपस में हैं उनको दूर करेंगे। सिंचाई विभाग के लिए इरीगेशन विभाग के मुखिया श्री रस्तोगी जी की जिम्मेवारी लगाई हुई है। अध्यक्ष महोदय, मुझे लगता है कि अगले महीने ही श्री रस्तोगी जी वहाँ के अधिकारियों के साथ बातचीत करके मीटिंग के लिए डेट फिक्स करेंगे। हमारी मांग यह है कि आगरा कैनाल योजना के माईनर्स की सफाई का कंट्रोल सीधे–सीधे हरियाणा सरकार को दिया जाये ताकि जब हम चाहे सफाई कर सकें। उत्तर प्रदेश सरकार इसमें कोई अड़चन न डाल सके। अध्यक्ष महोदय, जितना पानी हमारा एलोकेटिड है उतना पानी हरियाणा के किसानों को मिलना चाहिए। (इस समय मेजें थपथपाई गई।)

श्री करण सिंह दलालः अध्यक्ष महोदय, अगर सरकार प्रदेश की जनता के लिए पानी लाने का प्रयास कर रही है तो बहुत अच्छी बात है। मैं आपके माध्यम से माननीय मुख्य मंत्री जी को बताना चाहूंगा कि आगरा कैनाल का हरियाणा सरकार से जो कानूनी तौर पर पानी का बंटवारा होना चाहिए था वह बंटवारा नहीं हुआ है। इस मामले का निपटारा तो केवल ट्रिब्यूनल ही कर सकता है। किसी भी नहर के पानी का बंटवारा सरकार नहीं कर सकती। सिर्फ ट्रिब्यूनल ही कर सकता है। आज केन्द्र में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है इसलिए नहर के पानी का बंटवारा करने के लिए एक ट्रिब्यूनल बनवा दिजिए और आगरा कैनाल से हरियाणा के हिस्से का कितना पानी मिलेगा, इस बात का फैसला भी करवा दिजिए। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मुख्य मंत्री जी को बताना चाहूंगा कि यू.पी.

सरकार ने गोकुल में बैराज बनाया है और मथुरा में यमुना गंगा बैराज बनाया था। पलवल और फरीदाबाद जिलों का जल स्तर भी नीचे आ रहा है इसलिए इन जिलों का जल स्तर बढ़ाने के लिए बैराज का निर्माण करवाया जाए।

श्री मनोहर लाल : करण सिंह जी, आपको इतने विषय ध्यान में आ रहे हैं परन्तु मुझे तो एक ही विषय ध्यान में आ रहा है कि आप 10 साल तक क्या कर रहे थे ? आज आप सारी चीजें मेरे ध्यान में ला रहे हैं ये बातें आपने पिछली सरकार के समय में भी ध्यान में करवायी होंगी, परन्तु इन बातों को कान बन्द करके सुना होगा और सुना भी होगा तो कुछ गड़बड़ रही होगी जिसके कारण प्रदेश को पानी नहीं मिल सका। पिछली सरकारों द्वारा पानी लाने के लिए प्रयास किया जाना चाहिए था। अगर पानी मिल जाएगा तो यह बात हमारे प्रदेश के हक में होगी और इस पानी पर हमारा सभी का हक है। हमारे प्रदेश के नूंह, पलवल और फरीदाबाद जिलों की पानी की निर्भरता आगरा कैनाल पर हैं और इस आगरा कनाल से गंदा पानी आता है। इस समस्या के बारे में हमने दिल्ली सरकार से बात की है और केन्द्र सरकार से भी बात कर रहे हैं कि पानी की सफाई के लिए कोई प्रोजैक्ट लगाया जाए या दिल्ली के पानी के लिए अलग से कोई नाला बनाकर पानी की सफाई करवाई जाए और दिल्ली के पानी को सीधा यमुना नदी में न डालें । पिछले दिनों जब मैं उत्तर प्रदेश के वृंदावन में गया तो वहां के लोगों ने मुझे एक मैमोरेंडम दिया था कि हमारे यहां पर साफ पानी भेजिए। इसलिए यह हमारा सांझा काम है जैसे गंगा नदी की सफाई के लिए एक "नमामि गंगे" का नारा चल रहा है, उसी प्रकार यमुना तथा सभी प्रदेशों की नदियों का पानी साफ होना चाहिए। पिछले दिनों जब हमारी पंजाब के सी.एम. के साथ मीटिंग हुई थी तो घग्घर नदी का पानी लाने के लिए भी बातचीत हुई थी और घग्घर नदी का पानी लाने के लिए दोनों राज्यों में प्रोजैक्ट चल रहे हैं, उनमें से कुछ प्रोजैक्ट्स पूरे हो गये हैं और कुछ प्रोजैक्ट्स अंडर कंसीड्रेशन है। नदियों में पानी की सफाई कैसे की जाए, यह हम सबकी चिन्ता है। इसके अतिरिक्त एक विषय हिसार के किसानों को पानी नहीं मिलने के बारे में आया है। यह बहुत पुराना विषय है और यह विषय 1, 2, 3 सालों का नहीं बल्कि 10–15 सालों की समस्या है। हिसार जिले के लोगों को भाखड़ा कैनाल का पानी नरवाना ब्रांच के थ्रू मिलता है और इस पानी में हमारे एलोकेशन के हिसाब से 1450 क्यूसिक पानी आना चाहिए, लेकिन 1450 क्यूसिक पानी के स्थान पर 1150 क्यूसिक पानी आ रहा है। जब यह पता किया गया कि पूरा पानी क्यों नहीं आ रहा

है, तो पता चला कि नरवाना ब्रांच की लाईनिंग में डिफैक्ट है और साथ ही इस ब्रांच की रेजिंग की भी आवश्यकता है। इसके लिए पंजाब सरकार ने हमें पत्र लिखकर पैसे की डिमांड की थी, और साढ़े 4 करोड़ रूपये पंजाब सरकार को भेज दिये हैं। इस ब्रांच पर लाईनिंग का काम शुरू हुआ है परन्तु जब रेजिंग का काम शुरू किया तो राजस्थान की माननीया मुख्य मंत्री जी ने पंजाब सरकार को पत्र लिखा कि इस काम के कारण हमारे प्रदेश में पानी की समस्या आ जाएगी। इसलिए आप इस काम को हमारी सहमति के बिना न करें। चूंकि यह तीनों प्रान्तों को एक मिलाजुला काम है तो उन्हें इस काम को रोकने का अधिकार है। इसलिए पंजाब सरकार ने इस काम को रोक दिया। मैनें राजस्थान की माननीया मुख्यमंत्री को काम शुरू करवाने के बारे में एक पत्र लिखा है और फोन पर भी बात की थी। उन्होंने आश्वासन दिया है कि हम इस समस्या का जल्दी ही हल निकाल लेंगे। राजस्थान सरकार का तो यही उददेश्य है कि उनके प्रदेश के हिस्से के पानी में कमी न आए। लेकिन हम तो सिर्फ अपने एलोकेटिड पानी को ही लेना चाहते हैं। अगर संभव हो तो सिरसा ब्रांच से राजस्थान सरकार को पानी दिया जा सकता है। इस बारे में हाउस सहमती करे राजस्थान सरकार को कह देते है कि सिरसा ब्रांच में पर्याप्त पानी है आपको इस ब्रांच से पानी दे देंगे तथा इसके लिए फिजीब्लिटी देख लेंगे।

श्री करण सिंह दलालः अध्यक्ष महोदय, हमारा हांसी–बुटाना नहर का मामला माननीय सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है। उस पर इतने पैसे लगे हुए हैं इसलिए इसको परसू करना चाहिए।

श्री मनोहर लालः अध्यक्ष महोदय, सरकार इस मामले को परसू कर रही है और यह मामला भी सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन है।

श्री अभय सिंह चौटालाः अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मुख्य मंत्री जी से यह पूछना चाहता हूं कि आप कम से कम यह तो पूछ लें कि इस नहर का निर्माण 3 स्टेटों की अनुमति के बिना कैसे करवाया गया है। जिन्होंने इस नहर का निर्माण करवाया है उनसे यह पूछा जाना चाहिए कि पैसे क्यों बर्बाद किये गये है ?

श्री मनोहर लालः अध्यक्ष महोदय, माननीय सुप्रीम कोर्ट में भी इन्होंने ही फंसाया है। इसलिए हमें इस मामले को मिलकर हल करना है। अगर हम एक दूसरे के खिलाफ आरोप लगाते रहे तो समस्या का समाधान नहीं हो सकेगा।

श्री अभय सिंह चौटाला: अध्यक्ष महोदय, इसमें पहले अनुमति लेनी चाहिए थी।

श्री मनोहर लाल: अध्यक्ष महोदय, बिना अनुमति लिए हांसी–बुटाना नहर का निर्माण करने के कारण ही माननीय सुप्रीम कोर्ट ने इस नहर के निर्माण पर रोक लगा दी है। इसलिए ये सभी चीजें हमें मिलकर हल करनी होंगी। मैंने राजस्थान की मुख्य मंत्री से बात की हैं उन्होंने आश्वासन दिया है वे इस मामले को चैक करवा लेंगी, और कहा है कि 6 महीने के अन्दर इस समस्या का समाधान कर लेंगे। इस नहर का इंस्फ्रास्ट्रक्चर का काम आज की जरूरत के हिसाब से इस तरह से डिवलेप किया जाएगा कि वर्तमान समय में जो पानी आ रहा है उस पानी से भी ज्यादा पानी आएगा। इसके लिए सरकार ने मंजूरी दे दी है। अध्यक्ष महोदय, मैं सदन को बताना चाहूंगा कि जब तक हम नरवाना ब्रांच की रेजिंग का काम पूरा नहीं करा लेते तब तक उसका 200 क्यूसिक पानी नहीं बढ़ेगा।

श्री जय प्रकाश: अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को बताना चाहूंगा कि इस प्रदेश में पानी के कारण बहुत भेद–भाव किया जा रहा है। (शोर एवं व्यवधान)

श्री मनोहर लाल: अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय सदस्य को बताना चाहूंगा कि हमने इसके लिए काम करना शुरू कर दिया है, लेकिन जो स्वर रिजैंटमैंट के आ रहे हैं, वह भी न आये इसके लिए यह हाउस सहमति बनाए कि हरियाणा में पानी के जितनी ऐलोकेशन की आवश्यकता है उसके मुताबिक बंटवारा करवा देंगे। मैं चाहता हूं कि इस विषय पर सभी दल एक साथ बैठकर चर्चा करे और इस पर निर्णय करे।

श्री करण सिंह दलाल: अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी से कहना चाहूंगा कि इसके लिए जो भी लीगल डॉक्यूमेंट्स हैं, उसे डिपार्टमेंट एप्रूव करके, इनको दे दे।

श्री मनोहर लाल: अध्यक्ष महोदय, मैं समझता हूं कि दादूपुर–नलवी पर कोई चर्चा नहीं होनी चाहिए, क्योंकि दादूपुर–नलवी की चर्चा पिछली बार हो चुकी है और मैंने जो पिछली बार आंकड़े, तथ्य और स्टेटमेंट दिए थे, सारे–के–सारे वही हैं। दादूपुर–नलवी से रिलेटेड हमारे पास इससे ज्यादा आंकड़े और तथ्य नहीं हैं। उसमें हमने वायदा किया था कि जिन लोगों को जमीन वापस लेनी है, उसके लिए एक्ट में एक संशोधन करना है और उस संशोधन को करते ही जिन लोगों को जमीन वापस लेनी है उनकी मान्य हो जाएगी और जिनको जमीन वापस नहीं लेनी है

मतलब जिन्होंने अपना मुआवजा पहले ले लिया है तो उस जमीन का उपयोग हम इरिगेशन विभाग के हिसाब से जैसा आवश्यक होगा वैसा करेंगे। अध्यक्ष महोदय, इसी प्रकार से अगला विषय बिजली से संबंधित है। मैं बताना चाहूंगा कि यह एक ऐसा विषय है जिसमें कुछ लोगों को थोड़ी तकलीफ हो सकती है। जब मैं मई, 2015 में बाढड़ा में रैली के लिए गया तो पहली तकलीफ हमारे श्री सुखविंद्र सिंह जी को हुई, वे कहने लगे कि हमारी कुछ मांगें हैं। मैंने उनको कहा कि हम आपकी सारी मांगें मान लेंगे, लेकिन आप मेरी बस एक मांग मान लीजिए। उन्होंने कहा कि आपकी क्या मांग हो सकती है। मैंने कहा कि मैं झोली फैलाकर बस यही मांगता हूं कि मुझे बिजली के बिल दिलवा दें। उसके बाद इनका पहला रिएक्शन यह था कि रैली को कैंसिल कर दें। अध्यक्ष महोदय, यह एक ऐसा वातावरण बना हुआ है कि हमारे अपने विधायक अपने लोग डर रहे हैं। यह डर हमारी अपनी गलतियों के कारण पैदा हुआ है। हम लोगों ने मिलकर खुद जनता को और खासकर ग्रामीण जनता को बहकाने, फुसलाने और उकसाने में पूरा जोर लगाया कि बिजली के बिल देने की जरूरत नहीं है। अध्यक्ष महोदय, मेरे पास एक नवभारत टाईम्स की 2 नवम्बर, 2015 की स्टेटमेंट है। मैं वह स्टेटमेंट पढ़ रहा हूं, क्योंकि मैंने इस स्टेटमेंट को अखवार की वैबसाईट से निकाला है। मेरे से इस बात का विरोध करने वाले माननीय सदस्य एक बार उसकी वैबसाइट जरूर देख लें। अध्यक्ष महोदय, मैं इसे तथ्य मानकर पढ़ रहा हूं '' यह खबर रोहतक से है कि आई.एन.एल.डी. की रविवार को हुई रोहतक रैली में पार्टी के सीनियर लीडर और विधान सभा में विपक्ष के नेता श्री अभय सिंह चौटाला ने कहा कि जनता फ्यूल सरचार्ज हटाये जाने तक बिजली के बिलों का भुगतान न करे''। इन्होंने धान खरीद में सरकार पर घोटाले का आरोप लगाते हुए चेतावनी दी कि सरकार ने 15 नवम्बर तक जांच के आदेश नहीं दिए तो हम आंदोलन छेड़ देंगे, इस तरह की बातें इनके द्वारा की गई थीं। मैं यह भी बताना चाहूंगा कि यह केवल एक नेता ने ही नहीं, बल्कि हमारे पास ऐसी जानकारियां हैं जिससे यह साफ पता चलता है कि बहुत सारे नेताओं ने ऐसी बातें कही थीं, जिसके कारण जनता को यह लगा कि बिजली का बिल न दे।

श्री करण सिंह दलालः अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को बताना चाहूंगा कि जब भारतीय जनता पार्टी चौधरी देवी लाल जी के साथ हुआ करते थे तो इनकी पार्टी भी इसी प्रकार का नारा लगवाया करती थी कि ''जो भी बिजली के बिल मांगने आए, उसके नाक काट दो''। (शोर एवं व्यवधान)

श्री मनोहर लालः अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय सदस्य को बताना चाहूंगा कि हमारी पार्टी ने इस तरह का नारा कभी नहीं लगवाया है।

श्री अभय सिंह चौटालाः अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से कहना चाहूंगा कि ठीक है इनकी पार्टी ने यह नारा नहीं लगवाया। आज इस सदन में वित्त मंत्री जी बैठे हुए हैं, ये सबसे पहले इनके गांव के लोगों से बिजली के बिल भरवा लें।

श्री करर्ण देव कम्बोजः अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय सदस्य को बताना चाहूंगा कि हम बिजली के बिल भरवा लेंगे, बस ये देखते रहे।

श्री मनोहर लाल : अध्यक्ष महोदय, मैं इस विषय में इतना ही बताना चाहता हूं कि हमारी सरकार के पिछले तीन वर्ष के प्रयत्नों के बाद बिजली के बिलों के भुगतान के प्रति समाज में जागृति आई है और समाज का एक बहुत बड़ा वर्ग अब उस लाईन पर आ गया है जहां वे यह समझते हैं कि बिजली के बिल तो देने ही चाहिएं। बिजली के बिल नहीं भरने चाहिए – राजनेताओं के इस प्रकार के वक्तव्यों को अब जनता किसी भी सूरत में सुनने के लिए तैयार नहीं है। हरियाणा प्रदेश के पांच जिले ऐसे हैं जिनके सभी गांवों ने बिजली के बिलों का भुगतान करना शरू कर दिया है और वहां पर लाईनलॉस भी घटकर 20 प्रतिशत से कम हो गया है। सिरसा जिले ने भी बिल न भरने की सलाह देने वाले नेताओं की बात माननी अब बंद कर दी है और उन्होंने भी बिजली के बिल भरने शुरू कर दिये हैं। इन पांच जिलों के प्रत्येक गांव में हम 24 घंटे बिजली दे रहे हैं। हम पंचकूला, अम्बाला, फरीदाबाद, गुरूग्राम और सिरसा इन पांच जिलों के 1811 गांवों में 24 घंटे बिजली दे रहे हैं। हरियाणा प्रदेश के कुल 6500 गांवों के ये लगभग 30 परसैंट बनते हैं। इसी प्रकार से 400 से 500 गांव ऐसे हैं जहां पर 15 से 18 घंटे बिजली दी जा रही है। ऐसे ही प्रदेश के कुछ गांव ऐसे भी हैं जहां पर हम 21 घंटे बिजली दे रहे हैं। कुल मिलाकर मैं यही कहना चाहूंगा कि हमारी सरकार के अथक प्रयासों से आज हरियाणा प्रदेश के गांवों में भी बिजली की स्थिति बहुत अच्छी हो गई है। आज तो गांवों में यह चर्चा होनी शुरू हो गई है कि जब बेटी की शादी करनी होती है तो वह बेटी अपने बापू से पूछती है कि बापू आप जिस गांव में मेरी शादी करने जा रहे हैं क्या उस गांव में 24 घंटे बिजली आती हैं?

श्री अभय सिंह चौटाला : स्पीकर महोदय, सदन के नेता ने मेरा नाम लेकर कहा कि अब हरियाणा प्रदेश में हमारी बात को कोई नहीं मानेगा। (विघ्न) जिस बात का

मुख्यमंत्री जी ने जिक्र किया मैं यह मानता हूं कि यह अखबार की बात है। मैंने यह बात कही है मैं इससे डिनाई भी नहीं करता। मैंने यह बात क्यों कही थी उसके पीछे एक बहुत बड़ा रीज़न था। हरियाणा सरकार ने उस समय बिजली के रेट्स बढ़ाये थे और फ्यूल चार्ज के नाम पर भी सरकार बिजली उपभोक्ताओं से अतिरिक्त पैसा ले रही थी। (विघ्न)

श्री मनोहर लाल : स्पीकर सर, मैं आपके माध्यम से श्री अभय सिंह जी को यह बताना चाहूंगा कि बिजली टैरिफ के बारे में अर्थात बिजली के बिलों के बारे में एच. ई.आर.सी. संवैधानिक रूप से एक इंडीपैंडैंट बॉडी है वही बिजली के बिल्ज़ के रेट्स का निर्धारण करती है। (विघ्न)

श्री अभय सिंह चौटाला : स्पीकर महोदय, हमने यह बात इसलिए कही थी कि जब बिजली के रेट्स बढ़े तो मैं और मेरी पार्टी के सारे के सारे विधायक मुख्यमंत्री जी से समय लेकर मिलने के लिए गये थे। हम सभी ने मुख्यमंत्री जी से बात की कि जो लोग बिजली का बिल नहीं भरते हैं आप उनसे तो बिजली का बिल नहीं भरवा रहे हैं लेकिन इसके विपरीत जो लोग लगातार बिजली का बिल भर रहे हैं आप बिजली के रेट्स बढ़ाकर उनकी जेब के ऊपर एक और बहुत बड़ा भार डालने का प्रयास कर रहे हैं। हमने यह भी कहा कि आप बिजली के बिल का रेट बढ़ाने के बजाये जो बिजली उपभोक्ता बिजली का बिल नहीं भर रहें हैं उनके बिल भरवाने का काम करें। इसी प्रकार से यह भी देखने वाली बात है कि जब हमारे यहां पर बिजली पैदा ही नहीं हो रही है तो फिर सरकार द्वारा बिजली उपभोक्ताओं से फ्यूल चार्ज़ किस बात का वसूल किया जा रहा है। हरियाणा प्रदेश द्वारा सारी की सारी बिजली बाहर से मोल ली जा रही है इसलिए फ्यूल चार्ज़ को लेने का कोई औचित्य नहीं है। हमने यह मांग की कि फ्यूल चार्ज़ को भी कम किया जाना चाहिए। बिजली के रेट्स कम करने और फ्यूल चार्ज़ को खत्म करने की मांग को लेकर हमने शक्ति भवन, पंचकूला के पास बैठकर धरना दिया था। बिजली के बिलों के बारे मुख्यमंत्री जी को इस विधान सभा में अपनी कही हुई बात को याद करना चाहिए अगर मुख्यमंत्री जी को याद है तो उस समय मुख्यमंत्री जी ने यह कहा था कि आज के बाद हमारी सरकार बिजली के रेट्स नहीं बढ़ायेगी। जब सरकार ने बिजली के बिलों के रेट्स बढ़ाये तो उस समय हमने यह कहा था कि अगर हमारे से इस तरह से सरचार्ज़ लिया जायेगा और इस प्रकार से दूसरे लोगों की वजह से हमारे ऊपर बिजली के रेट्स को बढ़ाकर और सरचार्ज़ लगाकर

अतिरिक्त भार डाला जायेगा तो फिर हम बिजली के बिल नहीं भरेंगे। मुख्यमंत्री जी द्वारा यह भी कहा गया है कि मेरे जिले के लोग भी मेरी बात को मानने के लिए तैयार नहीं हैं। मुख्यमंत्री जी ने सदन में यह कहा था कि जहां पर 100 परसैंट बिजली उपभोक्ताओं द्वारा बिजली के बिल भरे जायेंगे और जहां पर लाईनलॉस बेहद कम होगा वहां पर वे 24 घंटे बिजली देंगे। मैंने उस समय यह कहा था कि हमारा जिला ऐसा है जिसमें पूरे के पूरे बिजली के बिल भरे जाते हैं लेकिन उनको फिर भी मुश्किल से चार से आठ घंटे ही बिजली मिल पाती है। उस समय मुख्यमंत्री जी द्वारा इसकी इंक्वॉयरी करवाई गई थी। उस समय हमारा जिला सबसे अग्रणी जिला था जिसमें बिजली के टोटल बिल भरे जाते थे। कोई चंद लोग ही ऐसे होंगे जो बिजली का बिल नहीं भरते होंगे। स्पीकर सर, मैं आपके माध्यम से मुख्यमंत्री जी से यह कहना चाहूंगा कि वे पहले कैप्टन अभिमन्यु के गांव के बिजली उपभोक्ताओं के बिल तो भरवा लें।

कैप्टन अभिमन्यु : आदरणीय अध्यक्ष जी, नेता प्रतिपक्ष ने बाकायदा मेरा नाम लेकर टिप्पणी की है। जो विषय चल रहा है उसके तहत मैं यह कहना चाहूंगा कि आज वर्ष 2018 में भी अभय सिंह जी एक प्रकार की गैर–जिम्मेदाराना बात कर रहे है कि बिजली उपभोक्ता बिजली के बिल न भरें। वे इसको जस्टिफाई करने की कोशिश भी कर रहे हैं। ये यह भी कह रहे हैं कि मेरा पूरा जिला बिजली के बिल भरता है। हम तो यह सोचते थे कि चौधरी देवी लाल का परिवार पूरे हरियाणा प्रदेश को अपना हरियाणा मानता है लेकिन ये तो अपने आपको केवल एक जिले के ही सीमित होकर रह गये हैं। मैं यह कहना चाहता हूं कि चौधरी देवी लाल जी के बाद ये केवल एक जिले में ही संकुचित होकर रह गये हैं। यह एक सोची–समझी रणनीति रही कि हमारे इलाके और हमारे जिले के बेचारे भोले–भाले लोगों को बहलाकर, बहकाकर, भड़काकर और फुसलाकर यह कह दिया कि बिजली के बिल बेशक मत भरियो थारे माफ कर देंगे और अपने जिले व इलाके के लोगों के बिजली के बिल ठीक–ठाक भरवाते रहे। बीते समय में जो इस प्रकार का खेल हरियाणा में चला अब वह नहीं चल रहा है। अब सारा हरियाणा प्रदेश बिजली का बिल भरेगा । हमारा इलाका बिल भर रहा है। हमारे इलाके के लोगों द्वारा पहले ही से बहुत ज्यादा बिल भरे जा चुके हैं। (इस समय उपाध्यक्ष महोदया पदासीन हुई)

श्री मनोहर लाल : डिपटी स्पीकर मैडम, कुल मिलाकर के मेरा निवेदन यह है कि बिजली के मामले में एकदम सभी कुछ सरकार के हाथ में नहीं होता है। इसका नियंत्रण केन्द्रीय स्तर पर एच.ई.आर.सी. के पास होता है जो कि एक इंडीपैंडैंट कॉरपोरेशन है। वह सारे देश की बिजली कम्पनियों के खर्चों का भी अध्ययन करती है और कम्पनियों का पिछला सारा टैरिफ भी चैक करती है। किसी कम्पनी को कितना घाटा हो रहा है यह भी उसके द्वारा देखा जाता है और कितनी चोरी हो रही है इसकी भी बाकायदा जानकारी ली जाती है। उसकी पूरी प्लानिंग यह रहती है कि किसी भी बिजली कम्पनी को घाटा न हो। अगर कहीं पर बिजली की चोरी हो रही है और उसके कारण कोई बिजली कम्पनी घाटे में जा रही है तो एक बार तो उसका घाटा कहीं न कहीं से पूरा करना जरूरी होता है लेकिन हमने पिछली सरकारों के समय में भी हुए घाटे को पूरा करने की हर सम्भव कोशिश की है। यह एक लम्बा विषय है और हमारे पास कई सालों के घाटे का मामला आया था। पिछली सरकारों के समय में इस घाटे को रोकने और इस घाटे को कम करने के लिए कोई प्रयत्न नहीं किये गये। वर्ष 2014 में हमारी सरकार के आने से पहले हुड्डा सरकार के समय में यह घाटा 28 या 29 हजार करोड़ रूपये था जबकि पिछले साल यह घाटा लगातार बढ़कर 32 हजार करोड़ रूपये हो गया। केन्द्र सरकार ने जिन–जिन प्रदेशों के बिजली बोर्ड घाटे में चल रहे थे उनकी रिपोर्ट्स मांगी। हमारे सहित बहुत से ऐसे प्रदेश थे जिनके बिजली बोर्ड्ज़ के घाटे निरंतर बढ़ रहे थे । बिजली बोर्ड्स के इस घाटे को समाप्त करने के लिए एक योजना बनी जिसको उदय योजना का नाम दिया गया। इस उदय योजना में केन्द्र सरकार के स्तर पर ये आदेश जारी किये गये कि जो बिजली बोर्ड्ज़ घाटे में हैं उनके घाटे को राज्य सरकारों द्वारा कम्पनसेट करने के लिए बॉण्ड्ज़ जारी किये जायें ताकि इनके बढ़ते हुए घाटे को कम करके समाप्त किया जा सके। इस घाटे का ब्याज जो प्रति वर्ष 3–4 हजार की दर से बढ़ रहा था उसका वजन भी इनके ऊपर से हटा दिया जाये। बिजली बोर्डज़ को ये आदेश दिये गये कि भविष्य में बिजली के घाटे को कम किया जाये इसके लिए ज्यादा से ज्यादा सख्ती की जाये और बिल्ज़ रेगूलरली लिये जायें। इसके अलावा बिजली की कंजम्पशन भी कम की जाये। इस प्रकार से ये आदेश सभी घाटे में चल रहे बिजली बोर्डज़ को दिये गये कि चाहे कुछ भी किया जाये लेकिन घाटे को हर हालत में कम किया जाये। यह भी कहा गया कि अगर कोई बिजली बोर्ड भविष्य में घाटे में चलेगा तो उसको केन्द्र

सरकार से जितनी भी सहायतायें मिलती हैं वे सभी की सभी पूर्ण रूप से बंद हो जायेंगी। इस मामले में जब केन्द्र सरकार का बहुत ही सख्त स्टैण्ड आया तो उसके कारण थोड़ी–बहुत सख्ती हमको भी करनी पड़ी। हमने इसके लिए अपील भी की और परिणामस्वरूप हमें इस मामले में सफलता भी मिली। हमने बिजली के रेट्स भी कम किये। जो छोटे बिलधारक हैं जिनका बिल 200 से 400 रूपये तक आता है उनके तो 24 परसैंट तक बिल कम हुए हैं। इसी प्रकार से जो बड़े पॉवर कनैक्शन होल्डर्ज़ हैं उनका भी 3 से साढ़े तीन परसैंट बिल कम हुआ है। इस प्रकार से अगर देखा जाये तो 3 से साढ़े तीन परसैंट बिल तो सभी बिजली उपभोक्ताओं का कम हुआ है। इसमें कुछ एफ.एस.ए. भी कम हुआ है और कुछ टैरिफ भी कम हुआ है। हमने यह इसलिए कम किया क्योंकि हम ऐसा करने की स्थिति में आ गये हैं। (विघ्न) उपाध्यक्ष महोदया, आप विपक्ष के माननीय सदस्यों को मेरे द्वारा दी जा रही जानकारी को ध्यान से शांतिपूर्वक सुनने के लिए कहें क्योंकि अगर ये बार–बार मुझे ऐसे ही डिस्टर्ब करेंगे तो उससे हाउस का समय अनावश्यक रूप से खराब होगा। पहली बात तो यह है कि हमारे यहां जो बिजली की सप्लाई है वह सीमित है। हमारे पास जितने पहले पॉवर प्लांट्स थे हमने उनकी प्रोडक्डशन को ही इम्प्रूव करने की कोशिश की है। हमें और पॉवर प्लांट्स लगाने की आवश्यकता नहीं पड़ी क्योंकि जो हमारे पास पहले पॉवर प्लांट्स थे हमने उनको ही एफीशिएंट बनाया और इसके साथ ही साथ पॉवर के कनैक्शंज़ की जो गति थी हमने उसको भी बढ़ाया। ऐसे ही जो बिजली सप्लाई की आवश्यकता थी हमने उसको भी बढ़ाया। हमने इंफ्रॉस्ट्रक्चर को भी ठीक किया। इसके फलस्वरूप हमारे कम खर्च में हमारी बिजली कम्पनियों को ज्यादा बैनीफिट हुए। जो हमारी पॉवर कम्पनीज को बैनीफिट हुआ मैं उसके आंकड़ें सदन के पटल पर रखना चाहूंगा। इसी प्रकार से उद्योग क्षेत्र के साथ दूसरे बिजली उपभोक्ताओं को हो रही पॉवर की सप्लाई को भी हमने इनक्रीज किया। वर्ष 2016 में जो इण्डस्ट्रियल यूनिट्स थे उनकी बिजली की आपूर्ति 714 करोड़ यूनिट थी जो अब 2018 में बढ़कर 849 करोड़ यूनिट हो गई है। इस प्रकार से लगभग 19 परसैंट हमने इण्डस्ट्रियल यूनिट्स को ज्यादा बिजली की आपूर्ति की है। इसके लिए हमने बाहर से बिजली की ज्यादा सप्लाई नहीं ली है। हमारे पास जो बिजली उपलब्ध थी हमने उसी का सदुपयोग किया है। पिछली सरकारों ने बिजली के मामले में क्या–क्या खेल खेलें हैं मैं उनकी पूरी की पूरी परतें खोलना नहीं चाहता क्योंकि मेरे

विचार में यह अच्छी बात नहीं होगी। पिछली सरकारों के द्वारा किस–किस इंट्रस्ट के चलते डी.पी.ए. किये गये होंगे अगर हम इसकी परतें खोलेंगे तो फिर और भी पत्ते खुल जायेंगे। (विघ्न) हमारी सरकार आने के बाद साढ़े तीन साल में हमने बड़े डी.पी.ए. नहीं किये लेकिन इसके बावजूद भी हमारे पास बिजली की कोई कमी नहीं है। (विघ्न) उपाध्यक्ष महोदया, वर्ष 2014 में इंडस्ट्रियल कंज्यूमर 94661 थे जो वर्ष 2017 में बढ़ कर 1,02,214 हो गए है। इस प्रकार से कंज्यूमर्स की संख्या में 8–9 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई है। इसी प्रकार से जो कनैक्टिड लोड था वह 6253 मैगावाट था जो वर्ष 2017 में बढ़कर 7097 मैगावाट हो गया और यह भी 11 प्रतिशत बढ़ गया। इस तरह से लोड भी बढ़ा और कंज्यूमर्स भी बढ़े हैं तो बिजली कहीं से आई तो है। हमारा घाटा भी कम हुआ है जैसा हमने बताया कि हमारे रेट भी कम हुये हैं। कुल मिला कर बिजली के बिलों में 6.8 प्रतिशत की कमी तो कमर्शियल में भी हुई है। इसके अतिरिक्त जो छोटे और बड़े उद्योग हैं उनमें भी 5 प्रतिशत की कमी आई है। इसी प्रकार से जैसा मैंने बताया कि घरेलू बिजली के बिलों में भी 24 प्रतिशत से 3 प्रतिशत तक की कमी आई है। हमने पॉवर डिपार्टमैंट को चुस्त–दुरूस्त किया है और इसके बावजूद भी अगर कोई कुछ कहता है तो उसको कहने का अधिकार है।

श्री करण सिंह दलालः उपाध्यक्ष महोदया, मैं आपके माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि जिन किसानों ने बिजली के कनैक्शन लेने के लिए तत्काल स्कीम में पैसे भरे हुये हैं लेकिन उनको बिजली के कनैक्शन नहीं मिल रहे हैं उनके बारे में भी मुख्यमंत्री जी बता दें।

श्री मनोहर लालः दलाल साहब, इस बारे में आप लिख कर दे दें कि क्या करना है। ये रूटीन की बातें हैं और ओवरऑल बिजली का सिनेरियो मैंने आपके सामने रखा है। अब मैं किसानों के बारे में अपनी बात रखना चाहता हूं। हरियाणा एक कृषि प्रधान प्रदेश है तथा इसमें किसानों की संख्या ज्यादा है लेकिन दुर्भाग्य की बात यह है कि हमारे किसानों की जोत बहुत छोटी रह गई है। छोटी न भी हो मानो बड़ी भी हो तो भी मैं उसको बहुत बड़ी नहीं कह सकता कि जैसे बड़े–बड़े नेता हैं और उनके बड़े–बड़े फार्म हाउस हैं, उनकी चर्चा मैं नहीं कर रहा हूं। जो 5, 8 या 10 एकड़ का जमींदार है उसका भी सामान्यतः गुजारा हो जाता है। लेकिन यह वर्ग ऐसा है जिसकी बड़ी संख्या में आर्थिक स्थिति कमजोर है और जब राजनीतिक आदमियों को कोई सॉफ्ट टारगेट मिलता है तो मैं समझता हूं कि

उनको बहकाने के लिए किसानों से सॉफ्ट टारगेट और कोई नहीं मिल सकता है। हमने किसानों को कोई लालच नहीं दिया है, कोई तो ना करने वाला भी होना चाहिए। ना करके हमने उनको कहा है कि किसी में ना करने का दम भी है। हर समय चुपके–चुपके हम सहते रहेंगे ऐसा नहीं है। अभय जी, आप लोग तो राजनीति करते हो इसलिए कभी ना भी नहीं करते हो। हम तो उनको ना करके यहां तक लेकर आये हैं। यह एक सॉफ्ट कॉर्नर ऐसा है कि जब किसी को कोई भी काम न मिले तो किसानों का नेता बन कर खड़ा हो जाता है। किसानों का नेता बने, ऐसा नहीं है कि नेता न बने लेकिन किसानों के प्रति हमदर्दी दिखाते हुये उनकी जो वास्तविक समस्याएं हैं उनको भी सामने लेकर आना चाहिए। हमने किसानों की समस्या को समझा है। उनकी समस्याओं को समझने के बाद हमने उनको मुआवजा भी दिया है। जब हमारी सरकार बनी थी उस वक्त प्रदेश में ओलावृष्टि हुई और कुदरत के इस कहर से किसान का बहुत ज्यादा नुकसान हुआ था। हमने देखा कि किसान को इससे बाहर निकालना आवश्यक है। हमारी सरकार ने 12 हजार रुपये प्रति एकड़ के हिसाब से किसान को उसकी फसल का मुआवजा दिया। उसमें भी हमने यह नियम बनाया था कि 12 हजार रुपये प्रति एकड़ के हिसाब से अगर एक एकड़ में बहुत ज्यादा हिस्सेदार हैं और एक आदमी का शेयर 500 रुपये से कम बनता है तो भी मिनिमम शेयर 500 रुपये अवश्य देंगे। मान लीजिए अगर एक एकड़ में 100 हिस्सेदार हैं तो एक आदमी का शेयर 120 रुपये बनता है लेकिन हमने उसमें भी कम से कम 500 रुपये मुआवजा हर शेयर होल्डर को दिया है। कुछ ऐसी भी जमीनें हैं जिनमें 1 कनाल या 2 कनाल में भी 100–100 हिस्सेदार होते हैं। उस स्थिति में वह मुआवजा बंट जाता है किसी को 1000 रुपये मिल गये किसी को 500 मिल गये। मेरे पास इस बात के भी सबूत हैं कि पिछली सरकार कितना–कितना मुआवजा देती थी। मेरे पास एक चैक की फोटो कॉपी है जिसमें लिखा हुआ है कि सत्यनारायण पुत्र वीर सिंह, दिनांक 22.3.2013 केवल 2/– रुपये।

18:00 बजे

श्री परमेन्द्र सिंह ढुल : उपाध्यक्ष महोदया, मुख्यमंत्री जी ने यह कहा है कि हमने किसानों को ओलावृष्टि से हुए नुकसान का मुआवजा दिया है । ओलावृष्टि का मुआवजा तो वर्ष 2010 से 2014 तक का बकाया पड़ा हुआ है । मुआवजा तो सरकार ने दिया ही नहीं है ।

श्री मनोहर लाल : उपाध्यक्ष महोदया, मैं सदन को पिछली सरकार के मुआवजे के बारे में बताना चाहता हूं कि गीता पुत्री धर्मबीर को केवल 06 रूपये मुआवजा दिया गया था। हरदीप पुत्र सज्जन को केवल दो रूपये मुआवजा दिया गया था। यानी पहले इस प्रकार के मुआवजे दिये जाते रहे हैं । इस मुआवजे को लेने वाला भी इस पर हँसेगा या मजाक करेगा या रोएगा । वह किसान जिसको उसकी फसल का एक रूपया या दो रूपये मुआवजा मिलेगा उसको गुस्सा भी आएगा लेकिन यह बात जरूर विचारणीय है कि उन सरकारों की किसानों के प्रति संवेदनशीलता नहीं रही जिनके सामने ये किस्से आए हैं । हमने आकर के मुआवजों को इस ढ़ंग से किया कि मुआवजा कम है या ज्यादा है कम से कम किसान को अपमानित न करे। किसानों को भी पता लगना चाहिए कि अगर हमारे एक एकड़ में 100 हिस्सेदार हैं तो 500 रूपये के हिसाब से एक एकड़ का 50 हजार रूपये मुआवजा मिलेगा ही मिलेगा । उसको सरकार जरूर देगी । यह ठीक है कि किसी किसान का गिरदावरी का विवाद हो सकता है, कोई झगड़ा होगा या कुछ और होगा तो जो ढुल साहब कह रहे हैं उसकी हम जांच करवा लेंगे । उसमें कोई दिक्कत नहीं है । किसी को मुआवजा न मिलने का कोई न कोई कारण तो रहा ही होगा । वरना हमारा कोई भी मुआवजा बाकी नहीं है । आज तक साढ़े तीन साल में हमारी सरकार किसानों को लगभग साढ़े तीन हजार 300 करोड़ रूपये मुआवजा दे चुकी है । इसमें भी 300 करोड़ रूपये का ऐसा मुआवजा है जो पिछली सरकारों के समय का बकाया था जिसको हमारी सरकार ने आकर दिया है ।

श्री अभय सिंह चौटाला : मुख्य मंत्री जी, अभी पिछले दिनों जो ओलावृष्टि हुई थी उससे मेवात के कुछ गांवों में फसल खराब हुई है और कुछ फसल फरीदाबाद के एरिया में भी खराब हुई है । पलवल में भी खराब हुई है । उसके मुआवजे का क्या किया गया है ?

श्री मनोहर लाल : अभय जी, इसका जवाब हमारे रेवेन्यू मंत्री दे चुके हैं । अगर वहां मुआवजा नहीं दिया गया है तो उसकी गिरदावरी के ऑर्डर कर दिये गये हैं उसके बाद हम उनको मुआवजा दे देंगे ।

श्री अभय सिंह चौटाला : मुख्यमंत्री जी, जुलाना में बारिश के समय में फल्ड से किसानों की जो फसल खराब हुई है उसकी आपने गिरदावरी भी करवाई थी जिसको एक साल हो गया है लेकिन अभी तक किसानों को मुआवजे का एक नया

पैसा भी नहीं मिला है । क्या आप उन किसानों की खराब हुई फसल का मुआवजा दोगे ?

श्री मनोहर लाल : अभय जी, यह अलग–अलग इश्यू हैं । आप इनको प्रश्नों के रूप में मत लो । ये सब इंडीविज्युल हैं ।

श्री अभय सिंह चौटाला : मुख्यमंत्री जी, यह प्रश्न नहीं है । आप जब यह कह रहे हैं कि हमने मुआवजा दिया है और दे रहे हैं तभी मैं यह कह रहा हूं ।

कैप्टन अभिमन्यु : उपाध्यक्ष महोदया, ये इस विषय को प्रश्न ऑवर बनाकर नहीं चल सकते । लेकिन नेता प्रतिपक्ष ने जो विषय रखा है उसमें मैं थोड़ा सा यह जरूर कहना चाहूंगा कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने विश्वास दिलाया है कि अगर उन किसानों की गिरदावरी में कोई कमी है तो उसको ठीक किया जाएगा । अभय जी, आपकी जानकारी गलत है । (शोर एवं व्यवधान)आपके माननीय सदस्य आपको गलत जानकारी दे रहे हैं । वह सब सरकार के संज्ञान में है और वह प्रक्रिया में है और उस पर कार्यवाही चल रही है । सबसे पते की बात यह है कि वह लोग ये बातें कर रहे हैं जिनकी 6 साल की सरकार में 200 करोड़ रूपये भी मुआवजा पूरा नहीं दिया गया था । (शोर एवं व्यवधान) अब वह किस मुंह से किसान को मुआवजा देने की बात करते हैं । हम 32 लाख लोगों को 3 हजार करोड़ रूपये मुआवजा दे चुके हैं । (शोर एवं व्यवधान) हम किसानों को मिनीमम 500 रूपये मुआवजा दे चुके हैं । एतिहासिक तौर पर दे चुके हैं । तेजी से दे चुके हैं । बड़ी हैरानी की बात है कि इन्होंने किसान के नाम पर राजनीति की है । (शोर एवं व्यवधान) किसान के नाम पर वोट तो ले लेते हैं लेकिन जब किसान अपना हक मांगने लगे तो कंडेला में गोलियां चलाई गई। यह सारा हरियाणा जानता है कि वहां पर हरियाणा के किसानों की लाशें बिछाई गई थी । (शोर एवं व्यवधान) किसानों पर गोली चलवाने वाले आज किसानों की बात करेंगे ।

श्री अभय सिंह चौटाला : उपाध्यक्ष महोदया भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने अपने ही लोगों को मरवा दिया । आप कंडेला की बात करते हैं । इन्होंने सारे हरियाणा को मरवा दिया । भाजपा सरकार सारे हरियाणा प्रदेश को लूट कर खा गई । (शोर एवं व्यवधान)

श्री मनोहर लाल : अभय जी, जिस विषय पर बात चल रही है उसी पर चलने दें । मैं उसमें आपकी बातों का जवाब दे दूंगा । (शोर एवं व्यवधान) हम आपको जवाब

देंगे लेकिन ऐसा नहीं है कि जो आप कहेंगे हम उसी को ही मान लेंगे ।(शोर एवं व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदया : अभय सिंह जी, प्लीजआप बैठ जाईये ।(शोर एवं व्यवधान)

श्री मनोहर लाल : अभय जी, इस तरह शोर मचाने से कुछ नहीं होता ।(शोर एवं व्यवधान) उपाध्यक्ष महोदया, आप इनको बैठाइये ।(शोर एवं व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदया : अभय जी, आप बैठ जाईये । महिपाल जी, आप बैठ जाईये ।(शोर एवं व्यवधान)

कैप्टन अभिमन्यु : अभय जी, सच्चाई पर इतना दर्द महसूस नहीं करना चाहिए । आईना देखने में इतनी तकलीफ, आईना देखकर इतना डर लग जाता है । (शोर एवं व्यवधान) वह चेहरे कितने भयानक होंगे जिनको आईना देखकर खुद को आज इतनी तकलीफ हो रही है ।

श्री मनोहर लाल : उपाध्यक्ष महोदया, मैं नेता प्रतिपक्ष अभय सिंह चौटाला से कहना चाहूंगा कि सदन में पानी की बात बहुत हो गई है अब किसानों को दिए जाने वाले मुआवजे की बात करते हैं। (शोर एवं व्यवधान)

श्री अभय सिंह चौटालाः उपाध्यक्ष महोदया, मेरा विषय पानी से भी जुडा है और किसानों के मुआवजे से भी जुड़ा है और इसी परिपेक्ष्य में मैं आपके माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री महोदय से जानना चाहूंगा कि जिन जिलों के खेतों में पानी खड़ा होने की वजह से सेम की समस्या पैदा हो गई है और जहां के किसान अपनी इस सेमग्रस्त जमीन में किसी प्रकार की फसल की कोई बिजाई नहीं कर पा रहे हैं तथा बेघर हो रहे हैं, क्या भारतीय जनता पार्टी की सरकार सेम की समस्या से ग्रसित किसानों को मुआवजा देने का काम करेगी? (शोर एवं व्यवधान)

कैप्टन अभिमन्यु : उपाध्यक्ष महोदया, मैं एक बात आपके माध्यम से नेता प्रतिपक्ष से पूछना चाहूंगा कि क्या इन लोगों ने अपनी सरकार के समय में कभी सेम की समस्या से पीड़ित किसानों को मुआवजा देने का काम किया था। अनेक बार प्रदेश में इनकी पार्टी की सरकार बनी, इन्होंने एक बार भी सेम की समस्या से ग्रसित किसानों को मुआवजा देने का काम नहीं किया और इतिहास भी इस बात का गवाह है कि एक बार भी सेम का मुआवजा नहीं दिया गया हैं। (शोर एवं व्यवधान)

श्री अभय सिंह चौटालाः उपाध्यक्ष महोदया, सत्ता पक्ष की तरफ से प्रदेश में पानी लाने की बात की जाती है परन्तु यह तो दादुपुर नलवी नहर को भी खा गए हैं?

(शोर एवं व्यवधान) ये किसान के हित की बात करते हैं? (शोर एवं व्यवधान) इन्होंने किसान को उजाड़ने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। (शोर एवं व्यवधान) यह लोग कुछ नहीं कर कर सकते। (शोर एवं व्यवधान)

श्री मनोहर लालः उपाध्यक्ष महोदया, आज मैं सदन के माध्यम से एक बात साफ कर देना चाहता हूँ कि बार बार किसानों को उकसाने तथा बहकाने का हथकंडा अब हम चलने नहीं देंगे। (शोर एवं व्यवधान) हमारी सरकार जो काम कर रही है, इन लोगों को उन बातों के बारे में सदन में सुनने की जरूरत है। (शोर एवं व्यवधान) हमारी सरकार जो जनहित के कार्य कर रही है, उन बातों को इन लोगों को सुनना चाहिए।(शोर एवं व्यवधान)

श्री महिपाल ढांडाः उपाध्यक्ष महोदया, इन लोगों को किसानो के हितों से कोई लेना देना नहीं है। यह लोग केवल अपनी राजनीतिक रोटियां सेंकने का काम कर रहे है।(शोर एवं व्यवधान)

वॉक–आउट

श्री अभय सिंह चौटालाः उपाध्यक्ष महोदया, किसानों के हितों को उठाने वाली हमारी बात को सुना नहीं जा रहा है, इसलिए हम ऐज–ए–प्रोटैस्ट सदन से वॉक आउट करते हैं।

(इस समय इंडियन नैशनल लोकदल पार्टी के सभी सदस्य किसानों के मुद्दों पर मुख्यमंत्री द्वारा दिए गए उत्तर से संतुष्ट न होने के विरोध स्वरूप सदन से वॉक आउट कर गए।)

राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर चर्चा (पुनरारम्भ) तथा धन्यवाद प्रस्ताव पर मतदान

श्री मनोहर लालः उपाध्यक्ष महोदया, अब एक विषय मैं किसानों के संबंध में बताना चाहूंगा जोकि पिछले कई वर्षों से लटका हुआ था और पिछली सरकारें इस विषय को सिरे चढ़ाने में नाकामयाब रही। इंडियन नैशनल लोकदल की बात तो मैं नहीं कर रहा हूँ क्योंकि इनकी सरकार सत्ता में नहीं थी बल्कि कांग्रेस की सरकार सत्ता में थी। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना पिछले 30 सालों से अधर में लटकी हुई थी लेकिन हमारे देश के प्रधानमंत्री ने इस विषय पर सभी दलों से व किसान संगठनों से बातचीत करके प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना को सिरे चढ़ाते हुए किसानों के हित में इस योजना को बनाया जिसके तहत मात्र डेढ़ परसेंट या दो

परसेंट का प्रीमियम बीमा कंपनियों को देना होता है। मैं आज सदन के माध्यम से हमारी केन्द्र की सरकार तथा हमारे प्रधानमंत्री जी को प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना को सिरे चढ़ाने के लिए श्रेय, मुबारकबाद व बधाई देता हूँ। (इस समय सत्ता पक्ष की तरफ से मेजें थपथपाई गई।) अब मैं एक दूसरी बात यह भी कहना चाहूंगा कि हमारे विपक्ष के नेताओं ने फसल बीमा योजना के संदर्भ में हमारे किसानों को बहकाने में भी कोई कसर नहीं छोड़ी। यह किसानों को कहते हैं कि अपनी फसल का बीमा मत करवाओ और इसी संदर्भ में जब जिला जींद में बीमें की राशि का प्रीमियम बैंक ने काटकर, किसानों की फसल का बीमा कर दिया तो इन विपक्ष के लोगों ने किसानों को उकसाया कि बैंक किसान की मर्जी बिना फसल बीमा प्रीमीयम की राशि उनके खाते से क्यूं काट रही है और साथ ही अनेक प्रकार के सवाल खड़े किए गए कि यह क्यों नहीं किया जा रहा या वह क्यों नहीं किया जा रहा है। उपाध्यक्ष महोदया, हम सब जिस समाज में रहते हैं उसमें अनेक व्यवस्थायें बनी हुई हैं। सबको पता है कोई भी व्यक्ति जब किसी चीज का कर्ज देता है तो सबसे पहले वह अपने कर्ज की सुरक्षा करता है। मान लो हम मोटरसाईकिल का कर्ज लेते है, मकान, ट्रैक्टर या किसी और चीज के लिए कर्ज लेते हैं या फिर चाहे हम अपना लाइफ इंश्योरेंस ही क्यों न कराते हो, इन सबमें इंश्यारेंस एक जरूरी पहलू होता है। मान लीजिए हम कोई बीमा करवाते हैं तो उसमें वह चीज तभी कवर होती है जब उसका प्रीमियम भरा गया हो । अगर हम बैंक से भी कोई कर्ज लेते हैं तो उस चीज का हमें इन्श्योरेंस करवाना पड़ता है । (विघ्न)

सरदार जसविन्द्र सिंह संधू : आप बागवानी का भी बीमा करवा दीजिए । (विघ्न)

श्री मनोहर लाल : उपाध्यक्ष महोदया, मैं संधू जी के बताना चाहूंगा कि सरकार बागवानी का हम इसका भी बीमा करवा देगी लेकिन पहले अभी तक जिन चीजों का बीमा किया है उसको तो चलने दीजिए । अभी तक तो ये इसमें ही रोड़े अटका रहे हैं । (विघ्न)

श्री अभय सिंह चौटाला : उपाध्यक्ष महोदया, बीमा तभी सही होगा जब किसान की मर्जी से काटा जाता हो । अगर आप किसी गाय–भैंस का भी बीमा करवाओगे तो उस पर बीमा करवाने वाले का अंगूठा लगेगा या फिर दस्तखत तो होंगे । (शोर एवं व्यवधान)

श्री मनोहर लाल : उपाध्यक्ष महोदया, इस योजना के अनुसार जिन किसानों ने पहले से ही लोन लिया हुआ है उनके बैंक अकाउंट से. प्रीमियम के रूप में लगभग 500 रूपये प्रति एकड काटे गये थे । (विघ्न) 'प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना' के तहत फसल के खराब होने पर जिन किसानों को कुल 20 हजार रूपया मुआवजा राशि दी जानी थी उनके 500 रूपये प्रीमियम के रूप में काटे गये क्योंकि फसल के खराब होने पर दिये जाने वाली मुआवजा राशि का कुल 10 परसैंट पैसा इंश्योरेंस प्रीमियम के रूप में दिया जाना था । हालांकि इसको बाद में बढ़ाकर 25 परसैंट कर दिया गया । इस योजना की शुरूआत के समय मुआवजा राशि 20 हजार रूपये निर्धारित की थी । (विघ्न) उस समय केवल लोनी फार्मर्स का ही 500 रूपये प्रति एकड़ प्रीमियम काटा गया था । बाकी फार्मर्स को ऑफर दिया गया था कि आप भी अपनी फसलों का बीमा करवाइये । थोड़े–बहुत किसानों की फसलों का बीमा किया गया था लेकिन ज्यादा बीमा नहीं किया गया था । अब हम लोन लेने वाले हर किसान से साइन करवा रहे हैं कि ..... (विघ्न) यह कंडीशन तो लोन लेने वाले हर व्यक्ति पर लगाई जाती है । (शोर एवं व्यवधान) हम किसी को भी जबर्दस्ती लोन नहीं देंगे । (विघ्न)

श्री करण सिंह दलाल : उपाध्यक्ष महोदया, मेरा प्वायंट ऑफ ऑर्डर है । इस समय माननीय कृषि मंत्री जी भी सदन में उपस्थित हैं । हमारे प्रदेश के कृषि विभाग ने रिकमैंड किया था कि 'प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना' को क्लाइमेटिक कंडीशन के मुताबिक लागू किया जाए । हमारे प्रदेश के कृषि विभाग की रिकमैंडेशन को न मानकर इस योजना को दूसरे तरीके से लागू किया गया । मैं माननीय मुख्य मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि इस योजना के माध्यम से हमारे किसानों से कितना पैसा लिया गया है ? आज सारी दुनिया में सबसे ज्यादा पैसा कमाने वाली कोई कम्पनीज हैं तो ये फसल का बीमा करने वाली कम्पनियां हैं । ये सारी कम्पनियां विदेशी हैं । इनमें हमारे देश की एक भी कम्पनी नहीं है । इन कम्पनियों द्वारा हमारे देश के किसानों की जेब पर डाका डाला जा रहा है । इसके अतिरिक्त यह किसानों को बर्बाद करने वाली योजना है । (विघ्न)

श्री राम बिलास शर्मा : उपाध्यक्ष महोदया, इस समय सदन में सदन के नेता जवाब दे रहे हैं । इससे पहले मैक्सिमम मैम्बर्स बोल चुके हैं । आज नेता प्रतिपक्ष 96 मिनट तक बोले हैं और माननीय सदस्य श्री करण सिंह दलाल को भी बोलने का

समय दिया गया था । हाउस की कार्यवाही का यह समय क्वैश्चन आवर से डिफ्रैंट है । (शोर एवं व्यवधान)

श्री मनोहर लाल : मेरा सभी माननीय सदस्यों से निवेदन है कि अगर कोई बात पूछनी है तो वह प्रश्न काल में पूछिये । (शोर एवं व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदया : प्लीज, आप सभी बैठिये । सदन के नेता जवाब देने के लिए खड़े हैं और यह सदन की मर्यादा है कि जब सदन के नेता बोलने के लिए खड़े हों तो उस समय अन्य सभी सदस्यों को बैठकर शांति से उनकी बात सुननी चाहिए । सभी सदस्यों के प्रश्नों के जवाब दिये जाएंगे लेकिन फिलहाल आप बैठ जाइये । (शोर एवं व्यवधान)

श्री मनोहर लाल : उपाध्यक्ष महोदया, मेरा कहना है कि अगर किसी भी सदस्य को कोई सवाल पूछना हो तो वह प्रश्न प्रश्नकाल में पूछा जाना चाहिए । इसके लिए प्रतिदिन एक घण्टा निर्धारित होता है । अगर सदन में उनका सवाल लग जाता है और उसका उत्तर मिल जाता है तो ठीक अदरवाइज उसे अगले सत्र में पूछा जाना चाहिए । कोई सदस्य मुझसे एकदम से कोई प्रश्न पूछे और मैं एकदम से उसका उत्तर दे दूं ऐसा नहीं हो सकता क्योंकि मेरे पास प्रश्न का घड़ा–घड़ाया जवाब नहीं होता है । उस प्रश्न का उत्तर माननीय सदस्य को बाद में दिया जाएगा । (विघ्न) अचानक पूछे गए प्रश्न का उत्तर हाथों–हाथ नहीं मिलेगा । (विघ्न)

श्री आनन्द सिंह दांगी : मुख्यमंत्री जी, आप उसकी क्लैरिफिकेशन तो दे सकते हैं । (विघ्न) **(इस समय श्री अध्यक्ष पदासीन हुए ।)**

श्री मनोहर लाल : अध्यक्ष जी, माननीय सदस्यों ने इस सत्र के दो दिनों में जो बातें उठाई हैं मैं उन्हीं का उत्तर दे रहा हूं । (विघ्न) मैं जानता हूं कि पिछली सरकारों ने किसानों को दो–दो रूपये के चैक दिये थे । वे मैंने माननीय सदस्यों को दिखा दिये हैं । यह मेरी तैयारी है । (विघ्न) सदन में कुछ सदस्यों ने प्रश्न पूछा था तो मैं सदन की जानकारी के लिए बताना चाहता हूं कि 'प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना' के अंतर्गत किसानों को 277 करोड़ रूपये की मुआवजा राशि वितरित की गई है । (विघ्न)

श्री करण सिंह दलाल : मुख्यमंत्री जी, आप सदन को बताइये कि इस योजना से सरकार के मंत्रियों के खाते में कितना पैसा गया है ? (शोर एवं व्यवधान)

श्रीमती गीता भुक्कल : अध्यक्ष महोदय, इसमें एफ.आई.आर. तक दर्ज हुई हैं । (शोर एवं व्यवधान)

श्री मनोहर लाल : अध्यक्ष जी, मैं बीमा कम्पनियों के नियम बता रहा हूं । इसका कोई अनुपात नहीं होता कि उपभोक्ता से कितना प्रीमियम लिया जाएगा और कितना मुआवजा दिया जाएगा । ऐसा इसलिए है क्योंकि बीमा एक लम्बे समय के लिए किया जाता है और इसकी कोई असैसमैंट नहीं होती । इसमें यह नहीं होता कि बीमा कम्पनी द्वारा उपभोक्ता को मुआवजा कम दिया गया है तो उसको प्रीमियम भी कम देना पड़ेगा या उसका नुकसान कम हुआ है तो प्रीमियम भी कम देना पड़ेगा । अगर किसी साल बीमा कम्पनी को 1000 करोड़ रूपये का प्रीमियम दिया गया है और नुकसान 3000 करोड़ रूपये का हुआ है तो मुआवजा भी 3000 करोड़ रूपये ही मिलेगा । (विघ्न) किसी भी सदस्य के प्रश्न का अगले सत्र में उत्तर दे दिया जायेगा या फिर आर.टी.आई. लगाकर इस बारे में उत्तर ले सकते है। (विघ्न) जितना नुकसान होगा मुआवजा भी उतना ही मिलेगा । बीमा का अर्थ नुकसान के बदले उसकी भरपाई होता है । (विघ्न)

श्री अध्यक्ष : इंश्योरेन्स तो ऐसे ही होता है । इसमें ऐसा नहीं होता कि आप लाइफ इंश्योरेन्स प्लान ले लें और उसके 4 साल बाद कहें कि हमारा व्यक्ति तो मरा ही नहीं है । (शोर एवं व्यवधान)

श्री मनोहर लाल : अध्यक्ष जी, मैं सोनीपत जिले के गांव निजामपुर में स्वयं चैक बांटकर आया हूं । वहां पर हमने 161 किसानों को पौने तीन करोड़ रूपये के चैक दिए थे । मेरे कहने का अभिप्राय है कि जहां पर नुकसान होगा वहीं पर मुआवजा दिया जाएगा । ऐसा नहीं होता कि हर किसी को मुआवजा दे दिया जाए । इन सारी चीजों से जान–बूझकर अनजान बनें यह बात माननीय सदस्यों को शोभा नहीं देती । (विघ्न)

श्री आनन्द सिंह दांगी : मुख्यमंत्री जी, आप सभी को अनजान बना देते हो । (विघ्न)

श्री अध्यक्ष : मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं कि दांगी जी आप जान–बूझकर अनजान बन रहे हो । (विघ्न)

श्री मनोहर लाल : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य सारी बातें जानते हैं । मेरा कहना है कि इस समय प्रश्न नहीं पूछे जा सकते । प्रश्न केवल प्रश्नकाल में पूछे जा सकते हैं । हमने किसान वर्ग के हित में ऐसे–ऐसे काम किये हैं कि कोई सोच भी नहीं सकता था । हमने किसानों के लिए 'भावान्तर भरपाई योजना' शुरू की है। हम खबरें सुनते थे कि किसान आलू को सड़क पर फेंककर आ गया, किसान की

फसल 1 रूपये प्रति किलो बिकी, किसान को अपनी सब्जियां औन–पौने दाम पर बेचनी पड़ी इत्यादि । इससे हमको भी बहुत पीड़ा होती थी । इसके बाद हमने तय किया कि किसानों को घाटा नहीं होने दिया जाएगा । हमने इसके लिए एक योजना बनाई । एक समिति फसलों के रेट फिक्स करेगी । इससे किसानों को कम से कम समिति द्वारा तय किये गये रेट तो मिलेंगे ही । समिति ने टमाटर का रेट 4 रूपये प्रति कि.ग्रा. और प्याज का रेट 5 रूपये प्रति कि.ग्रा. तय किया है । अगर कोई किसान इससे कम रेट पर अपनी फसल बेचकर आता है तो उसको 'जे' फार्म भरवाकर कम्पनशेट किया जाएगा । (विघ्न)

श्री आनन्द सिंह दांगी : अध्यक्ष महोदय, किसानों का इस रेट में भी पड़ता नहीं लगता है । (विघ्न)

कैप्टन अभिमन्यु : अध्यक्ष महोदय, इन्होंने अपने राज में एक–एक रूपये के चैक बांटे हैं । इनके राज में किसानों को अपनी फसलें सड़कों पर फेंकनी पड़ती थी । हमने किसानों की फसलों के लिए जो रेट तय किया है इन्होंने तो वह भी नहीं किया था । (शोर एवं व्यवधान)

श्री मनोहर लाल : अध्यक्ष जी, मेरा कहना है कि इस योजना के तहत फसलों के जो रेट तय किये जाते हैं वे हम तय नहीं करते है । इन रेट्स को एक समिति तय करती है । अगर समिति भविष्य में कोई नये रेट तय करती है तो वे फिक्स कर दिए जाएंगे । ये रेट 3 रूपये, 5 रूपये या 6 रूपये प्रति किलोग्राम कुछ भी हो सकते हैं । अतः ये रेट तो ऊपर–नीचे हो सकते हैं । हमने अभी तो यह योजना शुरू की है । भविष्य में डिमाण्ड के अनुसार फसलों के रेट भी बढ़ाए जा सकते हैं । मुझे पता है कि ये सब्जियां बाजार में 10–12 रूपये प्रति किलोग्राम के भाव पर बिक रही हैं । इस योजना के आने से किसान को एक गारण्टी और सुरक्षा मिल गई है । इससे पहले किसान को घाटा हो जाता था लेकिन उसको किसी प्रकार की सुरक्षा नहीं मिलती थी । मेरा कहना यह नहीं है कि यह कोई एम.एस.पी. है । हमने यह योजना किसान और प्रदेश के हित में बनाई है । इसके अतिरिक्त हमने प्रदेश में सिंचाई के बारे में भी विचार किया है । हमारा मानना है कि प्रदेश में पानी की मात्रा जब बढ़ेगी तब बढ़ेगी लेकिन फिलहाल हमारे पास पानी के जो स्त्रोत हैं हमें उनको ही बढ़ाना होगा । हमारे पास पानी बढ़ाने के प्रोजैक्ट्स के रूप में एस.वाई.एल. नहर, लखवार डैम, किशाऊ डैम, रेणुका डैम आदि हैं । (विघ्न) हमारा ध्येय यह होना चाहिए कि हमारे पास उपलब्ध पानी की उपयोगिता ठीक हो,

तथा जल प्रबन्धन के लिए सरकार कार्य कर ही रही है। माईक्रो इरिगेशन की चर्चा की गयी है इसके लिए 14 प्रोजैक्ट हैं, यह तो सिर्फ एक ही पार्ट है। इसके अलावा भी माईक्रो इरिगेशन को बढ़ावा देने के लिए योजनाएं बनायी गयी है। अगर कोई किसान माइक्रो इरिगेशन के तहत सिचाईं करेगा तो उस किसान को इस योजना के तहत 85 प्रतिशत पैसे की सब्सिडी दी जाएगी। माइक्रो इरिगेशन के लिए पहले 5 एकड़ जमीन की लिमिट थी परन्तु अब वह लिमिट सरकार ने खत्म कर दी है। इस प्रकार से माईक्रो इरिगेशन को बढ़ावा देने के लिए सरकार लगातार प्रयासरत है क्योंकि माईक्रो इरिगेशन से पानी की बचत होती है। हमारे प्रदेश में बहुत से ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर पानी नहीं पहुंचता है। इस बचे हुए पानी को उन स्थानों पर पहुंचाया गया है। इन्हीं प्रयत्नों के कारण सरकार ने 300 नहरों की टेलों तक पानी पहुंचाया है।

सरदार जसविन्द्र सिंह संधूः अध्यक्ष महोदय, मेरा आपके माध्यम से माननीय मुख्य मंत्री जी से अनुरोध है कि मेरे पेहवा हल्के के नजदीक सन्दौला माईनर की लेवलिंग ठीक करवायी जाएं।

श्री मनोहर लालः संधू जी, ठीक है। संबंधित माईनर की लेवलिंग ठीक करवा दी जाएंगी। अध्यक्ष महोदय, इसके अतिरिक्त बहुत सी ऐसी फसलें थी जो पहले एम. एस.पी. पर नहीं खरीदी जाती थी परन्तु हमारी सरकार ने उन फसलों को एम.एस. पी. पर खरीदा है (विघ्न)।

श्री अनिल विजः अध्यक्ष महोदय, माननीय मुख्य मंत्री जी द्वारा जबाव दिया जा रहा है यह कोई वार्तालाप नहीं हो रहा है। (विघ्न) इसलिए माननीय सदस्यों को जबाव सुनना चाहिए।

श्री अध्यक्षः माननीय सदस्यगण, माननीय मुख्यमंत्री जी जबाव दे रहे हैं इसलिए आप शांत रहें।

श्री मनोहर लालः अध्यक्ष महोदय, हमारी सरकार के आने से पहले मूंग नहीं खरीदा जाता था और सरकार ने एम.एस.पी. पर मूंग भी खरीदा है। पहले सुरजमुखी की फसल 25 प्रतिशत खरीदी जाती थी लेकिन हमारी सरकार ने इस फसल को बढ़ाकर 50 प्रतिशत तक खरीदा है। पहले बाजरे की फसल नहीं खरीदी जाती थी परन्तु हमारी सरकार ने बाजरे की फसल को भी एम.एस.पी. रेट पर बाजरा खरीदा है। अबकी बार मक्की खरीदने की योजना बनायी गयी है और पी.डी.एस. के माध्यम

से 1 रूपये किलों के हिसाब से देने की योजना है। हमारा लक्ष्य यह है कि बाजरा और मक्की की फसल बचनी नहीं चाहिए क्योंकि बाजरे/मक्की की खपत निश्चित समय के लिए होती है। कुछ महीने तक ही मक्की और बाजरे को खाया जाता है क्योंकि इन फसलों को साल भर नहीं खाया जाता है। एक अनुमान लगाकर मक्की की फसल भी खरीदेगें। इस वर्ष जितनी भी सरसों की फसल मंडियों में आएगी उस सारी फसल को एम.एस.पी. के रेट पर खरीदा जाएगा हालांकि इसके लिए नैफेड का 25 प्रतिशत फसल खरीदने का ही कोटा है, लेकिन सरकार ने निर्णय किया है कि किसानों की सारी सरसों की फसल खरीदी जाएगी। इसके लिए सरकार ने एक रास्ता निकाला है जिसके तहत इस सरसों का हैफेड की मिलों के माध्यम से अथवा बाहर की तेल मिलों के माध्यम से तेल बनवाया जाएगा और उस तेल को 20 रूपये प्रति लीटर के हिसाब से एक परिवार को देने के लिए योजना बनायी है। यह तेल पी.डी.एस. सिस्टम के माध्यम से 20 रूपये प्रति लीटर के हिसाब से वितरित किया जाएगा। इसके अतिरिक्त जहां तक गन्ने की बात है। यह बात ठीक है कि जितना गन्ना हमारे प्रदेश में पैदा होता है उतने गन्ने की प्रदेश में खपत नहीं है। हमारे प्रदेश में लगभग पौने 12 करोड़ टन गन्ना पैदा होता है परन्तु हमारी मिलों की क्षमता 10 टन करोड़ या 10.50 टन करोड़ के लगभग है। सरकार द्वारा गन्ने की मिलों की पिराई की क्षमता बढ़ाने के लिए प्रयास किये जा रहे हैं। उदाहरण के लिए करनाल में नयी मिल की क्षमता बढ़ाने का कार्य शुरू हो गया है और यह कार्य एक साल में पूरा हो जाएगा। पानीपत में 5,000 टी.सी.डी. की मिल बनायी जा रही है और सोनीपत में भी गन्ने की मिल बनाने की एनाउसंमैंट की गयी है। इसके अतिरिक्त पलवल और जीन्द जिलों से भी गन्ने की मिल बनाने के लिए मांग आयी हुई है। भूना में दोबारा से गन्ने की मिल चलाने के लिए डिमांड आयी हुई है। इन क्षेत्रों में गन्ने की मिलें बनाने के लिए सरकार द्वारा फिजिब्लिटी चैक करवाई जा रही है। हमारे प्रदेश में गन्ने का समर्थन मूल्य 330/– रूपये प्रति क्विंटल है जो पूरे देश में सर्वाधिक है।

श्री आनंद सिंह दांगी: अध्यक्ष महोदय, इस बात में कोई संदेह नहीं है कि आज हरियाणा में गन्ने का समर्थन मूल्य पूरे देश में सबसे ज्यादा है लेकिन गन्ने का यह समर्थन मूल्य पिछली सरकारों के समय से ही अन्य राज्यों की तुलना में ज्यादा चला आ रहा है।

श्री मनोहर लालः अध्यक्ष महोदय, सरकार द्वारा गन्ने का एम.एस.पी. समय–समय पर मैंनटेन किया जा रहा है और गन्ने का एम.एस.पी बढ़ाने के कारण किसानों को लाभ हो रहा है।

श्री आनंद सिंह दांगी: अध्यक्ष महोदय, कल एक बात गन्ने की प्रॉक्यूमैंट के बारे में आई थी। प्रदेश में गन्ने की पैदावार एक एकड़ में लगभग 350–500 क्विंटल तक हो जाती है परन्तु सरकार द्वारा लगभग 100–120 क्विंटल गन्ने को खरीदने का ही बौंड भरा जाता है। इसलिए जो बाकी गन्ना बच जाता है उस गन्ने को किसान कहां पर बेचेगा।

श्री मनोहर लालः अध्यक्ष महोदय, प्रदेश की मिलों में गन्ने की पिराई की जितनी क्षमता है, उसी क्षमता के हिसाब गन्ना खरीदा जा रहा है (विघ्न)।

श्री आनंद सिंह दांगी: अध्यक्ष महोदय, पिछले विधान सभा के सैशन के दौरान माननीय कृषि मंत्री जी ने किसानों की सारी गन्ने की फसल खरीदने का आश्वासन दिया था। सरकार के माननीय मंत्री जी गन्ने को सरकंडा बताकर किसानों का मजाक उड़ा रहे हैं।

श्री ओम प्रकाश धनखड़ः अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्य को बताना चाहूंगा कि अखबार में फोटो आया हुआ है उसमें सरकंडा ही दिखाई दे रहा है (विघ्न)।

श्री मनोहर लालः अध्यक्ष महोदय, ऐसी बात नहीं है। अखबार में माननीय सदस्य का फोटो ही ऐसा आया हुआ था। इसलिए माननीय सदस्यों को राई, पानीपत, करनाल से बढ़िया गन्ना लाना चाहिए था, लेकिन दांगी जी, महम का गन्ना लेकर आए थे। ये मदीना से गन्ना ला सकते थे। दांगी जी, अगर आप करनाल या सोनीपत से गन्ना लेकर आ जाते तो ज्यादा अच्छा होता। (शोर एवं व्यवधान)

कैप्टन अभिमन्युः अध्यक्ष महोदय, कांग्रेस वालों ने तो हमें भांग के पकौड़े खिला दिए हैं। (शोर एवं व्यवधान)

श्री मनोहर लालः अध्यक्ष महोदय, जैसा हमारे माननीय सदस्य ने पूछा है कि किसानों का कितना पैसा गया है तो मैं बताना चाहूंगा कि किसानों के द्वारा प्रीमियम के रूप में सिर्फ 194 करोड़ रुपए भरे गए थे।

श्री करण सिंह दलालः अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से जानना चाहता हूं कि ये हमें सारा रिकॉर्ड बता दें ?

श्री मनोहर लालः अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय करण सिंह जी को बताना चाहूंगा कि अभी हमारे पास इसकी पूरी डिटेल नहीं है, लेकिन मैं यह जरूर बताना चाहूंगा कि किसानों के प्रीमियम के रूप में 194 करोड़ रुपए आए थे, जिसके बदले में उनको 267 करोड़ रुपए मुआवजे के रूप में दिए गए थे।

सरदार जसविंद्र सिंह संधूः अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को बताना चाहूंगा कि ये जो 194 करोड़ रुपए का आंकड़ा बता रहे हैं, उसे एक बार दोबारा से चैक करवा लें।

श्री मनोहर लालः अध्यक्ष महोदय, मैं बताना चाहूंगा कि इन्होंने अचानक से यह आंकड़ा पूछा है और मेरे पास भी अचानक से इसके बारे में जानकारी आई है, इसलिए जितना मुझे इस समय पता है वही मैंने बताया है।

श्री ओम प्रकाश धनखड़ः अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्य को बताना चाहूंगा कि जिन किसानों को 267 करोड़ रुपए का मुआवजा बांटा गया है, उसका ही यह आंकड़ा है और आने वाले समय में जब भी इस क्रॉप का मुआवजा बांटा जाएगा तो उसका आंकड़ा भी बता दिया जाएगा।

श्री मनोहर लालः अध्यक्ष महोदय, एक विषय कर्मचारी वर्ग के बारे में बताना चाहूंगा जो बार–बार उठाया जाता है। अध्यक्ष महोदय, मेरे कहने का मतलब यह है कि कर्मचारी वर्ग के अलग–अलग हिस्से होते हैं और उसका अलग–अलग प्रकार का इम्पैक्ट होता है। उनमें स्थायी और अस्थायी कर्मचारी भी होते हैं। अध्यक्ष महोदय, मैंने पहले आंगनबाड़ी वर्कर्ज की चर्चा कर दी थी जिसकी दोबारा से चर्चा करने की आवश्यकता नहीं है। कर्मचारियों से रिलेटिड जितने भी इस प्रकार के जब आंदोलन होते हैं तब हम उन सबकी यूनियसं को बुलाकर बात करते हैं। अगर उनकी मांग जैन्युअन होती है और हम यह पता लगाते हैं कि उसका प्रदेश के एक्सचेकर के ऊपर कितना लोड पड़ने वाला है, उसके हिसाब से हम बजट में उनकी व्यवस्थाएं करते हैं। अध्यक्ष महोदय, मैं बताना चाहूंगा कि सामान्यतः ये सुविधाएं पैसों के रूप में ज्यादा होती हैं जैसे कर्मचारियों का तनख्वाह बढ़ाना, कर्मचारियों का महंगाई भत्ता बढ़ाना या कर्मचारियों को किसी प्रकार की कोई सुविधा देना। जिसका बजट के ऊपर इम्पैक्ट होता ही होता है। इस तरह से हर चीज का प्रदेश के एक्सचेकर

के ऊपर फाइनेंशियल इम्पैक्ट होता ही है। हम इसके लिए एक नॉर्मस बनाते हैं, जिसके तहत सभी को सुविधाएं दी जाएं। मैं बताना चाहूंगा कि हमने इस तरह से बहुत से वर्गों को सुविधाएं भी दी हैं। एक मोटी बात मैं सातवें वेतन आयोग की करना चाहूंगा। केन्द्र सरकार ने जैसे ही सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों को लागू किया उसके तुरन्त बाद हमने हरियाणा प्रदेश में सबसे पहले सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों को लागू किया। (मेंजें थप–थपाई गईं) अध्यक्ष महोदय, सरकार ने सोचा कि जब कर्मचारियों को सातवें वेतन आयोग का लाभ 6 महीने बाद या 1 साल के बाद देने पर भी हमें 1 जनवरी, 2016 से उन्हें पैसा देना पड़ेगा तो हम इसे रोककर क्यों रखें ? इसलिए जिस दिन सातवा वेतन आयोग अनाउंस हुआ हमने उसी दिन से हरियाणा प्रदेश में सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों को लागू कर दिया और आज की तारीख में हरियाणा प्रदेश के कर्मचारियों को सातवें वेतन आयोग का लाभ मिल रहा है।

श्री करण सिंह दलालः अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी से कहना चाहूंगा कि इससे रिलेटिड शिकायतें तो अभी भी आ रही हैं। (विघ्न)

श्री मनोहर लालः अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्य को बताना चाहूंगा कि ऐसी कोई सरकार नहीं होगी जो इस प्रकार के शिकायतों की विहीन चलेगी, ऐसा युग कभी भी नहीं आएगा।

श्री अभय सिंह चौटालाः स्पीकर सर, मैं आपके माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी से कहना चाहूंगा कि ये आज कह रहे हैं कि इन्होंने हरियाणा प्रदेश में सातवें वेतन आयोग को लागू कर दिया, लेकिन इनका जो चुनाव घोषणापत्र था और उस समय जब ये सत्ता में नहीं आए थे तो उस समय इनकी पार्टी के जो जिम्मेवार लोग थे, चाहे वे श्री राम बिलास शर्मा जी हों या कोई दूसरा व्यक्ति हो, उन्होंने कच्चे कर्मचारी, गैस्ट टीचर्ज, लैब असिस्टेंट या इस तरह के जितने कर्मचारी थे, उनको यह आश्वासन दिया था कि उनका वेतनमान पंजाब सरकार के वेतनमान के समान किया जाएगा। अध्यक्ष महोदय, मैं कहना चाहता हूं कि मुख्यमंत्री जी उन वायदों के बारे में बताएं, जिन्हें इन्होंने पूरा नहीं किया है ? (शोर एवं व्यवधान)

श्री मनोहर लालः अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय विधायक अभय जी को बताना चाहूंगा कि जिन वायदों को हमने पूरा किया है, ये पहले उन्हें सुन लें।

श्री अभय सिंह चौटालाः अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से पूछना चाहूंगा कि इन्होंने कौन–से कर्मचारियों को पक्का किया है? वे बेचारे कर्मचारी सुबह और शाम आपकी सरकार को कोसते रहते हैं (शोर एवं व्यवधान) वे 24 घंटे सड़कों पर प्रदर्शन करते रहते हैं, उसके बाद भी सरकार कहती है कि हमारी मजबूरी है। अध्यक्ष महोदय, मैं सरकार से पूछना चाहूंगा कि जब इनकी मजबूरी थी तो इन्होंने लोगों को आश्वासन क्यों दिया था ? (शोर एवं व्यवधान)

श्री मनोहर लालः अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय सदस्य को बताना चाहूंगा कि हमने एक बात अपने चुनाव घोषणापत्र में स्पष्ट लिखी हुई थी कि हम जो कुछ भी करेंगे, उसे नियमानुसार करेंगे। (विघ्न) यदि हम नियमानुसार काम नहीं करेंगे तो दस साल वाले घर में जाना पड़ेगा। हमें अपने आपको उस दस साल वाले घर में लेकर नहीं जाना है। हम ऐसे काम नहीं करेंगे जिसके कारण हमें वहां जाकर बैठना पड़े । नियमों को ताक पर रख कर काम करने के कारण जहां आज विपक्ष के साथी जाकर बैठे हैं हम वहां नहीं जायेंगे क्योंकि हम नियमों के अनुसार ही कार्य करेंगे । (विघ्न) अध्यक्ष महोदय, हमारी सरकार आने से पहले होम गार्ड्स को बहुत कम पैसा मिलता था । हमने आते ही उनका दैनिक वेतनमान पुलिस के बराबर किया जो कि 300 रुपये प्रति दिन से ज्यादा है । पहले इनको बहुत सामान्य पैसा मिलता था लेकिन हमने आते ही उनकी तनख्वाह बढ़ाई है । इसी तरह से हमने आंगनवाड़ी वर्कर्ज का वेतनमान 7500 रुपये से बढ़ाकर 11500 रुपये किया है जो कि पूरे देश में सबसे ज्यादा है। अध्यक्ष महोदय, अध्यापकों की ट्रांसफर पॉलिसी का जिक्र मैंने पहले ही कर दिया है। केवल अध्यापकों की ही नहीं बल्कि अप्रेल में 8 विभागों की ट्रांसफर पॉलिसी और आ जायेगी । जिन–जिन विभागों में एक केडर की स्ट्रैंथ 500 या उससे ज्यादा है उन सभी की ट्रांसफर पॉलिसी बनेगी । उनमें मनवल कोई हस्तक्षेप नहीं होगा । यह कर्मचारियों की बहुत बड़ी मांग थी जिसको हम जल्द ही पूरा करने जा रहे हैं। अध्यक्ष महोदय, कर्मचारियों की बात करते समय विपक्ष के साथी सारी बातें हम से अपेक्षा करते है तो थोड़ी बातें उस समय हमको अच्छी भी लगती हैं । क्या अच्छी लगती हैं कि कम से कम हम से इस राम राज की अपेक्षा तो की जा रही है । इस राम राज की अपेक्षा हम से की जा रही है यह हमको अच्छा लगता है । (विघ्न) विपक्ष के साथी ही हमारे से राम राज की अपेक्षा करते हैं और हमें यह अच्छा लगता है । (विघ्न)

श्री अभय सिंह चौटाला : अध्यक्ष महोदय, प्रदेश में जो क्राईम हुए हैं उनकी हर महीने की रिपोर्ट मैंने यहां दी है फिर मुख्यमंत्री जी किस राम राज की बात कर रहे हैं । (विघ्न)

श्री अध्यक्ष : अभय सिंह जी, आप मुख्यमंत्री जी का जवाब तो सुन लें । पूरा प्रदेश मान रहा है कि हरियाणा में राम राज ही है । (विघ्न)

श्री मनोहर लाल : अध्यक्ष महोदय, विपक्ष के साथी यदि सरकार की सकारात्मक आलोचना भी करते हैं वह भी हमें अच्छी लगती है । (विघ्न) अध्यक्ष महोदय, मेरा तो इतना ही कहना है कि–

आग लगाने वालों को कहां यह खबर,

रूख हवाओं ने बदला तो खाक हमको भी कर देगा । (2)

इसलिए आग लगाने वालों को यह याद रखना चाहिए कि हवाओं ने रूख बदल लिया तो वे भी जलकर खाक हो जायेंगे । हमारे विपक्ष के साथियों को यह खबर नहीं है कि आग लगाने वाले भी खाक हो जायेंगे । अध्यक्ष महोदय, विपक्ष के साथी जो आग लगाते हैं उसी के बारे में यह बात कह रहा हूं । (विघ्न)

श्रीमती गीता भुक्कल : अध्यक्ष महोदय, मुख्यमंत्री महोदय प्रकाश कमेटी की रिपोर्ट के बारे में भी बता दें । (विघ्न)

श्री अध्यक्ष : गीता जी, जब आपको बोलने का समय दिया जायेगा उस समय आप प्रकाश कमेटी की रिपोर्ट पर बोल लेना । (विघ्न)

श्री मनोहर लाल : अध्यक्ष महोदय, करप्शन का इश्यू भी बीच–बीच में यहां उठाया गया । करप्शन का ईश्यू आज हमारे ऐसे मित्र ने उठाया जिसको सुनकर हमारे कान सकपका गये कि आज तक जो करप्शन के सागर में डूबे रहे वे हमारे ऊपर करप्शन की बात कर रहे हैं । हमारी केन्द्र और राज्य की सरकारें करप्शन पर जीरो टोलरैंस की पॉलिसी पर चल रही हैं । यदि विपक्ष के साथी हमारी सरकार पर करप्शन का कोई चार्ज लगाते हैं तो उसे सिद्ध करें हम कार्रवाई करेंगे । केवल बोलने से बात नहीं होती विपक्ष के साथी तथ्य प्रस्तुत करें हम जिम्मेवारी के साथ इन्क्वायरी करवायेंगे । चार्जिज सिद्ध करने के हमारे देश में बहुत प्लेटफार्म हैं । (विघ्न)

श्री अध्यक्ष : दलाल साहब, प्लीज आप बैठें । आपने जो बोला है उसी का जवाब मुख्यमंत्री जी दे रहे हैं । (विघ्न)

श्री मनोहर लाल : अध्यक्ष महोदय, प्रदेश में हमारी सरकार बनते ही हमने तहसीलों में ई–रजिस्ट्री शुरू कर दी जिसके कारण आज के दिन जमीन की रजिस्ट्री करवाने के लिए जमीन की कीमत के अलावा अतिरिक्त पैसे जेब में डालकर जाने की जरूरत नहीं है जबकि पहले जमीन खरीददार को जमीन की कीमत के अलावा हजारों–लाखों रुपये जेब में डालकर जाना पड़ता था । आज के दिन जमीन खरीददार तहसील में जाकर डाक्यूमैंट्स टिक मार्क करके सबमिट करवा दे उसके बाद शाम को रजिस्ट्री मिल जाती है । फिर भी यदि कहीं कोई शिकायत हमारी जानकारी में आती है तो उसको हम हल करते हैं । हम यह दावा नहीं कर रहे कि 100 प्रतिशत करप्शन खत्म हो गई है । (विघ्न) एक मैगजीन में रिपोर्ट छपी है जिसमें लिखा है कि हरियाणा में 50 प्रतिशत करप्शन थी जो अब 2017 में 19 प्रतिशत रह गई है । यदि उस मैगजीन की रिपोर्ट को भी मान लें तब भी 31 प्रतिशत करप्शन प्रदेश से खत्म हुई है । विपक्ष के साथी यह तो स्वीकार करें कि हमारी सरकार आने के बाद करप्शन कम हुई है । (विघ्न) पिछली सरकार के समय में कहा जाता था कि वह सरकार बी.बी.सी. की सरकार थी । इसका मतलब यही था कि भर्ती, बदली और सी.एल.यू. की सरकार थी । उस समय शाम को बी.बी.सी. से एकत्रित किए पैसे का हिसाब होता था ? अध्यक्ष महोदय, जमीन का किसी भी तरह का सी.एल.यू. देने की पावर डायरैक्टर को होती है लेकिन 1990 से कोई भी सरकार सी.एल.यू. की पावर डायरैक्टर को नहीं दे रही थी । कानून के तहत सी. एल.यू. की पावर डायरैक्टर को दी हुई है लेकिन पिछली सरकारों ने मुख्यमंत्री आफिस में सी.एल.यू. की फाईल मंगवाने के लिए साथ में लिखा दिया था कि for the concurrence of the subject file should be routed through C.M. Office. अध्यक्ष महोदय, सी.एल.यू. की फाईल का मुख्यमंत्री के आफिस से होकर गुजरने का कोई मतलब नहीं था । हमने 1 नवम्बर, 2016 को घोषणा कर दी थी कि इस सिस्टम को हम बंद करेंगे । 1991 से लेकर 2016 तक मुख्यमंत्री आफिस से ही सी.एल.यू. होते थे लेकिन हमने यह सिस्टम बंद कर दिया है। हमारे अच्छी तरह समझ आ गया था कि इस कारण से हमारे उपर भी आरोप लग सकता है इसलिए हमने कहा कि सी.एल.यू. का कार्य डायरैक्टर का है और आगे से सी.एल.यू. का काम डायरैक्टर ही करेगा । अध्यक्ष महोदय, इसके अतिरिक्त हमने बहुत से सिस्टम

डीम्ड और ऑन लाईन कर दिए हैं। (विघ्न) अध्यक्ष महोदय, सारी चीजें हमारे चश्में के नीचे नहीं हैं लेकिन हमारे सामने कोई कमी की बात आती है तो उसको हम जरूर ठीक करेंगे । मैं विपक्ष के साथियों को गारंटी देता हूं कि यदि कहीं कोई कमी है तो उसे हमारे सामने लायें हम उसको ठीक करेंगे । मैं यह गारंटी नहीं देता कि कहीं कुछ गलत कार्य नहीं होता होगा । हमारा सिस्टम बहुत बड़ा है इसमें कहीं न कहीं कुछ कमियां/खामियां रह जाती हैं लेकिन हमारे ध्यान में आने पर उनको हम दूर करते हैं । (विघ्न) अध्यक्ष महोदय, हमारा बड़ा साफ रास्ता है और गलत रास्ते पर न हम चलेंगे तथा न दूसरों को चलने देंगे । यदि कहीं कोई कमी है उसको दूर करने के लिए विपक्ष के साथी बतायेंगे तो उस पर हम तुरंत एक्शन लेंगे । (विघ्न) अध्यक्ष महोदय, जितनी भी डिसक्रीसनरी पावर्ज हैं उनको हमने कम करना शुरू कर दिया है । चाहे वह लाईसैंस बनाने की पावर हो, चाहे वह ट्रांसफर करने की पावर हो, चाहे नियुक्यिां करने की पावर हो यानि डिसक्रीसनरी पावर्ज को हमने कम किया है । अध्यक्ष महोदय, नियुक्यिों के विषय में बोलते हुए मैं सदन को बताना चाहूंगा कि आने वाले समय में प्रदेश में ग्रुप सी और डी की भर्तियों में इन्टरव्यू खत्म करने जा रहे हैं । पहले जो 10 या 12 प्रतिशत का इन्टरव्यू होता था उसमें इंटरव्यू लेने वाले डिसक्रीसनरी पावर यूज करते हुए 1 नम्बर से लेकर 9 नम्बर तक लगा सकते थे लेकिन अब ऐसा नहीं होगा । अब कंडीडेट की पर्सनल अचीवमैंट्स और लिखित परीक्षा में जो नम्बर आयेंगे उन दोनों को मिलाकर जो मैरिट बनेगी उसी के आधार पर सिलेक्शन होगा ।

श्री अभय सिंह चौटाला : अध्यक्ष महोदय, सरकार भविष्य में क्लास–सी और डी की भर्तियों में इंटरव्यू खत्म कर रही है इससे पारदर्शिता तो आ सकती है लेकिन इसमें सबसे बड़ी दिक्कत यह रहेगी कि जो गांव में पढ़ने वाले बच्चे हैं वे शहर में अच्छे स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों को मैरिट में कंपीट नहीं कर पायेंगे । गांव के बच्चों को भी सरकारी जोब मिले उसके लिए उनको 12 से 15 प्रतिशत की छूट दी जाये । जब तक यह गैप पूरा नहीं किया जायेगा तब तक हरियाणा के ग्रामीण आंचल के बच्चों को सरकारी नौकरी नहीं मिलेगी । इसके अतिरिक्त यदि इंटरव्यू सिस्टम खत्म होता है तो हमारे यहां यू.पी. और बिहार के बच्चों को भी ज्यादा नौकरियों मिलेंगी क्योंकि उनके वहां ऐकेडमिक नम्बर बहुत ज्यादा होते हैं । आज पहले ही लोकल बच्चों की नौकरियों खत्म हो रही हैं और बाहर के बच्चों को

ज्यादा नौकरियां मिल रही हैं । हमारे बच्चों को नौकरियां मिले इसका बंदोबस्त करना भी सरकार का ही काम है ।

श्री मनोहर लाल : अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय विपक्ष के नेता को बताना चाहूंगा कि इसके लिए हमने खुलकर चर्चा की थी । उसके बाद हमने इसके लीगल आसपैक्ट की जानकारी भी ली थी और उसमें यह कहा गया कि मैरिट में अलग से छूट देने लीगली कहीं नहीं टिक पायेगें ।

श्री अभय सिंह चौटाला : अध्यक्ष महोदय, पहले भी ऐसा होता था । हिसार एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में ग्रामीण आंचल के बच्चों को छूट दी जाती थी ।

श्री मनोहर लाल : अध्यक्ष महोदय, विपक्ष के नेता यह बतायें कि क्या वहां अब भी इस तरह की छूट एडमिशंज में ग्रामीण आंचल के बच्चों को दी जाती है ?

श्री अभय सिंह चौटाला : अध्यक्ष महोदय, अब भी वहां एडमिशंज में ग्रामीण आंचल के बच्चों को छूट मिलती है ।

श्री करण सिंह दलाल : अध्यक्ष महोदय, पहले तो ग्रामीण आंचल से जो बच्चे दसवीं या बारहवीं की परीक्षा पास करके हिसार एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेते थे तो उन्हें 5 प्रतिशत की छूट मिलती थी लेकिन अब ऐसा है या नहीं है इसकी जानकारी सरकार ले सकती है ।

श्री अभय सिंह चौटाला : अध्यक्ष महोदय, सरकार के पास सारा तंत्र है ये पता लगा सकते हैं कि अब वहां छूट मिल रही है या नहीं मिल रही ।

श्री मनोहर लालः अध्यक्ष महोदय, वह फिलहाल सस्टेन हो गया है आगे चल कर क्या होगा उसके बारे में अभी कुछ नहीं कहा जा सकता है। हमने एक और अच्छा काम किया है उसके बारे में भी सुन लीजिए। हमने उसमें एक क्लॉज डाली है कि जिस परिवार में एक भी नौकरी नहीं है उस परिवार के सदस्य को 5 अंक अलग से मिलेंगे। इससे यह लाभ होगा कि न होने से कुछ प्रतिशत तो फायदा मिलेगा। जहां तक रूरल एरिया के लिए रिजर्वेशन की बात है तो हम उसका अध्ययन करवा लेते हैं जो भी बात निकल कर आयेगी उसको देख लिया जायेगा।

श्री करण सिंह दलालः अध्यक्ष महोदय, जब सरकार ने इंटरव्यू सिस्टम ही समाप्त कर दिया है तो हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग को भी भंग कर दिया जाये, उसकी भी जरूरत नहीं है।

श्री मनोहर लालः अध्यक्ष महोदय, लिखित परीक्षाएं भी करवानी पड़ती हैं और परिणाम भी तैयार करने होते हैं इसलिए आयोग को भंग नहीं किया जा सकता है। आयोग में इसके अलावा भी बहुत से काम होते हैं। पैन्शन में बहुत भ्रष्टाचार होता था। ओल्ड ऐज पैन्शन, विधवा पैन्शन तथा दिव्यांग पैन्शन को हमने ऑनलाईन करके बैंकों को दे दिया है। इसी कारण से 2 लाख घोस्ट पैन्शनर्स जो थे ही नहीं लेकिन जिनके नाम से पैन्शन निकाली जा रही थी उनको बाहर निकाल दिया है ताकि यह भ्रष्टाचार रुके।

श्री अभय सिंह चौटालाः अध्यक्ष महोदय, यह पैन्शन बैंकों में करने के कारण बुजुर्गों को कितनी दिक्कत हो रही है आप यह भी पता करवा लें?

श्री मनोहर लालः अध्यक्ष महोदय, सभी गांवों में बैंक हैं और जिन गांवों में बैंक नहीं हैं वहां पर बी.सी.ए. जाता है और जहां पर बी.सी.ए. नहीं जाता है वहां पर पोस्ट ऑफिस भी हैं उनमें भी पैन्शन ली जा सकती है।

श्री अभय सिंह चौटालाः अध्यक्ष महोदय, मैं अपना आधार कार्ड बनवाने के लिए गया था। डबवाली सब–डिविजन मे एक प्राईवेट आदमी को आधार कार्ड बनवाने के लिए एक मशीन दी हुई है कि आप बनाओगे। मैं दो बार आधार कार्ड बनवाने के लिए गया तो दोनों बार वहां पर ताला लगा हुआ मिला। जब मैं ही आधार कार्ड नहीं बनवा सकता तो एक आम आदमी अपना आधार कार्ड कैसे बनवायेगा? जो आदमी गांव में चारपाई में पड़ा हुआ है वह कहां से पैन्शन लेगा? बैंक सभी गावों में नहीं है। मेरे गांव चौटाला में तो बैंक है लेकिन तेजा खेड़ा में नहीं है, आशा खेड़ा में नहीं है तो उन लोगों को तो पैन्शन लेने के लिए चौटाला ही आना पड़ेगा।

श्री मनोहर लालः अध्यक्ष महोदय, जो लोग चलने फिरने में सक्षम नहीं हैं उनके लिए हमने आदेश दिये हुये हैं कि टैबलेट लेकर वहां जा कर उनके आधार कार्ड बनाए जायें।

श्री अभय सिंह चौटालाः अध्यक्ष महोदय, कोई नहीं जाता है वहां पर आधार कार्ड बनाने के लिए। उन लोगों को स्वयं परेशान हो कर आधार कार्ड बनवाने पड़ते हैं।

वित्त मंत्री (कैप्टन अभिमन्यु) : अध्यक्ष महोदय, नेता प्रतिपक्ष ने जो आधार कार्ड का विषय रखा है मैं उसके बारे में कुछ जानकारी देना चाहता हूं। पूरे हिन्दुस्तान में हरियाणा प्रदेश ऐसा प्रदेश है जिसमें आधार कार्ड की रजिस्ट्रशन 103 प्रतिशत हो

चुकी है। इसके अतिरिक्त मैं यह भी जानकारी देना चाहूंगा कि 0 से 5 साल तक के बच्चों की आधार कार्ड की रजिस्ट्रेशन में हरियाणा पहले स्थान पर है। आज कहीं पर भी आधार कार्ड बनवाने के लिए चाहे बैंक में व्यवस्था हो, चाहे तहसील में व्यवस्था हो या पोस्ट ऑफिस में व्यवस्था हो या जो हमारे अटल सेवा केन्द्र हैं उनमें भी व्यवस्था है। यहां तक कि जो हॉस्पिटल्स हैं उनमें नवजात शिशु का भी आधार कार्ड बनवाने की व्यवस्था है। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से नेता प्रतिपक्ष से निवेदन करना चाहूंगा कि अगर वे पता कर लेते कि आधार कार्ड बनवाने की व्यवस्था कहां–कहां पर है तो उनको आधार कार्ड बनवाने में दिक्कत नहीं होती। आज पूरा हरियाणा आधार कार्ड बनवा चुका है और हमारा आधार कार्ड का रजिस्ट्रेशन 103 प्रतिशत तक पहुंच चुका है।

श्री अभय सिंह चौटाला: अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से पूछना चाहूंगा कि यह 103 प्रतिशत कैसे हो गया? इसका मतलब यह है कि जरूरत से ज्यादा आधार कार्ड बनाये गये हैं।

कैप्टन अभिमन्यु: अध्यक्ष महोदय, मैं इस महान सदन के सामने जो आंकड़े दे रहा हूं वे पूरी जिम्मेदारी के साथ दे रहा हूं। उसमें ओवरलैपिंग हुई है और उसको दूर किया जा रहा है।

श्री मनोहर लाल: अध्यक्ष महोदय, मैं भ्रष्टाचार पर अपनी बात रख रहा था। भ्रष्टाचार को समाप्त करने के लिए हमने ई–ऑक्शन का सिस्टम शुरू कर दिया है। ई–ऑक्शन का सिस्टम बहुत से विभागों में बहुत कारगर ढंग से चल रहा है जिसके कारण विभागों की गड़बड़ियां ठीक हुई हैं। मैं इसका एक उदाहरण देना चाहता हूं। यह उदाहरण एच.एस.आई.आई.डी.सी. का है। एच.एस.आई.आई.डी.सी. का गुरूग्राम में एक 11 या 11.5 एकड़ का प्लाट था। उस प्लाट को लेने के लिए कुछ लोगों ने 700–800 करोड़ रुपये की ऑफर दी और उसकी कीमत लगाई। हमको उस समय तो लगा कि बहुत अच्छी कीमत है दे देना चाहिए लेकिन पता चला कि इसको हम सीधा दे ही नहीं सकते । अगर हम सीधा दे ही नहीं सकते हैं तो यह तरीका तो ई–ऑक्शन का है । तब हमने उसको ई–ऑक्शन पर लगाया । ई–ऑक्शन पर उसकी जो रिजर्व प्राईस है वह उस समय की कोस्ट और वहां का मार्किट रेट देखा तो वह 686 करोड़ रूपये था तो यह 686 करोड़ रूपये उसका रिजर्व प्राईस रखा । इस 686 करोड़ रूपये पर 700, 750, 800 और 1000 करोड़

रूपये जितना रेट आएगा उतना हम करेंगे । आपको यह सुन कर हैरानी होगी कि जिस दिन इसकी लास्ट डेट थी और जिसकी ऑक्शन का टाईम रात 9 बजे का था उस समय यह ऑक्शन 1136 करोड़ रूपये थी । लेकिन उसमें एक कंडीशन भी थी। अगर यह ऑक्शन फाईनल समय से केवल एक मिनट पहले की है अर्थात रात 8:59 और 9:00 बजे के बीच में है तो ऐसा न हो कि किसी और को मौका न मिले तो वह टाईम ऑटोमैटिक्ली 5 मिनट बढ़ जाएगा । उस 5 मिनट में अगर और भी कोई आना हो तो आ जाए । जब समय 9:05 बजे हो गया तो ऑक्शन बढ़ गई और समय 9:10 बजे हो गया तो भी ऑक्शन बढ़ गई । यह ऑक्शन बढ़ते–बढ़ते 9:39 बजे पर यह ऑक्शन 1446 करोड़ रूपये हो गया जिसका हम अनुमान भी नहीं लगा सकते । इसके बाद 9:44 बजे यह ऑक्शन अन्त में 1496 करोड़ रूपये हो गया । यानि यह ऑक्शन 9:50 बजे समाप्त हुई । आखिरी ऑक्शन 1496 करोड़ रूपये की गई । इसमें एक अनुमान और लगाया जा सकता है कि अगर ये पिछले सारे खेल चल रहे होते तो यह और ज्यादा होती । यह तो केवल रॉ लैंड की ऑक्शन है । उसके जो लाईसैंस लेंगे, टी.ओ.डी. आएगा और जो कुछ आएगा वह सारी चीजें बाद में होंगी । वह डिपार्टमैंटल काम है लेकिन रॉ लैंड भी अगर वहां एक औद्योगिक इकाई है या कोई कॉमर्शियल इकाई है वह कंपिटीशन में आने के लिए तैयार है । जब हमने बाद में पता किया कि इतनी ऑक्शन लाने वाले कौन–कोन लोग थे । उनमें से तीन–चार नाम तो ऐसे हैं जिनके साथ हमारा स्वाभाविक परिचय भी है । लेकिन ऑक्शन से पहले कोई आदमी हमारे पास ऐसा नहीं आया है कि यह जमीन हमें दिलवा दो । उनका कोई क्लर्क भी हमारे पास नहीं आया । उसके बाद जिनको जमीन नहीं मिली वह भी संतुष्ट हैं कि हमें इस बार मजा आ गया क्योंकि अबकी बार ओपन तरीके से ऑक्शन हुई है जिसको जमीन लेनी थी वह ले गया ।

श्री करण सिंह दलाल : मुख्यमंत्री जी, पंचकूला में आपने रामदेव को बिना ऑक्शन के बहुत सारी जमीन दे दी ।

श्री मनोहर लाल : दलाल साहब, हमने रामदेव को कहीं भी कोई भी जमीन नहीं दी है । (शोर एवं व्यवधान) उनको कोई जमीन नहीं दी गई है केवल सरकार की जमीन पर एक हर्बल पार्क बनाया गया है । इसके अलावा कोई जमीन किसी को नहीं दी गई है ।

श्री अध्यक्ष : दलाल जी, आप प्लीज बैठ जाईये ।(शोर एवं व्यवधान)

श्री मनोहर लाल : अध्यक्ष महोदय, हमने तो बिल्कुल ई–ऑक्शन निकाली है । लेकिन पिछली सरकार ने पोलिटिकल पार्टीज के लिए जो पॉलिसी बनाई थी हमने आने के बाद उसके रेट बढ़ाए हैं और रेट बढ़ाने के बाद हमने उसको अखबारों में निकाला है । सारे स्टेट व नेशनल अखबारों में उसकी एडवर्टाईजमैंट की है । (शोर एवं व्यवधान) आपके खाते में जितना पैसा है उससे तो कम ही होगा । (शोर एवं व्यवधान) मेरा यह कहना है कि अगर इसको पिछली पॉलिसी के तहत किया जाता तो यह एक नोमिनल प्राईस के ऊपर कहीं भी किसी को भी किसी के जीजा और किसी की साली को वह जमीन देकर नकी करते और बाद में कहते कि हमने सिस्टम से सभी को वह जमीन दे दी है । इतने बड़े–बड़े काम हमारे ई–ऑक्शन के माध्यम से हो रहे हैं । यह भी भ्रष्टाचार को दूर करने का एक नमूना है । (शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : करण सिंह जी, प्लीज आप बैठ जाईये । (शोर एवं व्यवधान)

श्री मनोहर लाल : जो आपके पास आते थे उनकी मेरे पास सारी लिस्ट है और मौका आते ही उनका कुछ न कुछ कर लेंगे ।(शोर एवं व्यवधान)इसलिए अभी मैं खुदा से यह प्रार्थना करता हूं कि **'ए खुदा एक आईना ऐसा भी बना, जिसमें शक्ल की जगह किरदार नजर आए ।'** समय को देखते हुए मैं कभी भूल न जाऊं । अध्यक्ष महोदय, सदन में लॉ एंड आर्डर पर बहुत सी चर्चाएं हुई हैं लेकिन लॉ एंड आर्डर के संबंध में जो मुख्य बात होती है वह यह है कि मान लो कोई अपराध या घटना घटित हो जाती है तो उस अपराध या घटना का कितना जल्दी निष्पादन होता है, कितनी जल्दी उसके उपर कार्रवाई होती है तथा कितना जल्दी उसको सोल्व किया जाता है, इस सबसे ही पुलिस और प्रशासन की व्यवस्था का आकलन होता है। अपराध भिन्न–भिन्न कारणों से होते हैं। अगर हम अपराधों के विषय में बात करने लगेंगे तो फिर बहुत सी तुलनाएं हमारे सामने आयेंगी और तुलनात्मक परीक्षण में बात फिर वहीं की वहीं अटक जायेगी। घटनाएं पहले की सरकारों में भी होती रही और अब भी हो रही हैं। इसको कोई भी नकार नहीं सकता है। मैं सदन की जानकारी के लिए कुछ घटनाओं का जिक्र करूंगा परन्तु यह जिक्र केवल मात्र कंपेरिजन दिखाने के लिए है। देखिए वर्ष 2012 में 516 रेप की घटनायें हुई। इसी प्रकार वर्ष 2013 में रेप की 923 घटनायें हो जाती है, यानी आचानक से रेप की

घटनाओं में 78 प्रतिशत वृद्धि हो जाती है। अगर हम इन रेप की घटनाओं के लिए यह कहें कि तत्कालीन सरकार का दोष है, तो यह ठीक बात नहीं होगी। सरकार का इस तरह की घटनाओं में कोई दोष नहीं होता है। अभी पिछले दिनों जनवरी माह में अचानक से रेप की घटनाओं में वृद्धि हो गई। इस तरह की घटनाएं घृणा का काम है और यह नहीं होनी चाहिए लेकिन फिर भी रेप की घटनाओं में अचानक वृद्धि हुई। इस तरह की घटनाओं को रोकने के लिए सरकार को तो अपने प्रयत्न करने ही चाहिए और साथ ही समाज को भी प्रयत्न करने की जरूरत होती है क्योंकि इस तरह की घटनाओं को रोकने में सामाजिक परिपेक्ष्य भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। समाज में एक तरह से जागरण की आवश्यता होती है, समाजिक परिस्थितियां बदलने की भी आवश्यकता होती है और इस सबके लिए बहुत सी चीजें हमारी सरकार ने की हैं। जहां तक पुलिस इंफ्रॉस्ट्रक्चर की बात है उसके बारे में भी मैं सदन में आज बताना चाहूंगा। सदन में एक बात यह भी आई कि गर्वनर एड्रैस में लॉ एंड आर्डर पर कोई बात नहीं कही गई है। अध्यक्ष महोदय, यदि गवर्नर एड्रैस के पैरा संख्या 108 से लेकर 111 तक के पैराज को देखें तो यह पैराज लॉ एंड आर्डर के विषय पर ही आधारित हैं कि किस प्रकार प्रदेश में लॉ एंड आर्डर की स्थिति को सुधारना है। पैरा संख्या 108 बताता है कि हरियाणा प्रदेश के प्रत्येक पुलिस थाने में पुलिस मित्र कक्ष खोले जायेंगे ताकि जनता को किसी प्रकार की कोई कठिनाई न हो और उनके खिलाफ जो अपराध हुआ है उसके खिलाफ बिना किसी कठिनाई के एफ.आई.आर. लिखी जा सके। अगर कोई अपराध हो जाता है और एफ.आई.आर. न लिखी जाए तो यह भी किसी अपराध से कम बात नहीं है। जहां तक प्रदेश में एफ.आई.आर. के आंकड़ो में वृद्धि की बात है, तो यह आंकड़े इसलिए बढ़े हैं क्योंकि अब सभी घटनाओं की तुरन्त एफ.आई.आर. लिख दी जाती है और यही कारण रहा है कि अब हमारे सामने ऐसी कोई शिकायत भी नहीं आती कि किसी की एफ.आई.आर. नहीं लिखी गई। (शोर एवं व्यवधान)

श्री उदय भानः अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री महोदय का ध्यान आकृष्ट करना चाहूंगा कि मेरे निर्वाचन क्षेत्र में पुलिस स्टेशन, हसनपुर आता है। 23 फरवरी, 2018 को श्री रमेश चन्द्र पुत्र श्री राम, गांव मीरपुर कौराली जोकि अनुसूचित जाति से संबंध रखता था कि खाम्बी गांव के रकबे में स्थित ट्यूबवैल पर जिसका मालिक सोनू व उसका पिता सत्यदेव है और जोकि मीरपुर कौराली का निवासी है, के ट्यूबवैल पर हत्या की गई लेकिन इस केस की आज तक एफ.आई.

आर. दर्ज नहीं हुई है और इसी ट्यूबवैल पर गांव कामरका के एक दलित व्यक्ति का पहले भी मर्डर हो चुका है तथा एक दलित युवती का बलात्कार भी हो चुका है।

श्री मनोहर लालः अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से होम मिनिस्टर के नाते माननीय सदस्य से इतना जरूर कहना चाहूंगा कि वह एक विधायक हैं, अगर इनके क्षेत्र में ऐसी घटना हुई है और उस पर कोई एफ.आई.आर. दर्ज नहीं की गई है, यदि वह यह बात मेरे तक पहुंचा देते तो अभी तक तो हम अपराधियों को टांग देते। खैर अब मैं विषय पर आता हूँ यह कहा जा रहा है कि हर पुलिस स्टेशन में एफ.आई.आर. की संख्या का ग्राफ इसलिए बढ़ा है क्योंकि अपराधों की संख्या बढ़ गई है। यह बात बिल्कुल नहीं है इसको न तो हम मानते हैं और न ही हमने अपने अधिकारियों को इस बात को मानने के लिए कहा है। इसका कारण यह है कि पहले एफ.आई.आर. नहीं लिखी जाती थी लेकिन अब सभी एफ.आई.आर. लिखी जाती है और यही कारण है कि अब एफ.आई.आर. की संख्या में वृद्धि दर्ज की जा रही है। कुछ समय बाद इस संख्या में स्टेबिलिटी आयेगी तब यह विचार का विषय बन जायेगा कि एफ.आई.आर की संख्या क्यूं बढ रही हैं। अभी तक तो एफ.आई. आर. न लिखने का जो गैप था हम उस गैप को भरने का पूरा प्रयास कर रहे हैं। हमने अभी प्रदेश में लगभग 153 करोड़ रूपये की "हरियाणा 100" नामक योजना शुरू की है जिसमें 40 करोड़ रूपये की लागत से केन्द्रीय पुलिस नियंत्रण कक्ष बनेंगे और ये बनने भी चालू हो गए हैं। 1 नवम्बर, 2018 तक यह योजना शुरू हो जायेगी जिसके अंतर्गत 450 पुलिस के वाहन फिल्ड में रहेंगे जिनके माध्यम से अगर कोई व्यक्ति फोन से किसी घटना की शिकायत करता है तो 15 मिनट के अन्दर अन्दर पुलिस शिकायकर्ता के पास पहुंच जायेगी। इस योजना का मूल उद्देश्य अपराधियों में भय पैदा करने का है। हमने सिपाहियों और उपनिरिक्षकों की भर्ती अभी की है और इनके अतिरिक्त हमने लगभग 4000–5000 पुलिस कर्मियों की भर्ती का रास्ता भी क्लीयर कर दिया है जिसमें साक्षात्कार को खत्म कर दिया गया है और बहुत जल्दी यह भर्ती पारदर्शी तरीके से हो जायेगी। हाल ही में हमने गुरूग्राम में रात्रि के समय में गश्त के लिए एक विशेष पुलिस अधिकारियों का दस्ता तैयार करने के लिए 1000 पद अभी हाल ही में सृजित किए है और बहुत जल्दी इनकी भी भर्ती हो जायेगी। इस दस्ते की एक कंडीशन यह होगी कि यह दस्ता केवल मात्र रात को ड्यूटी देगा। इस प्रकार से पहले पुलिस विभाग में 6 प्रतिशत

ही महिलाएं होती थी लेकिन हमारी सरकार के आते ही 9 प्रतिशत तक महिलाओं की भर्ती पुलिस विभाग में हो गई है। आज 'अन्तरारष्ट्रीय महिला दिवस' के नाते से 1 हजार महिला पुलिस के पद स्वीकृत कर रहे हैं ताकि हरियाणा पुलिस विभाग में महिलाओं की संख्या ज्यादा बढ़े। पहले दो महिला पुलिस थाने हुआ करते थे लेकिन आज तीस के करीब महिला पुलिस थाने खुल चुके हैं। सब–डिविजन लैवल पर महिला एवं बाल विकास के लिए अलग से डैस्क शुरू कर दिए हैं। (विघ्न)

श्री अभय सिंह चौटाला : अध्यक्ष महोदय, सदन के नेता कह रहे हैं कि अपराध करने वाला कोई भी व्यक्ति हो सकता है। यह बात ठीक है कि अपराधी कोई भी हो सकता है। लेकिन अपराध करने वाले को यदि पुलिस पकड़े तो ज्यादा अच्छा होता है। हरियाणा में लॉ एण्ड ऑर्डर की पोल तो उस दिन खुल गई थी जब गुरूग्राम के रियान स्कूल में एक बच्चे का मर्डर हुआ था और वहां की पुलिस ने एक निर्दोष कंडक्टर को पकड़ कर जेल में डाल दिया था। पुलिस ने उस आदमी को बेवजह मुलजिम बना दिया। जब सरकार ने यह केस सी.बी.आई. को दे दिया और जब सी.बी.आई. जांच हुई तो उन्होंने असली मुलजिम को पकड़ लिया। इस पर हरियाणा सरकार के एक मंत्री ने कहा था कि सी.बी.आई. बिना किसी मतलब के अनजान आदमी को पकड़ लेती है और यह भी कहा कि मुझे सी.बी.आई. पर भरोसा नहीं है। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सदन के नेता से पूछना चाहता हूँ कि जिस पुलिस ने एक निर्दोष आदमी को मुलजिम बनाया क्या सरकार ने कोई कार्रवाई की थी। बिना किसी ठोस सबूत के एक निर्दोष आदमी को जिसका कोई मतलब ही नहीं था उसे पकड़ कर जेल में डाल दिया और मुलजिम बना दिया। क्योंकि यह दिल्ली के साथ लगता हुआ इलाका था। अगर वहाँ की पुलिस चार दिन और रूक जाती और सही ढंग से जांच और कार्रवाई करती तो निर्दोष की जगह असली गुनहागार पकड़ा जाता ।

श्री मनोहर लाल : अध्यक्ष महोदय, यह डिपार्टमैंट का विषय है। यह बात मैं डिपार्टमैंट की तरफ से नहीं कह रहा हूँ बल्कि मैं अपनी तरफ से कह रहा हूँ। एरर ऑफ जजमैंट कभी भी किसी बात में संभावित होता है। उस इलाके के लोग बता देंगे कि जब पुलिस ने कार्रवाई शुरू की तो यह केस इस तरफ गया और जब सी. बी.आई. ने कार्रवाई शुरू की तो यह केस दूसरी तरफ गया। अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से एक दूसरा उदाहरण मैं सदन को बताना चाहता हूँ कि डिंगर हेड़ी के केस में भी ऐसा ही हुआ था। जिन अपराधियों को सी.बी.आई. ने पकड़ कर जेल में

डाला वे गलत निकले थे लेकिन बाद में पुलिस ने एफ.आई.आर. दर्ज करके असली अपराधियों को पकड़ा वो ठीक निकले थे। (विघ्न) इसलिए एरर ऑफ जजमैंट कभी भी किसी बात में संभावित हो सकता है, क्योंकि यह डिपार्टमैंट की कार्रवाई है उसमें हम लोगों को जाने की कोई आवश्यकता नहीं है। ज्यादा से ज्यादा उस कार्रवाई को माननीय न्यायालय देखेगा। (विघ्न) आज भी इन सब विषयों पर पुलिस की कार्रवाई के बाद माननीय न्यायालय की जजमैंट आयेगी तब तक हम और आप इन विषयों पर कुछ नहीं कह सकते हैं और इस सदन में यह चर्चा का विषय नहीं होना चाहिए।

श्री अभय सिंह चौटाला : अध्यक्ष महोदय, सदन के नेता पहले यह बताएं कि किस विषय पर चर्चा करें। जब लॉ एण्ड ऑर्डर की बात चल रही है तो इस पर ही चर्चा होगी।

श्री मनोहर लाल : अभय सिंह जी, यह लॉ एण्ड ऑर्डर का विषय नहीं है।

श्री अध्यक्ष : अभय सिंह जी, सदन के नेता लॉ एण्ड ऑर्डर के विषय पर नहीं बल्कि इन्क्वॉयरी के बारे में सदन को बता रहे हैं कि किसी से भी गलती हो सकती है।

श्री अभय सिंह चौटाला : अध्यक्ष महोदय, इसका मतलब यह है कि पुलिस अपने आप को बचाने के लिए किसी भी निर्दोष आदमी को मुलजिम बना देगी।

श्री मनोहर लाल : अभय सिंह जी, यह बात तो माननीय न्यायालय देखेगा।

श्री अभय सिंह चौटाला : अध्यक्ष महोदय, इसका मतलब यह है कि आपका अपना विभाग पुलिस पर कंट्रोल नहीं है। जब आपका अपने अधिकारियों पर ही कंट्रोल नहीं रहा तो आप किस चीज के मुख्यमंत्री हो।

बैठक का समय बढ़ाना

श्री अध्यक्ष : यदि सदन की सहमति हो तो बैठक का समय 30 मिनट के लिए बढ़ा दिया जाए।

आवाजें : ठीक है जी।

श्री अध्यक्ष : बैठक का समय 30 मिनट के लिए बढ़ाया जाता है।

राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर चर्चा (पुनरारम्भ) तथा धन्यवाद प्रस्ताव पर मतदान

श्री मनोहर लाल : अध्यक्ष महोदय, एक विषय प्रकाश सिंह कमेटी का आया था। उस प्रकाश सिंह कमेटी की बहुत बड़ी रिपोर्ट वेबसाइट पर डाली हुई है। हमने उस रिपोर्ट को पढ़ा था और उसमें एक विषय ध्यान में आया था, जिसका जिक्र मैं अध्यक्ष महोदय आपके माध्यम से सदन में करना चाहता हूँ।

वॉक–आउट

श्री अभय सिंह चौटाला : अध्यक्ष महोदय, हम सदन के नेता से लॉ एण्ड ऑर्डर पर चर्चा सुनना चाहते हैं। जिसका जवाब माननीय मुख्यमंत्री महोदय सही ढंग से नहीं दे रहे हैं क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री महोदय का अपने गृह विभाग पर बिल्कुल भी कंट्रोल नहीं है। अध्यक्ष महोदय, सदन के नेता द्वारा लॉ एण्ड ऑर्डर के संबंध में दिए गए जवाब से हम बिल्कुल भी संतुष्ट नहीं है, इसलिए हम सदन से वॉक–आउट कर रहे हैं।

19:00 बजे

(इस समय सदन में उपस्थित इण्डियन नैशनल लोकदल के सदस्य माननीय मुख्यमंत्री द्वारा कानून–व्यवस्था जो बद से बदतर हो रही थी, के विषय पर उत्तर से संतुष्ट न होने के विरोध स्वरूप सदन से वॉक–आउट कर गये।)

राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर चर्चा (पुनरारम्भ) तथा धन्यवाद प्रस्ताव पर मतदान।

श्री मनोहर लाल : अध्यक्ष महोदय, विगत वर्षों में रही अलग–अलग सरकारों के दौरान बल के प्रयोग पर एस्टेब्लिशमैंट द्वारा भ्रकुटियां चढ़ाई जाती थी, जिसका उल्लेख मैं प्रकाश सिंह कमेटी की रिपोर्ट पैरा नं0 11.8 पढ़ रहा हूँ, खासकर के जिसका संबंध कांग्रेस पार्टी की सरकार से रहा है। उस रिपोर्ट में लिखा है कि –

> '' आत्मरक्षा के लिए तत्कालिन हिसार के एस.पी. सुभाष यादव द्वारा 2010 में बल का प्रयोग करने पर उनके विरूद्ध हत्या का मामला दर्ज करने से पुलिस के नीचले रैंक में गलत संदेश गया हुआ था।''

यानी एक एस.पी. के ऊपर धारा 302 लगा दी, तो उसमें पुलिस क्या करेगी। अध्यक्ष महोदय, पुलिस का रैंक और उसका मनोबल कैसे बना कर रखा जाये। (शोर एवं व्यवधान)

श्री जय प्रकाश : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सदन के नेता को बताना चाहता हूँ कि उस केस में एफ.आई.आर. दर्ज हुई थी और उसके बाद मैजिस्ट्रेट इन्क्वॉयरी हुई थी। उस इन्क्वॉयरी में श्री सुभाष यादव का नाम निकल कर आया था। (विघ्न) एफ.आई.आर. इसलिए दर्ज करनी पड़ी थी क्योंकि वहाँ कानून व्यवस्था बिगड़ गई थी। लोगों की आमने–सामने आपसी मुठभेड़ हो गई थी, इस दौरान एस.पी. श्री सुभाष यादव की पिस्टल निकली थी। जब मामला ठीक हो गया तो इन्क्वॉयरी के बाद उनका नाम एफ. आई. आर. से निकाल दिया गया। (शोर एवं व्यवधान)

डॉ0 अभय सिंह यादव : जय प्रकाश जी, एस0 पी0 श्री सुभाष यादव ने तो गोली नहीं चलाई थी। (शोर एवं व्यवधान)

श्री जय प्रकाश : यादव जी, गोली तो चली थी तभी तो आदमी मरा था। (शोर एवं व्यवधान)

डॉ0 अभय सिंह यादव : जय प्रकाश जी, आप झूठ बोल रहे हैं। एस0 पी0 श्री सुभाष यादव ने गोली नहीं चलाई । (शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : अभय जी, आप शांत हो जाइये। (शोर एवं व्यवधान)

डॉ0 अभय सिंह यादव : जय प्रकाश जी, यह गलत बात है, सदन में झूठ नहीं बोलना चाहिए। (शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : जय प्रकाश जी, आपकी बात सुन ली गई है। प्लीज आप अपनी सीट पर बैठ जायें। (शोर एवं व्यवधान)

श्री जय प्रकाश : यादव जी, मैंने यह कब कहा कि एस0पी0 श्री सुभाष यादव ने गोली चलाई है। (शोर एवं व्यवधान)

आवाजें : अध्यक्ष महोदय, आप इन्हें चुप कराइए। (शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : जय प्रकाश जी और अभय जी आप दोनों शांत हो जाइये। (शोर एवं व्यवधान)

श्री मनोहर लालः अध्यक्ष महोदय, हमारी सरकार ने गलत तथ्य रोकना तथा पुलिस का मनोबल बढाए रखना बहुत जरूरी समझा है अन्यथा इसके बहुत बड़े दुष्परिणाम हो सकते हैं। फरवरी 2016 में आरक्षण के आंदोलन के दौरान हरियाणा राज्य में

प्रशासन और पुलिस मशीनरी का जो व्यवहार था, वह क्राईसिज तत्कालीन सेवारत अधिकारियों की अक्षमता की वजह से पैदा नहीं हुआ था बल्कि यह क्राईसिज वर्षों और शताब्दियों के राजनीतिकरण के फलस्वरूप स्थापित हुई संस्थागत गिरावटों के कारण हुआ था यानी पुलिस भी राजनीति में शामिल हो गयी थी। पुलिस में भर्तियां राजनीतिक तौर पर हुई थी। इस तरह के बहुत से विषयों के कारण हुए दुष्परिणामों के बारे में प्रकाश सिंह कमेटी की रिपोर्ट में लिखा है।

श्री जय प्रकाशः अध्यक्ष महोदय, यह इसी सरकार का नतीजा है (विघ्न)।

डॉ0 अभय सिंह यादवः अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से बताना चाहूंगा कि यह मेरा वही भतीजा था जिसने डिंगर हेड़ी के केस को सॉल्व किया था (विघ्न)। इसलिए पुलिस क्रिमिनल नहीं है। अगर पुलिस किसी क्रिमिनल को उठाती है तो क्या पुलिस क्रिमिनल हो जाती है। (विघ्न)।

श्री अध्यक्षः अभय सिंह जी, आप बैठ जाईये (विघ्न)।

डॉ0 अभय सिंह यादवः अध्यक्ष महोदय, अगर कोई व्यक्ति गुंडागर्दी करता है तो उस व्यक्ति को सजा देना पाप नहीं है (विघ्न)।

श्री करण सिंह दलालः अध्यक्ष महोदय, मेरे पास "आउट–लुक" मैगजीन है जिसमें लिखा है कि "Haryana Police is very strong, but it is poorely guided, ex-top cop Prakash Singh says, "An army of lions led by sheep" यानी एक भेड़ फोर्स का नेतृत्व कर रही है। इस मैगजीन में तो प्रकाश सिंह कमेटी ने तो आपके नेतृत्व को भेड़ बताया है।

श्री मनोहर लालः अध्यक्ष महोदय, यह बात गलत है और मेरे पास भी प्रकाश सिंह कमेटी की रिपोर्ट है (विघ्न)।

श्री करण सिंह दलालः अध्यक्ष महोदय, मेरे पास मैगजीन है यह उस में लिखा है या तो यह मैगजीन गलत है। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से बताना चाहूंगा कि उन दिनों सी.एम. साहब माने या ना माने यह सब सरकार की गलत नियती थी और गलत नेतृत्व था जिसके कारण हरियाणा में इतना बड़ा नरसंहार हुआ था वरना हरियाणा प्रदेश में आज तक ऐसा कभी नहीं हुआ था (विघ्न)।

श्री मनोहर लालः अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से बताना चाहूंगा कि जिस प्रकार का काम इन लोगों ने किया है वह काम घृणित और निंदनीय है (विघ्न)।

वित्त मंत्री (कैप्टन अभिमन्यु): अध्यक्ष महोदय, इनकी पार्टी के पॉलिटिक्ल एडवाईजर लोगों को भड़काने का काम कर रहे थे। (विघ्न) रोहतक जिले में बहुत कुछ हुआ लेकिन सिरसा जिले में कीड़ी भी नहीं मारी गयी । इनकी पार्टी के पूर्व मंत्री और पूर्व नेताओं के मोबाईल का रिकार्ड चैक करें। प्रदेश में कफ्र्यू लगने के बाद भी आग लगाते हुए घूम रहे थे । (विघ्न) इसलिए इनके नेताओं के मोबाईलों की लोकेशन चैंक करवाएं (विघ्न)। यह काम कांग्रेस के लोगो ने किया था।

सहकारिता राज्य मंत्री (श्री मनीष कुमार ग्रोवर): अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्यों से पूछा जाए कि मोबाईल में आवाज किसकी थी और कांग्रेस पार्टी का प्रोफेसर विरेन्द्र सिंह कौन था (विघ्न)?

कैप्टन अभिमन्यु: अध्यक्ष महोदय, माननीय श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा और इनके लोगों ने आग लगवाकर लोगों को मरवाने का काम किया। (विघ्न) यह लोग रोहतक, झज्जर तथा सोनीपत जिलों में खुले घूम रहे थे और आग लगाने वाले लोग हैं। इनको आग लगाकर भी शर्म नहीं आयी (विघ्न)।

श्री मनीष कुमार ग्रोवरः अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्यों से पूछा जाए कि प्रौफेसर विरेन्द्र सिंह कौन था (विघ्न) ?

कैप्टन अभिमन्युः अध्यक्ष महोदय, इनको आग लगाने के बाद भी शर्म नहीं आयी इसलिए इन सभी लोगों को जेलों में जाना चाहिए (विघ्न)।

श्री मनीष कुमार ग्रोवरः अध्यक्ष महोदय, इनसे पूछा जाएगा कि प्रौफेसर विरेन्द्र सिंह ने क्या किया है (विघ्न) ?

कैप्टन अभिमन्यु: अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय सदस्यों के मुंह पर नहीं कहना चाहता। इनके लोग कफ्र्यू तोड़कर खुले घूम रहे थे और शहर में आग लगा रहे थे। लिस्ट बनाकर आग लगा रहे थे हमारी माननीय सदस्या श्रीमती गीता भुक्कल जी का घर जला दिया इन लोगों ने बेशर्मी से साजिश करके हरियाणा को जलाने का काम किया है। (विघ्न) ये बेशर्म लोग हैं (विघ्न)।

श्री मनीष कुमार ग्रोवरः अध्यक्ष महोदय, इनसे पूछा जाए कि प्रौफेसर विरेन्द्र सिंह कौन है (विघ्न) ?

कैप्टन अभिमन्युः अध्यक्ष महोदय, इनको आग लगाने के बाद भी शर्म नहीं आयी। ये लोग निर्लज हैं। कांग्रेस के लोगों ने साजिश करके हरियाणा के लोगों को जलाने का काम किया है। हरियाणा में भाईचारा तोड़ने का काम किया है और हरियाणा के भाईचारे के हत्यारे ये लोग हैं। हरियाणा में शांति और अमनचैन तोड़ने के ये हत्यारे हैं (विघ्न)।

श्री ज्ञान चन्द गुप्ताः अध्यक्ष महोदय, इन्होंने आग लगाने का काम किया था (विघ्न)।

श्री अध्यक्षः माननीय सदस्यगण बैठ जाएं।

श्री आनंद सिंह दांगीः अध्यक्ष महोदय, सदन में क्या चल रहा है ?(शोर एवं व्यावधान)।

कैप्टन अभिमन्युः अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्यों को बताना चाहूंगा कि किसी भी माननीय सदस्य को धमकी देने का कोई अधिकार नहीं है (विघ्न)।

श्री अध्यक्षः दांगी जी, आप बैठ जाईये (विघ्न)।

श्री करण सिंह दलालः अध्यक्ष महोदय, यह आग लगवाने का काम इन्होंने ही किया था (विघ्न)।

कैप्टन अभिमन्युः अध्यक्ष महोदय, ये तो सिर्फ धमकाना जानते हैं। (विघ्न) इन्होंने अपनी पार्टी के अध्यक्ष श्री अशोक तंवर जी की गर्दन तोड़ दी। यहां पर गुंडागर्दी करने का कोई अधिकार नहीं है। ये दलित भाई की गर्दन तोड़ देते हैं।(विघ्न) ये गुंडागर्दी को प्रोत्साहन दे रहे हैं (विघ्न)।

श्री मनीष कुमार ग्रोवरः अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से इनसे पूछना चाहूंगा कि प्रोफेसर विरेन्द्र सिंह जी कौन थे? वे कांग्रेस के ही नेता थे। (शोर एवं व्यवधान)

कैप्टन अभिमन्युः अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से इन कांग्रेस के विधायकों को बताना चाहूंगा कि हम डरने वाले नहीं हैं। (शोर एवं व्यवधान) और न ही हम आपके डरावे में आने वाले हैं। हम कभी भी चोरों से डरा नहीं करते हैं। (शोर एवं व्यवधान)

श्री मनीष कुमार ग्रोवरः अध्यक्ष महोदय, मैं इनसे पूछना चाहता हूं और हरियाणा की जनता भी जानना चाहती है कि प्रोफेसर विरेन्द्र सिंह कौन थे जिनकी आवाज टेप हुई है, (शोर एवं व्यवधान) जो कहते थे कि रोहतक को तो हमने जला दिया, लेकिन सिरसा में तुमने कीड़ी भी नहीं मारी। (शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्षः आप सभी लोग बैठ जाएं, मुख्यमंत्री जी बोल रहे हैं।

श्री मनोहर लालः अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय सदन को बताना चाहूंगा कि हमारे माननीय राज्यपाल महोदय के एड्रेस में जितनी भी बातें लिखी गई हैं, चाहे उसमें इन्फ्रास्ट्रक्चर का विषय हो, चाहे के.एम.पी. का विषय हो, चाहे इंडस्ट्रियल डेवल्पमेंट का विषय हो या चाहे गरीब कल्याण की योजनाएं हो। वे सारी बातें एकदम सही और सार्थक हैं।

श्री आनंद सिंह दांगीः अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से आग्रह करना चाहूंगा कि ये अपना भाषण जल्दी खत्म करें।

श्री मनोहर लालः दांगी जी, ठीक है। हम अपना भाषण जल्दी समाप्त कर देंगे, मुझे लगता है कि आप थक गए हैं। (हंसी)

श्री आनंद सिंह दांगीः अध्यक्ष महोदय, इन्हें जनता माफ नहीं करेगी। (शोर एवं व्यवधान)

कैप्टन अभिमन्युः अध्यक्ष महोदय, मैं श्री आनंद सिंह दांगी जी को बताना चाहूंगा कि जनता तो इन्हें जूता मार रही है। (शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्षः आप सभी लोग बैठ जाएं।

श्री मनोहर लालः अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सदन को बताना चाहूंगा कि हमने दलित उत्थान के लिए बहुत सारे क्रांतिकारी कदम उठाए हैं। हमने हरियाणा में पहली दफा सफाई कर्मचारी आयोग का गठन किया है। हमने ग्रामीण सफाई कर्मचारियों के वेतन में वृद्धि की और एस.सी. के पदों के बैकलॉग को भरने का काम भी शुरू किया। अध्यक्ष महोदय, हमने चार महापुरुष जिनमें गुरु रविदास, भीम राव अम्बेडकर, भगवान श्री बाल्मीकि और कबीर जी इन सभी लोगों के सम्मान में इनकी जयंती मनाने का फैसला किया है। (मेंजें थप–थपाई गईं) अध्यक्ष महोदय, मैं यह भी बताना चाहूंगा कि संत रविदास जी के नाम पर कैथल में 100 करोड़ रुपए की लागत से एक संस्कृत विश्वविद्यालय भी बनवाया जाएगा। (मेंजें थप–थपाई गईं)

श्री करण सिंह दलालः अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से कहना चाहूंगा कि ये सफाई कर्मचारियों की भर्ती जल्द–से–जल्द करवाएं।

श्री अध्यक्षः श्री करण सिंह जी, आप कृपया बैठ जाएं।

श्री मनोहर लालः अध्यक्ष महोदय, मैं बताना चाहूंगा कि हरियाणा प्रदेश में एस.सी. और बी.सी. के बच्चों के लिए 11 हॉस्टल्ज का निर्माण करवाया जा रहा है। (मेंजें थप–थपाई गईं) अध्यक्ष महोदय, मैं यह भी बताना चाहूंगा कि 1025 नए ग्रामीण सफाई कर्मचारियों की भर्ती भी शुरू करवाई जा रही है। अध्यक्ष महोदय, गरीबों के कल्याण के लिए अभी तक प्रदेश और केन्द्र की लगभग 250 से 300 ऐसी योजनाएं हैं, जिनमें बहुत सी योजनाएं विद्यार्थियों, महिलाओं, अनुसूचित जाति, किसानों और मजदूरों से जुड़ी हुई हैं। (मेंजें थप–थपाई गईं) अध्यक्ष महोदय, ऐसी बहुत सी योजनाओं के द्वारा लोगों को जागरूक करने की दृष्टि से यह तय किया गया है कि हर तहसील केन्द्र पर अधिकारियों की देख–रेख में एक अंत्योदय कार्यालय खोला जाएगा और उस अंत्योदय कार्यालय में एक ही छत के नीचे सब लोगों को योजनाएं उपलब्ध होंगी, यहीं से उन्हें जानकारियां मिलेंगी, वे यहीं पर फार्म भी भर सकेंगे और अपनी–अपनी आवश्यकताओं के अनुसार उन योजनाओं का लाभ उठा सकेंगे। अध्यक्ष महोदय, मैं यह भी बताना चाहूंगा कि 15 अप्रैल, 2018 से कुछ कार्यालय शुरू भी हो जाएंगे और बाकी के कार्यालय अगले साल खोले जाएंगे।

श्रीमती शकुन्तला खटकः अध्यक्ष महोदय, मुझे एक मिनट बोलने का समय दिया जाए।

श्री अध्यक्षः शकुन्तला जी, आप अपनी सीट पर बैठ जाएं? (शोर एवं व्यवधान)

श्री मनोहर लालः बहन जी, आप बैठ जाइए। हम सबका जवाब देंगे।

श्री अध्यक्ष : शकुंतला जी, आप कृपया करके बैठ जायें। आपकी कोई भी बात रिकार्ड नहीं हो रही है।

श्री मनोहर लाल : स्पीकर सर, इसी प्रकार से एक समस्या ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में विशेष रूप से पेश आ रही है कि श्मशान भूमि अव्यवस्थित है। इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए हमारी सरकार ने शहरी क्षेत्रों के साथ ही साथ ग्रामीण क्षेत्रों में जो शिवधाम अर्थात् स्वर्गाश्रम हैं जिनको श्मशान भूमि भी कहते हैं इन सबके नवीकरण के लिए हमने एक योजना बनाई है जिसकी मैं आज घोषणा कर रहा हूं।

उनके लिए चार चीजों का प्रबंध किया जाएगा, जिसमें पहला शमशान भूमि की चारदीवारी, दूसरा शमशान भूमि मैं न्यूनतम एक शैड और आवश्यकतानुसार दो शैड्ज़ की व्यवस्था, तीसरा वहां पर पानी की व्यवस्था करेंगे अगर पानी के कनैक्शन की व्यवस्था होगी तो ठीक है, नहीं तो वहां पर हैण्ड पम्प लगवाया जायेगा, चौथा शमशान घाट तक पहुंचने के लिए रास्ते का प्रबंध किया जाएगा क्योंकि वर्षा के दिनों में सबसे महत्वपूर्ण रास्ता ही होता है। इन चारों चीजों का प्रबंध इस योजना के तहत पूरे हरियाणा प्रदेश के श्मशान घाटों में किया जाएगा। इस योजना को शिवधाम नवीकरण योजना नाम दिया गया है। मैं आज यह घोषणा करता हूं कि इस योजना को अगले वित्तीय वर्ष से शुरू किया जाएगा। (विघ्न)

श्री करण सिंह दलाल : स्पीकर सर, जिस प्रकार से सरकार द्वारा श्मशान घाटों के नवीनीकरण के लिए योजना बनाई गई है क्या कब्रिस्तानों के नवीनीकरण के लिए भी इस प्रकार की किसी योजना के बारे में सरकार के स्तर पर विचार किया जायेगा?

श्री मनोहर लाल : स्पीकर सर, मैं श्री करण सिंह जी को यह बताना चाहूंगा कि अगर इस प्रकार की कहीं से कोई डिमाण्ड आयेगी तो उस समय उसके बारे में विचार कर लिया जायेगा। (विघ्न)

श्री अध्यक्ष : करण सिंह जी, आप कृपया करके बैठ जायें और मुख्यमंत्री जी को अपना जवाब देने दें।

श्री मनोहर लाल : स्पीकर सर, रादौर के माननीय विधायक श्याम सिंह राणा और इंद्री के माननीय विधायक एवं मंत्री श्री कर्ण देव कम्बोज जी ने यमुना के ऊपर एक अतिरिक्त पुल हमीदा, जिला यमुना नगर और मेरठ रोड़, करनाल पर बने पुलों के बीच में बनवाने की मांग की है क्योंकि इन दोनों पुलों के बीच की दूरी 50 किलोमीटर है। इस सम्बन्ध में मैं यह घोषणा करता हूं कि उत्तर प्रदेश सरकार के साथ बातचीत करके इन दोनों पुलों के बीच में जहां पर भी योग्य स्थान पाया जायेगा वहां यमुना पर पुल का निर्माण कराया जायेगा। जहां तक प्रदेश के नौजवानों को रोजगार उपलब्ध करवाने का सम्बन्ध है। मेरे विचार से यह एक बहुत बड़ा विषय है लेकिन इसके बावजूद भी मैं कुछ आंकड़ों की जानकारी सदन में देना चाहूंगा। अगर माननीय सदस्यों को इस बारे में चर्चा करनी हो तो वे इस बारे में मेरे से बाद में बात कर सकते हैं। जैसा कि सभी जानते हैं कि इस प्रदेश

की पिछली सरकारें हमारी सरकार के लिए एक बहुत बड़ी लम्बी फौज बेरोजगारों की छोड़कर गई हैं। हमारे अनुमान के अनुसार हरियाणा प्रदेश में इस समय लगभग 5 लाख लोग बेरोजगार है। सरकारी रोजगार तो इन सभी बेरोजगारों को देना सम्भव नहीं है। जो सरकारी क्षेत्र में 50–55 हजार रिक्तियां थी उन सभी की एडवरटाईमैंट हो चुकी है। उनमें से कुछ के एग्जाम भी हो चुके हैं। अभी तक 17300 लोगों की अप्वायंटमैंट भी हो चुकी है। इसी प्रकार से 28000 रिक्तियां ऐसी हैं जिनके लिए योग्य अभ्यर्थियों के एग्जाम अथवा इंटरव्यू हो चुके हैं लेकिन उनका मामला अभी किसी न किसी कारणवश कोर्ट के अंदर फंसा हुआ है। इस बारे में हमें यह जानकारियां मिली है कि ये कोर्ट केसिज भी कुछ लोगों ने अपने इंट्रस्ट के कारण किये हुए हैं। जब हमें इस सम्बन्ध में पूरी जानकारी मिल जायेगी तो हम इसका भी जरूर पर्दाफाश करेंगे कि इसके लिए कौन लोग जिम्मेदार हैं। मैं यह जरूर कहना चाहूंगा कि प्रदेश में कुछ लोग ऐसे हैं जो इन भर्तियों को न करने देने के लिए कोर्ट का सहारा लेते हैं। उनके इस कृत्य की मैं घोर निंदा करता हूं। इसी प्रकार से इन साढ़े तीन सालों में निजी क्षेत्र अर्थात् **एम.एस.एम.ई. यानि जो माईक्रो स्मॉल एंटरप्राईजिज** हैं उनमें में एक लाख चौबीस हजार लोगों को नौकरियां मिली हैं। जो सरकार द्वारा बड़े उद्योगों के साथ एम.ओ.यू. हुए थे उन उद्योगों में भी 62 हजार लोगों की भर्ती हुई है। इस प्रकार से पूरे प्रदेश में सरकारी और गैर सरकारी क्षेत्र में प्रदेश के लोगों को रोजगार प्राप्त हुआ है। (विघ्न)

श्री आनंद सिंह दांगी : स्पीकर सर, मुख्यमंत्री जी यह भी बतायें कि गैर सरकारी क्षेत्र में उद्योगों द्वारा दिये गये रोजगार का श्रेय भी वे अपने को क्यों दे रहे हैं?

श्री अध्यक्ष : दांगी जी, यह भी सरकार का ही प्रयास होता है कि प्रदेश के लोगों के लिए प्रदेश में ऐसे उद्योगों की स्थापना करवाई जाये जिसमें प्रदेश के लोगों को अधिक से अधिक रोजगार की प्राप्ति हो। आप कृपया करके बैठ जायें और मुख्यमंत्री जी को विभिन्न माननीय सदस्यों द्वारा पूछे गये सवालों पर अपना जवाब देने दें।

श्री मनोहर लाल : स्पीकर सर, सरकार द्वारा ही निजी क्षेत्र में लोगों के लिए रोजगार के अवसर पैदा करने होते हैं। हमने कौशल विकास के नाते से जितने हमारे डिपार्टमैंट हैं उन सबके माध्यम से एक लाख 17 हज़ार शिक्षित बेरोजगारों को कौशल विकास के नाम से सर्टीफाई किया है और इस एक लाख 17 हज़ार की संख्या में से लगभग 34 हज़ार लोग ऐसे हैं जिनको इम्पलॉयमैंट मिला है।

श्री करण सिंह दलाल : स्पीकर सर, मैं आपके माध्यम से मुख्यमंत्री जी को यह बताना चाहूंगा कि जिन लोगों की इस प्रकार से भर्ती हुई है उनके हमारे पास मांग पत्र आये हैं कि पहले कौशल विकास के नाम पर उनकी भर्ती हुई है लेकिन अब उनको नौकरी से निकाल दिया गया है।

श्री मनोहर लाल : स्पीकर सर, इस बारे में तो मेरा यही कहना है कि अगर हमारे नोटिस में इस प्रकार की समस्या कोई लाई जायेगी तो उसका भी समाधान किया जायेगा । मैं कुल मिलाकर यही कहना चाहूंगा कि अभी हमारे पास यही आंकड़ा है कि इन 34 हज़ार लोगों को रोजगार की प्राप्ति हुई है। एक बात हमारे मैनीफैस्टों में भी थी उसी के तहत हमने सक्षम युवा के नाम से एक ऐसी योजना चलाई है जिसके अनुसार जो शिक्षित बेरोजगार युवा हैं उनमें जो पोस्ट ग्रेजुएट और ग्रेजुएट हैं उनको हमने 100 घंटे के काम के बदले में क्रमशः 9000/– रूपये और 7500/– रूपये देना शुरू किया है। इसमें 16233 ऐसे नौजवानों को डिप्लॉय कर दिया गया है। (विघ्न)

श्रीमती गीता भुक्कल : स्पीकर सर, . . . (विघ्न)

श्री अध्यक्ष : बहन जी, जब आपको बोलने के लिए समय दिया गया था तो उस समय आप 30 से 40 मिनट तक बोल चुकी हैं लेकिन इसके बावजूद भी जैसे ही मुख्यमंत्री जी अगले प्वायंट पर जवाब देना शुरू करते हैं आप तकरीबन हर प्वायंट पर कुछ न कुछ बोल ही रही हैं। आपकी पार्टी के इस समय सदन में जो 5 सदस्य मौजूद हैं उनमें से सिर्फ श्री उदय भान को छोड़कर आप चार सदस्य लगातार सी.एम. साहब के रिप्लाई को डिस्टर्ब कर रहे हैं। (विघ्न) हम भी यही चाहते हैं कि आपकी सारी बातें सुनी जायें लेकिन हर एक बात की एक सीमा होती है। आप सभी को हाउस की कार्यवाही को इतना ज्यादा डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। (विघ्न) आप सी.एम. साहब को पांच मिनट के लिए भी कंटीन्यू अपना जवाब नहीं देने दे रहे हैं। यह कोई अच्छी बात नही है। कभी करण सिंह दलाल जी खड़े हो जाते हैं, कभी दांगी साहब खड़े हो जाते हैं, कभी शकुंतला जी खड़ी हो जाती हैं और कभी आप खड़ी हो जाती हैं। आप सभी को सदन की मर्यादा का कुछ न कुछ ध्यान तो रखना चाहिए।

श्री मनोहर लाल : स्पीकर सर, इसी प्रकार से प्रदेश में ग्रुप डी की 30 हजार नई भर्तियों के लिए आधिकारिक शुरूआत कर दी गई है जिनकी जल्दी ही एडवरटाईजमैंट कर दी जायेगी। कल हमारे मित्र श्री कुलदीप शर्मा जी चर्चा कर

रहे थे और सामान्य ढ़ंग से हमारी भी उनसे कोई बातचीत हो रही थी लेकिन मुझे पता चला कि आज सवेरे उन्होंने कुछ चर्चा की जिसमें उन्होंने यह जिक्र किया कि मुख्यमंत्री जी मुझे आंख दिखा रहे थे। इस बारे में मैं एक बात जरूर स्पष्ट करना चाहूंगा कि मेरा स्वभाव आंख दिखाने वाला तो नहीं है लेकिन अगर सामने वाले की नज़र ही ऐसी हो तो उसमें मैं क्या कर सकता हूं? मैं यह मानता हूं कि उन्होंने मेरी आंख अपनी नज़र से देखी होगी। (विघ्न) कुल मिलाकर मेरा यही कहना है कि हमारी सोच अच्छी होनी चाहिए क्योंकि नज़र का इलाज तो सम्भव है लेकिन नज़रिये का कोई इलाज नहीं है। (विघ्न) मित्रो, विपक्ष के साथी सदन से वॉक–आउट करके चले गये हैं इसका मुझे अफसोस है। उनको यहां पर रूककर अपने सवालों के जवाब सुनने चाहिएं थे। मैं यही कहना चाहूंगा कि हमारी सरकार के समय में प्रदेश का चहुंमुखी विकास हुआ है। आज यहां पर महिला दिवस के नाते महिलाओं से सम्बंधित विषय पर काफी चर्चा हुई हैं।

अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर
सभी महिलाओं/कन्याओं को बधाई

मुख्यमंत्री (श्री मनोहर लाल) : स्पीकर सर, मैं महिला दिवस के इस अवसर पर प्रदेश के सभी लोगों और विशेषकर महिलाओं, बहनो और बेटियों को सदन के माध्यम से बहुत–बहुत बधाई भी देता हूं। जैसा कि सभी जानते हैं कि हमारी सरकार ने महिलाओं के लिए निरंतर बहुत काम किये हैं। अगर मैं उस सबकी चर्चा यहां पर करूंगा तो उसके लिए ज्यादा समय लग जायेगा लेकिन में बहन मनु भाकर को जरूर बधाई देना चाहूंगा जिसने 16 साल की उम्र में ही 10 मीटर एयर पिस्टल एकल प्रतिस्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता है। (विघ्न)

श्री करण सिंह दलाल : स्पीकर सर, मेरा मुख्यमंत्री जी से अनुरोध है कि बहन मनु भाकर को चार करोड़ की राशि सरकार की तरफ से ईनाम के रूप में दी जाये।

श्री अध्यक्ष : करण सिंह जी, आप कृपया बैठ जायें और मुख्यमंत्री जी को अपनी बात कहने दें।

श्री मनोहर लाल : स्पीकर सर, मैं करण सिंह जी को यही बताना चाहूंगा कि इस बाबत हमारी स्पोर्ट्स डिपार्टमैंट की एक पॉलिसी बनी हुई है उस पॉलिसी में जिस खेल का जितना भी ईनाम उल्लेखित है वह नियमानुसार प्रत्येक खिलाड़ी को बराबर दिया जाता है। इसलिए बहन मनु भाकर की भी जितने ईनाम की पात्रता बनती होगी उतना ईनाम उनको भी दिया जायेगा। इसी के साथ मैं पूरे सदन और पूरे

प्रदेश को एक बधाई और देना चाहूंगा कि आज ही माननीय प्रधानमंत्री जी ने अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के इस अवसर पर राजस्थान के झुंझुनु में राष्ट्रीय पोषण मिशन की शुरूआत की है और उस समय पी.एम. साहब ने कहा कि हमारी सरकार ने सत्ता में आने के बाद हरियाणा से बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ को लांच किया जिसके बाद वहां पर बेटियों के जन्म के अनुपात में काफी सुधार हुआ है। इसके लिए हरियाणा सरकार बधाई की पात्र है। आज इस अवसर पर खास करके महिला दिवस होने के नाते महिलाओं के लिए कुछ विशेष योजनायें हमने तैयार की हैं जिनकी मैं इस सदन के माध्यम से घोषणा करता हूं। हमने पहली योजना तो यह बनाई है कि हरियाणा प्रदेश में जितनी भी सीनियर सिटीजन महिलायें हैं उन सभी के लिए हरियाणा प्रदेश की सभी सी.एच.सीज़. और सभी डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्ज़ में मास में एक बार फ्री मैडीकल चैक–अप कैम्प लगाया जायेगा ताकि अगर उनको किसी भी प्रकार की कोई कठिनाई हो तो उसकी प्रॉपर तरीके से जांच होकर उनको समय पर सही ईलाज में सहायता प्राप्त हो सके। इसी प्रकार से महिलाओं के लिए सरकार की दूसरी योजना यह है कि हरियाणा प्रदेश में जितनी भी किशोर अवस्था की लड़कियां हैं अर्थात् जिनकी आयु 11 वर्ष से 18 वर्ष के बीच है उन सभी को सरकार की तरफ से मुफ्त में सैनेटरी पैड दिये जायेंगे। पानीपत में 100 बैडिड मदर एण्ड चाइल्ड हॉस्पिटल नया खोला जायेगा। पुलिस महिला कांस्टेबल भर्ती की बात मैंने पहले ही बता दी है। अंत में एक बात मेरे मन में आ रही है वह मैं अवश्य कहना चाहूंगा। मैंने हमेशा कहा है कि कभी किसी के बारे में हल्का कमैंट नहीं करना चाहिए लेकिन कई बार ऐसे हल्के कमैंट्स होते हैं जिससे मन को बहुत पीड़ा होती है। हमारे एक माननीय सदस्य ने कहा कि हमारे मुख्यमंत्री की अपनी कौन सी बेटी है। हमारे मुख्यमंत्री की अपनी बेटी होती तो पता चलता इनकी कौन सी बेटी है। मैं यही कहना चाहता हूं कि किसी के मन को तकलीफ न दी जाये। इस प्रदेश में हमने बेटियों के लिए जो कुछ किया अगर उसका भी ध्यान कर लें, एक ही विषय बेटी–बचाओ, बेटी–पढ़ाओ अभियान का ध्यान कर लें तो इस प्रकार की बात कोई नहीं कहेगा। हमने इस अभियान को इतने विभागों के साथ बातचीत करके स्पेशली सी.एम.ओ. में व्यवस्था की कि हर जिले में इसका ध्यान रखा जाये। आज साढ़े तीन साल के बाद मैं बता रहा हूं जनवरी, 2015 से लेकर आज तक हमारे आंकड़े देखें तो हर 2000 के पीछे 40 से 50 का अन्तर आया है। अगर हम इसको 2 प्रतिशत भी मान लें तो एक साल में 5 लाख बच्चे जन्म लेते हैं। इस

हिसाब से हर साल जो 10 हजार लड़कियां गर्भ में मरती थी हमने उनको बचाया है। इस प्रकार अगर 3 साल का हिसाब लगाया जाये तो लगभग 30 हजार लड़कियों को हमारी सरकार द्वारा इस अभियान के तहत बचाया गया है। क्या ये हमारी बेटियां नहीं हैं? इससे पहले जो बेटियां गर्भ में मरती थी उनके प्रति हम केवल श्रद्धांजली ही दे सकते हैं। यह एक सामाजिक बुराई है इसके लिए किसी एक को जिम्मेवार नहीं ठहरा सकते लेकिन उन बच्चियों के प्रति श्रद्धांजली जरूर अर्पित कर सकते हैं। यह एक सामाजिक बुराई है, कलंक है, कुरीति है इसलिए हम इन कुरीतियों को समाप्त करने के लिए इस बेटी–बचाओ, बेटी–पढ़ाओ अभियान को आगे बढ़ायेंगे। इन कुरीतियों के कारण बहुत से दुष्परिणाम निकलते हैं जिनके बारे में बहुत से मनोवैज्ञानिक बहुत से लेख लिखते हैं। इन सभी चीजों पर जरूर विचार किया जाये। आज के दिन अन्तर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर महिलाओं के उत्थान के लिए जितने भी प्रोग्राम हैं हम तो उनको करेंगे ही आप सभी का भी सहयोग चाहिए। इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी का बहुत–बहुत धन्यवाद।

श्री अध्यक्षः प्रश्न है

"कि राज्यपाल महोदय को एक समावेदन निम्नलिखित शब्दों में पेश किया जाएः–

"कि इस सत्र में इकट्ठे हुए हरियाणा विधान सभा के सदस्यगण उस अभिभाषण के लिए राज्यपाल महोदय के अत्यन्त कृतज्ञ हैं जो उन्होंने 5 मार्च, 2018 को 2.00 बजे मध्याह्न–पश्चात् सदन में देने की कृपा की है"।

(प्रस्ताव पारित हुआ।)

वर्ष 2017–18 के लिए अनुपूरक अनुमान(द्वितीय किस्त) प्रस्तुत करना

श्री अध्यक्षः अब वित मंत्री जी वर्ष 2017–18 के लिए अनुपूरक अनुमान (द्वितीय किस्त) प्रस्तुत करेंगे।

वित मंत्री (कैप्टन अभिमन्यु): अध्यक्ष महोदय, मैं वर्ष 2017–18 के लिए अनुपूरक अनुमान (द्वितीय किस्त) प्रस्तुत करता हूं ।

प्राक्कलन समिति की रिपोर्ट प्रस्तुत करना

श्री अध्यक्षः अब श्रीमती प्रेमलता, चेयरपर्सन प्राक्कलन समिति, वर्ष 2017–18 के लिए अनुपूरक अनुमानों (द्वितीय किस्त) पर प्राक्कलन समिति की रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगी ।

CHAIRPERSON, COMMITTEE ON ESTIMATES (SMT. PREM LATA): Sir, I beg to present the Report of the Committee on Estimates on the Supplementary Estimates (Second Instalment) 2017-2018.

वर्ष 2017–18 के लिए अनुपूरक अनुमानों (द्वितीय किस्त) के लिए मांगों पर चर्चा तथा मतदान

श्री अध्यक्षः माननीय सदस्यगण, अब वर्ष 2017–18 के अनुपूरक अनुमानों (द्वितीय किस्त) पर चर्चा तथा मतदान होगा । पिछली प्रथा के अनुसार और सदन का समय बचाने के लिए आर्डर पेपर पर रखी गई सभी डिमाड्ज (संख्या 2 तथा 3, 6, 8 तथा 9, 13, 15, 17, 22, 24 से 27, 33, 39, 40 से 42 तथा 45) एक साथ पढ़ी तथा मूव पेश की गई समझी जाएंगी । माननीय सदस्यगण किसी भी डिमांड पर चर्चा कर सकते हैं लेकिन बोलने से पहले वे उस डिमांड का नम्बर बता दें जिस पर बोलना चाहते हैं ।

कि एक अनुपूरक धनराशि जो राजस्व खर्च के लिए **18,75,50,000** रूपये से अधिक न हो, **मांग सं. 2–राज्यपाल तथा मंत्री परिषद्** के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2018 को समाप्त होने वाले वर्ष के भुगतान के क्रम में आने वाले खर्चों को चुकाने के लिए राज्यपाल को अनुदान की जाए।

कि एक अनुपूरक धनराशि जो राजस्व खर्च के लिए **13,90,98,487** रूपये से अधिक न हो, **मांग सं. 3–सामान्य प्रशासन्** के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2018 को समाप्त होने वाले वर्ष के भुगतान के क्रम में आने वाले खर्चों को चुकाने के लिए राज्यपाल को अनुदान की जाए।

कि एक अनुपूरक धनराशि जो राजस्व खर्च के लिए **179,39,61,000** रूपये से अधिक न हो, **मांग सं. 6–वित्त** के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2018 को समाप्त होने वाले वर्ष के भुगतान के क्रम में आने वाले खर्चों को चुकाने के लिए राज्यपाल को अनुदान की जाए।

कि एक अनुपूरक धनराशि जो राजस्व खर्च के लिए **1000** रूपये से अधिक न हो, **मांग सं. 8–भवन तथा सडकें** के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2018 को समाप्त होने वाले वर्ष के भुगतान के क्रम में आने वाले खर्चों को चुकाने के लिए राज्यपाल को अनुदान की जाए।

कि एक अनुपूरक धनराशि जो राजस्व खर्च के लिए **1000** रूपये से अधिक न हो, **मांग सं. 9–शिक्षा** के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2018 को समाप्त होने वाले वर्ष के भुगतान के क्रम में आने वाले खर्चों को चुकाने के लिए राज्यपाल को अनुदान की जाए।

कि एक अनुपूरक धनराशि जो राजस्व खर्च के लिए **2000 रूपये** से अधिक न हो, **मांग सं.13–स्वास्थ्य** के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2018 को समाप्त होने वाले वर्ष के भुगतान के क्रम में आने वाले खर्चों को चुकाने के लिए राज्यपाल को अनुदान की जाए।

कि एक अनुपूरक धनराशि जो राजस्व खर्च के लिए **313,61,25,000** रूपये से अधिक न हो, **मांग सं. 15–स्थानीय शासन** के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2018 को समाप्त होने वाले वर्ष के भुगतान के क्रम में आने वाले खर्चों को चुकाने के लिए राज्यपाल को अनुदान की जाए।

कि एक अनुपूरक धनराशि जो राजस्व खर्च के लिए **4,00,000 रूपये** से अधिक न हो, **मांग सं. 17–रोजगार** के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2018 को समाप्त होने वाले वर्ष के भुगतान के क्रम में आने वाले खर्चों को चुकाने के लिए राज्यपाल को अनुदान की जाए।

कि एक अनुपूरक धनराशि जो राजस्व खर्च के लिए **6,58,51,000 रूपये** से अधिक न हो, **मांग सं. 22–भूतपूर्व सैनिकों का कल्याण** के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2018 को समाप्त होने वाले वर्ष के भुगतान के क्रम में आने वाले खर्चों को चुकाने के लिए राज्यपाल को अनुदान की जाए।

कि एक अनुपूरक धनराशि जो राजस्व खर्च के लिए **12,27,01,000** रूपये से अधिक न हो, **मांग सं. 24–सिंचाई** के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2018 को समाप्त होने वाले वर्ष के भुगतान के क्रम में आने वाले खर्चों को चुकाने के लिए राज्यपाल को अनुदान की जाए।

कि एक अनुपूरक धनराशि जो राजस्व खर्च के लिए **1000** रूपये से अधिक न हो, **मांग सं. 25–उद्योग** के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2018 को समाप्त होने वाले वर्ष के भुगतान के क्रम में वाले आने खर्चों को चुकाने के लिए राज्यपाल को अनुदान की जाए।

कि एक अनुपूरक धनराशि जो राजस्व खर्च के लिए **10,17,00,000** रूपये से अधिक न हो, **मांग सं. 26–खान एवं भू–विज्ञान** के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2018 को समाप्त होने वाले वर्ष के भुगतान के क्रम में वाले आने खर्चों को चुकाने के लिए राज्यपाल को अनुदान की जाए।

कि एक अनुपूरक धनराशि जो राजस्व खर्च के लिए **3000** रूपये से अधिक न हो, **मांग सं. 27–कृषि** के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2018 को समाप्त होने वाले वर्ष के भुगतान के क्रम में आने वाले खर्चों को चुकाने के लिए राज्यपाल को अनुदान की जाए।

कि एक अनुपूरक धनराशि जो राजस्व खर्च के लिए **7,69,76,000** रूपये से अधिक न हो, **मांग सं. 33–सहकारिता** के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2018 को समाप्त होने वाले वर्ष के भुगतान के क्रम में आने वाले खर्चों को चुकाने के

लिए राज्यपाल को अनुदान की जाए।

कि एक अनुपूरक धनराशि जो राजस्व खर्च के लिए **1000 रूपये** से अधिक न हो **मांग सं. 39–सूचना तथा प्रचार** के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2018 को समाप्त होने वाले वर्ष के भुगतान के क्रम में आने वाले खर्चों को चुकाने के लिए राज्यपाल को अनुदान की जाए।

कि एक अनुपूरक धनराशि जो पूंजीगत खर्च के लिए **92,22,05,000 रूपये** से अधिक न हो **मांग सं. 40–ऊर्जा तथा विद्युत** के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2018 को समाप्त होने वाले वर्ष के भुगतान के क्रम में आने वाले खर्चों को चुकाने के लिए राज्यपाल को अनुदान की जाए।

कि एक अनुपूरक धनराशि जो राजस्व खर्च के लिए **97,90,000** रूपये से अधिक न हो, **मांग सं. 41–इलैक्ट्रोनिक्स तथा सूचना प्रौद्योगिकी** के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2018 को समाप्त होने वाले वर्ष के भुगतान के क्रम में आने वाले खर्चों को चुकाने के लिए राज्यपाल को अनुदान की जाए।

कि एक अनुपूरक धनराशि जो राजस्व खर्च के लिए **2,66,23,000** रूपये से अधिक न हो, **मांग सं. 42–न्याय प्रशासन** के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2018 को समाप्त होने वाले वर्ष के भुगतान के क्रम में आने वाले खर्चों को चुकाने के लिए राज्यपाल को अनुदान की जाए।

कि एक अनुपूरक धनराशि जो राजस्व खर्च के लिए **7,98,50,000 रूपये** से अधिक न हो, **मांग सं. 45–राज्य सरकार द्वारा कर्ज तथा पेशगियां** के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2018 को समाप्त होने वाले वर्ष के भुगतान के क्रम में आने वाले खर्चों को चुकाने के लिए राज्यपाल को अनुदान की जाए।

श्री करण सिंह दलाल : अध्यक्ष महोदय, मैं जिस डिमांड पर बोलना चाहता हूं वह मैंने लिखित में आपके पास भिजवाई है। अब मैं डिमांड नं. 25–उद्योग पर बोलना चाहता हूं। माननीय मुख्यमंत्री जी भ्रष्टाचार पर बात कर रहे थे। मैं उस बारे में बताना चाहता हूं कि करनाल में एच.एस.आई.आई.डी.सी. के एक प्लाट पर आशीष गुप्ता नाम के एक आदमी ने एक बहुमंजिला बिल्डिंग बना ली है। पुलिस ने राजनीतिक दबाव के कारण उसके खिलाफ एफ.आई.आर. तो दर्ज कर ली चूंकि आशीष गुप्ता ने करनाल विकास निधि के नाम पर 5 लाख रुपये का चैक कटवाया था इसलिए उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई और वह एच.एस.आई.आई. डी.सी. की जमीन पर कई मंजिल बिल्डिंग बना चुका है जिसके कागज मेरे पास हैं। अगर मुख्यमंत्री जी चाहे तो मैं यह कागज उनके पास भिजवा देता हूं । जैसा कि मुख्यमंत्री जी अभी कह रहे थे कि भ्रष्टाचार को रोका जा रहा है । सारी बातें

हो रही हैं । यह मुख्यमंत्री जी के हल्के करनाल का मामला है और यह सरकारी जमीन है । हमारे सहकारिता राज्य मंत्री बैठे हुए हैं । मुख्यमंत्री जी, आप इस मामले की जांच करवा लीजिये सहकारिता मंत्री जी जब मंत्री बने, उससे पहले ये शीरा बेचने और खरीदने का धन्धा करते थे ।

वित्त मंत्री (कैप्टन अभिमन्यू) : अध्यक्ष महोदय, मेरा प्वायंट ऑफ ऑर्डर है । माननीय विधायक साथी बहुत वरिष्ठ विधायक हैं और बहुत अनुभवी हैं इनको इस तरह की बात नहीं करनी चाहिए ।

बैठक का समय बढ़ाना

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, अगर सदन की सहमति हो तो हाउस का समय 10 मिनट के लिए बढ़ाया जाता है ।

आवाजें : ठीक है ।

श्री अध्यक्ष : सदन की सहमति से हाउस का समय 10 मिनट के लिए बढ़ाया जाता है ।

वर्ष 2017–18 के लिए अनुपूरक अनुमानों (द्वितीय किस्त) की मागों पर चर्चा तथा मतदान (पुनरारम्भ)

कैप्टन अभिमन्यु : अध्यक्ष महोदय, यह जो सप्लीमैंट्री एस्टीमेट्स हैं इसमें डिमांड वाईज चर्चा करने का प्रावधान है । इसमें कुछ सीमा और मर्यादा होती है कि जो पर्टीकुलर डिमांड आज यहां पर सप्लीमैंट्री एस्टीमेट्स में रखी गई हैं । उस डिमांड के संबंध में उसको घटाने या बढ़ाने का कोई सुझाव अगर किसी माननीय सदस्य का है तो उस पर वह चर्चा कर सकते हैं लेकिन उस विभाग से या उनके माध्यम से विभाग से अलग कोई बात जोड़कर चर्चा करना उचित नहीं है । मैं यह बात प्वायंट ऑफ ऑर्डर के माध्यम से आपके संज्ञान में लाना चाहता हूं । कृप्या करके चर्चा उसकी सीमा में ही रखी जाए ।

श्री करण सिंह दलाल : अध्यक्ष महोदय, मेरा आपके माध्यम से सहकारिता राज्य मंत्री से यह कहना है कि वे इसका बुरा न माने लेकिन यह सच्चाई है कि सहकारिता राज्य मंत्री पहले शीरे का धन्धा करते थे । अब उसी से संबंधित विभाग भी उन्हीं के पास है । पिछले दिनों पलवल की शुगरमिल में इनके भाई ट्रक में

पानी भरकर ले जाते थे और उधर से शीरा भरकर लाते थे । मुख्यमंत्री जी, आप चाहें तो इस बात का पता करा लीजिये ।

श्री अध्यक्ष : करण जी, इसमें सहकारिता विभाग का तो कोई संबंध नहीं है ।

श्री करण सिंह दलाल : सर, मैंने सहकारिता विभाग के बारे में भी लिख कर दिया हुआ है ।

स्हकारिता राज्य मंत्री (श्री मनीष कुमार ग्रोवर) : अध्यक्ष महोदय, मैं ऐज ए बिजनैसमैन के नाते कहना चाहूंगा कि मेरा परिवार शीरे का काम करता है लेकिन इनकी तरह चोरी नहीं करता । इन लोगों ने प्रदेश को लूटने का काम किया है । इन्होंने 10 साल तक सी.एल.यू. के नाम पर प्रदेश को लूटा है । (शोर एवं व्यवधान) अध्यक्ष महोदय, आपने हमारे मंत्रियों की प्रॉपर्टी की रिपोर्ट मांगी है तो इनकी भी अपनी प्रोपर्टी की रिपोर्ट पेश करें । नहीं तो ये सबूत पेश करें और सबूत के बिना कुछ न बोलें ।(शोर एवं व्यवधान)

श्री करण सिंह दलाल : अध्यक्ष महोदय, अगर मेरी बात झूठी हो तो बता देना । आप मुझे बताने दीजिये । (शोर एवं व्यवधान) अध्यक्ष महोदय, पलवल में शीरा लेने के लिए इनके भाईयों की फक्ट्री के ट्रक शीरा लेने के लिए जाते हैं तो वह उन ट्रकों में पानी भरकर पहले उनका वेट करवाते हैं और अन्दर मिल में जाकर पानी उड़ेल दिया जाता है और शीरा उसके अन्दर लोड कर लिया जाता है । मुख्यमंत्री जी, आप इसकी बेशक जांच करवा लीजिये । (विघ्न)आपने जो भ्रष्टाचार की बात की है मैं उसी के ऊपर यह बात आपके संज्ञान में ला रहा हूं ।

श्री मनीष कुमार ग्रोवर : स्पीकर सर, मेरी यह बात नोट कर लीजिए कि अगर इनकी बात सच न हुई तो इनके खिलाफ पर्चा दर्ज होगा । अन्यथा इनको अपनी बात के लिए सदन में माफी मांगनी पड़ेगी । (शोर एवं व्यवधान) ये सबूत पेश करें खाली बोलने से कुछ नहीं होगा । इस तरह से यह सदन को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं । इन्होंने सी.एल.यू. के नाम से पूरे प्रदेश को लूटा है । (शोर एवं व्यवधान) आज इनकी जमीन खिसक गई है इसलिए आज यह बेवजह आरोप लगा रहे हैं । व्यापार करना बुरा नहीं है । (शोर एवं व्यवधान) अगर इनके पास कोई सबूत है तो पेश करें । इस तरह सदन को गुमराह न करें । अगर इन्होंने सबूत पेश नहीं किये तो मैं इनके ऊपर मानहानि का दावा डालूंगा । (शोर एवं व्यवधान)

श्री करण सिंह दलाल : अध्यक्ष महोदय, मेरा तीसरा सवाल इरीगेशन से संबंधित है ।

श्री अध्यक्ष : दलाल साहब, अब आप बैठें । माननीय सदस्यगण अब विभिन्न डिमांड्स को सदन में वोटिंग के लिए रखा जाएगा ।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न है –

मांग संख्या 2 और 3

कि एक अनुपूरक धनराशि जो राजस्व खर्च के लिए **18,75,50,000** रूपये से अधिक न हो, **मांग संख्या 2–राज्यपाल तथा मंत्री परिषद्** विधान सभा के संबंध में 31 मार्च 2018 को समाप्त होने वाले वर्ष के भुगतान के क्रम में आने वाले खर्चों को चुकाने के लिए राज्यपाल को अनुदान की जाए ।

कि एक अनुपूरक धनराशि जो राजस्व खर्च के लिए **13,90,98,487** रूपये से अधिक न हो, **मांग संख्या 3–सामान्य प्रशासन्** विधान सभा के संबंध में 31 मार्च 2018 को समाप्त होने वाले वर्ष के भुगतान के क्रम में आने वाले खर्चों को चुकाने के लिए राज्यपाल को अनुदान की जाए।

(प्रस्ताव पास हुआ)

श्री अध्यक्ष : प्रश्न है –

मांग संख्या 6

कि एक अनुपूरक धनराशि जो राजस्व खर्च के लिए **1793,39,61,000** रूपये से अधिक न हो, **मांग संख्या 6–वित्त्** विधान सभा के संबंध में 31 मार्च 2018 को समाप्त होने वाले वर्ष के भुगतान के क्रम में आने वाले खर्चों को चुकाने के लिए राज्यपाल को अनुदान की जाए ।

(प्रस्ताव पास हुआ)

श्री अध्यक्ष : प्रश्न है –

मांग संख्या 8 और 9

कि एक अनुपूरक धनराशि जो राजस्व खर्च के लिए **1000** रूपये से अधिक न हो, **मांग संख्या 8–भवन तथा सड़कें** विधान सभा के संबंध में 31 मार्च 2018 को समाप्त होने वाले वर्ष के भुगतान के क्रम में आने वाले खर्चों को चुकाने के लिए राज्यपाल को अनुदान की जाए ।

कि एक अनुपूरक धनराशि जो राजस्व खर्च के लिए **1000** रूपये से अधिक न हो, **मांग संख्या 9–शिक्षा** विधान सभा के संबंध में 31 मार्च 2018 को समाप्त होने वाले वर्ष के भुगतान के क्रम में आने वाले खर्चों को चुकाने के लिए राज्यपाल को अनुदान की जाए ।

(प्रस्ताव पास हुआ)

श्री अध्यक्ष : प्रश्न है–

मांग संख्या 13

कि एक अनुपूरक धनराशि जो राजस्व खर्च के लिए **2000** रूपये से अधिक न हो, **मांग संख्या 13–स्वास्थ्य** विधान सभा के संबंध में 31 मार्च 2018 को समाप्त होने वाले वर्ष के भुगतान के क्रम में आने वाले खर्चों को चुकाने के लिए राज्यपाल को अनुदान की जाए ।

(प्रस्ताव पास हुआ)

श्री अध्यक्ष : प्रश्न है–

मांग संख्या 15

कि एक अनुपूरक धनराशि जो राजस्व खर्च के लिए **313,61,25,000** रूपये से अधिक न हो, **मांग संख्या 15–स्थानीय शासन** विधान सभा के संबंध में 31 मार्च 2018 को समाप्त होने वाले वर्ष के भुगतान के क्रम में आने वाले खर्चों को चुकाने के लिए राज्यपाल को अनुदान की जाए।

(प्रस्ताव पास हुआ)

श्री अध्यक्ष : प्रश्न है –

मांग संख्या 17

कि एक अनुपूरक धनराशि जो राजस्व खर्च के लिए **4,00,000** रूपये से अधिक न हो, **मांग संख्या 17–रोजगार** विधान सभा के संबंध में 31 मार्च 2018 को समाप्त होने वाले वर्ष के भुगतान के क्रम में आने वाले खर्चों को चुकाने के लिए राज्यपाल को अनुदान की जाए ।

(प्रस्ताव पास हुआ)

श्री अध्यक्ष : प्रश्न है –

मांग संख्या 22

कि एक अनुपूरक धनराशि जो राजस्व खर्च के लिए **6,58,51,000** रूपये से अधिक न हो, **मांग संख्या 22–भूतपूर्व सैनिकों का कल्याण्** विधान सभा के संबंध में 31 मार्च 2018 को समाप्त होने वाले वर्ष के भुगतान के क्रम में आने वाले खर्चों को चुकाने के लिए राज्यपाल को अनुदान की जाए ।

(प्रस्ताव पास हुआ)

श्री अध्यक्ष : प्रश्न है –

मांग संख्या 24 से 27

कि एक अनुपूरक धनराशि जो राजस्व खर्च के लिए **12,27,01,000** रूपये से अधिक न हो, **मांग संख्या 24–सिंचाई** विधान सभा के संबंध में 31 मार्च 2018 को समाप्त होने वाले वर्ष के भुगतान के क्रम में आने वाले खर्चों को चुकाने के लिए राज्यपाल को अनुदान की जाए ।

कि एक अनुपूरक धनराशि जो राजस्व खर्च के लिए **1000** रूपये से अधिक न हो, **मांग संख्या 25–उद्योग्** विधान सभा के संबंध में 31 मार्च 2018 को समाप्त होने वाले वर्ष के भुगतान के क्रम में आने वाले खर्चों को चुकाने के लिए राज्यपाल को अनुदान की जाए ।

कि एक अनुपूरक धनराशि जो राजस्व खर्च के लिए **10,17,00,000** रूपये से अधिक न हो, **मांग संख्या 26–खान एवं भू–विज्ञान्** विधान सभा के संबंध में 31 मार्च 2018 को समाप्त होने वाले वर्ष के भुगतान के क्रम में आने वाले खर्चों को चुकाने के लिए राज्यपाल को अनुदान की जाए ।

कि एक अनुपूरक धनराशि जो राजस्व खर्च के लिए **3000** रूपये से अधिक न हो, **मांग संख्या 27–कृषि** विधान सभा के संबंध में 31 मार्च 2018 को समाप्त होने वाले वर्ष के भुगतान के क्रम में आने वाले खर्चों को चुकाने के लिए राज्यपाल को अनुदान की जाए ।

(प्रस्ताव पास हुआ)

श्री अध्यक्ष : प्रश्न है –

मांग संख्या 33

कि एक अनुपूरक धनराशि जो राजस्व खर्च के लिए **7,69,76,000** रूपये से अधिक न हो, **मांग संख्या 33–सहकारिता** विधान सभा के संबंध में 31 मार्च 2018 को समाप्त होने वाले वर्ष के भुगतान के क्रम में आने वाले खर्चों को चुकाने के लिए राज्यपाल को अनुदान की जाए ।

(प्रस्ताव पास हुआ)

श्री अध्यक्ष : प्रश्न है –

मांग संख्या 39

कि एक अनुपूरक धनराशि जो राजस्व खर्च के लिए **1000** रूपये से अधिक न हो, **मांग संख्या 39–सूचना तथा प्रचार** विधान सभा के संबंध में 31 मार्च 2018 को समाप्त होने वाले वर्ष के भुगतान के क्रम में आने वाले खर्चों को चुकाने के लिए राज्यपाल को अनुदान की जाए ।

(प्रस्ताव पास हुआ)

श्री अध्यक्ष : प्रश्न है –

मांग संख्या 40 से 42

कि एक अनुपूरक धनराशि जो राजस्व खर्च के लिए **92,22,05,000** रूपये से अधिक न हो, **मांग संख्या 40–ऊर्जा तथा विद्युत** विधान सभा के संबंध में 31 मार्च 2018 को समाप्त होने वाले वर्ष के भुगतान के क्रम में आने वाले खर्चों को चुकाने के लिए राज्यपाल को अनुदान की जाए ।

कि एक अनुपूरक धनराशि जो राजस्व खर्च के लिए **97,90,000** रूपये से अधिक न हो, **मांग संख्या 41–इलैक्ट्रोनिक्स तथा सूचना प्रौद्योगिकी** विधान सभा के संबंध में 31 मार्च 2018 को समाप्त होने वाले वर्ष के भुगतान के क्रम में आने वाले खर्चों को चुकाने के लिए राज्यपाल को अनुदान की जाए ।

कि एक अनुपूरक धनराशि जो राजस्व खर्च के लिए **2,66,23,000** रूपये से अधिक न हो, **मांग संख्या 42–न्याय प्रशासन** विधान सभा के संबंध में 31 मार्च 2018 को समाप्त होने वाले वर्ष के भुगतान के क्रम में आने वाले खर्चों को चुकाने के लिए राज्यपाल को अनुदान की जाए ।

(प्रस्ताव पास हुआ)

श्री अध्यक्ष : प्रश्न है –

मांग संख्या 45

कि एक अनुपूरक धनराशि जो राजस्व खर्च के लिए **7,98,50,000** रूपये से अधिक न हो, **मांग संख्या 45–राज्य सरकार द्वारा कर्ज तथा पेशगियां** विधान सभा के संबंध में 31 मार्च 2018 को समाप्त होने वाले वर्ष के भुगतान के क्रम में आने वाले खर्चों को चुकाने के लिए राज्यपाल को अनुदान की जाए ।

(प्रस्ताव पास हुआ)

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, अब सदन शुक्रवार, दिनांक 9 मार्च, 2018 प्रातः 10:00 बजे तक के लिए स्थगित किया जाता है ।

*19.33 बजे

(तत्पश्चात सभा, शुक्रवार, दिनांक 9 मार्च, 2018 प्रातः 10:00 बजे तक के लिए *स्थगित हुई ।)